The House then adjourned for lunch at fifteen minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-six minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYNANARAYAN JATIYA), *in the Chair.*

SHORT DURATION DISCUSSION

Recent Law and Order Situation in some parts of Delhi

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): दिल्ली के कुछ हिस्सों में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हम अल्पकालीन चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री कपिल सिब्बल जी।

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Sir, first of all, I wish to thank my Party for giving me this opportunity to initiate this discussion on the unfortunate events that took place between February 23 and February 26 and some events have also taken place after that. सर, यदि गृह मंत्री जी यहां होते, तो अच्छा होता।

कुछ माननीय सदस्य: यहां गृह राज्य मंत्री जी हैं।

श्री कपिल सिब्बल: मुझे मालूम है। मैं गृह मंत्री जी की बात कर रहा था, लेकिन इस बात को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सर, इस समय दो किस्म के वायरस ने तबाही मचाई हुई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोनावायरस चल रहा है। हमें अभी उसकी बुनियाद मालूम नहीं हुई है। अभी उसकी रिसर्च हो रही है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वह वुहान से शुरू हुआ था और विश्व में फैल रहा है और एक वायरस यहां चल रहा है। यह ऐसा कम्युनल वायरस है, जिसे बहुत तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। इतना तो हमें मालूम है कि इसकी जड़ क्या है और कहां से आती है? इस बात का हमें मालूम है। अब गंभीर बात यह है कि... उपसभाध्यक्ष जी, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे, तो अच्छा होगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं आपकी तरफ ही देख रहा था।

श्री कपिल सिब्बल: सर, गंभीर बात यह है कि जब यह वायरस फैल रहा था, तो इसका साथ कौन दे रहा था? Who were the collaborators of this criminal virus that was being spread? And that is a very important issue that I will wish to discuss today. गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और इन्होंने फुटेज भी देखी होगी। एक ऐसी फुटेज है, जिसमें पुलिसकर्मी खुद CCTV Cameras तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं, यह तो सभी को मालूम है। वे इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो भी दंगा-फसाद कर रहे हैं, उनका evidence सामने नहीं आए। निश्चित रूप से उनके बेनिफिट के लिए तोड़ रहे हैं और साथ में जो हिंसा हो रही थी, उसका साथ

[श्री कपिल सिब्बल]

भी दे रहे हैं। एक और हादसा आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक पुलिसकर्मी जख्मी इंसान के मुंह पर लाठी मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तू जन-गण-मन गा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह सब भी हमने देखा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बीच में मत बोलिए।

श्री कपिल सिब्बल: आपको मालूम है कि 24 फरवरी को धारा 144 लागू हो गई और उसके लागू होने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब कोर्ट ने और माननीय न्यायाधीश ने पुलिस से भड़काऊ भाषण के बारे में पूछा कि क्या आपको मालूम है कि ऐसे-ऐसे भाषण हो रहे थे और ऐसी images दिखाई जा रही थीं, तो पुलिस ने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं है। हमने तो देखे ही नहीं। असलियत यह थी कि फिर न्यायाधीश ने कहा कि मैं आपको दिखाता हूं। सारी दुनिया को मालूम था कि दिल्ली में क्या हो रहा है और पुलिसकर्मियों को मालूम नहीं था, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मालूम नहीं था! पता नहीं, गृह मंत्री जी को मालूम था या नहीं, ये हमें बताएंगे। जब लोग ज़ख्मी हो रहे थे तो एक प्राइवेट अस्पताल है - अल-हिंद अस्पताल - वे लोग वहां जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वह सरकारी अस्पताल नहीं है तो एमएलसी वहां से issue नहीं हो सकता था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी - जो ज़ख्मी लोग थे, उन्हें एक गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाना था, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही थी तो दो बजे रात को एक न्यायाधीश ने sitting की कि आप इतना तो कर दीजिए। उसके बाद कहीं उन्हें वहां से जाने दिया, सहूलियत मिली और वे एक गवर्नमेंट अस्पताल में गए। अब इस बात का तो हमें पता है कि दिल्ली में लगभग 87,000 पुलिसकर्मी हैं। इतने पुलिसकर्मियों के होते हुए भी दंगे रुक नहीं पाए। मुझे तो ताज्जुब है कि 25 फरवरी शाम को पांच बजे एक PIB की रिलीज़ हुई थी जिसमें कहा गया कि professionally हमें यह जानकारी मिली है कि यह जो हादसा हुआ है, वह spontaneous है। यह पीआईबी की रिलीज़ है, मैं सदन में उसे पढ़ भी सकता हूं। कल गृह मंत्री जी ने लोक सभा में कहा कि यह तो साज़िश थी, यह तो conspiracy थी। तो 25 फरवरी को spontaneous था और कल लोक सभा में वह conspiracy हो गयी - यह बदलाव कैसे आया? अब कहा जा रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश से आए। इतना तो साफ ज़ाहिर है कि पुलिस, जो हिंसा करवा रहे थे, कर रहे थे, उनका साथ दे रही थी। उसका नतीजा क्या हुआ, कैसे-कैसे बेकसूर लोग मारे गए, जिनका दंगे-फसाद से कोई लेना देना नहीं था! एक 85 साल के बूढ़े आदमी को तीसरे फ्लोर पर जाकर जला दिया गया। 85 साल का बूढ़ा - उसका दंगों से क्या लेना-देना था? एक 22 साल का लड़का सुबह दो लोगों के साथ जा रहा था - यह 26 फरवरी की बात है, जिसके बारे में गृह मंत्री जी ने कहा कि 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ, तो मैं 26 फरवरी का ही वाक़या बता रहा हूं - वह दो और लोगों के साथ motorcycle पर करावल नगर में जा रहा था, उसे रोक लिया गया और पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा religion क्या है? वह चुप रहा तो उसके कपड़े उतारे गए और उसे मार दिया गया। यह दिल्ली में हो रहा था। National Security

Advisor, डोभाल साहब ने गुरुग्राम में पुलिस अधीक्षकों की बैठक में कहा कि कानून पार्लियामेंट बनाती है, यह उनका कर्तव्य है और उन कानूनों को लागू करना पुलिस का कर्तव्य है। अगर पुलिस उन कानूनों को लागू नहीं करती, तो वह लोकतंत्र पर एक धब्बा है - यह National Security Advisor ने कहा। शायद गृह मंत्री जी के बारे में वे कुछ कह रहे थे - हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। एक मोहम्मद अख्तर नाम के व्यक्ति का सारा घर जला दिया गया। एक सबसे दर्दनाक कहानी एक बूढ़े की है, जो मंजी पर बैठा हुआ था, चारपाई पर बैठा हुआ था, दंगाई वहां आए और उन्होंने उसे मारा। वह उठा तो उसको दुबारा मारा, तीसरी बार वह उठा तो फिर से उसे मारा। उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया गया और जला दिया गया। जलने के बाद उसकी केवल एक टांग बची थी। उसकी बेटी गुलशन का जो खाविंद था, उस बेचारे की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह उसे पहचान भी नहीं पाया। वह सुनता रहा कि क्या हो रहा है। जब लोग अस्पताल में गए और पुलिस ने कहा कि आप बताइए कि यह किसकी लाश है, डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपका ससुर है? वह बोला कि इस लेग में उसका एक घाव था, तो son-in-law ने घाव पर हाथ रखकर कहा कि हां, ये मेरे ही रिश्तेदार हैं। गृह मंत्री जी, यह दिल्ली में हो रहा था।...**(व्यवधान)**... आप क्या कर रहे थे?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): किसी को बहस के बीच में नहीं बोलना है।...**(व्यवधान)**... कृपया गंभीरता से सुनें।

श्री कपिल सिब्बल: जो लोग पीड़ित हैं, वे आज कह रहे हैं कि

"मैं किसका सहारा लूं, कानून तो हथियार बन गया है।
अब तो शहर में बेकसूर भी गुनहगार बन गया है।
चल रहा था बेफिक्र होकर घर की सड़क पर मैं,
उसी सड़क पर हिंसा एक त्यौहार बन गया है।"

ये है असलियत दिल्ली की, जहां कभी दंगे नहीं होते थे। गृह मंत्री जी ताज्जुब की बात यह है ...**(व्यवधान)**... कि नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली की टोटल आबादी लगभग 22 लाख है। मैं 2011 के census की बात कर रहा हूं, उसमें 68 परसेंट हिंदू हैं और 29 परसेंट मुस्लिम हैं। लगभग 53 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 44 के तो मेरे पास आंकड़े हैं। उनमें से 12 लोग एक कम्युनिटी को belong करते हैं और 2 लोग दूसरी कम्युनिटी को belong करते हैं। यह हिंसा का नाच क्यों हो रहा था? यह वायरस की वजह से हो रहा था। किसी और वजह से नहीं हो रहा था। यह वायरस किसने फैलाया? यह वायरस उन्हीं लोगों ने फैलाया, जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे। ...**(व्यवधान)** ... मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो भाषण दे रहे थे, उनके ऊपर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? गृह मंत्री जी को मालूम होगा about Section 153A of

[श्री कपिल सिब्बल]

3.00 P.M.

the Penal Code, which says, "Whoever commits an offence specified in sub-Section (1) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups...", उसको तीन साल की सजा हो सकती है और यह तो cognisable offence है। जो यह कह रहा है कि देश के गद्दारों को और जनता कह रही है, मैं वह बात नहीं कहना चाहता हूं। वह तो cognizable offence है, इसमें एफआईआर में देरी क्यों हुई? आपने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? जब न्यायाधीश ने पूछा, तो आपके एक Solicitor General साहब ने कहा कि उसका वक्त अभी नहीं आया है। It is not an opportune time to file an FIR. क्या एफआईआर का भी कोई opportune time होता है, जरा हमें भी बता दीजिए। हम भी थोड़ा लॉ सीख लें। The moment a cognisable offence is committed, an FIR has to be lodged. This is a licence to kill. That is what was happening in Delhi and the Home Minister must tell us कि आज तक एफआईआर लॉज क्यों नहीं हुई? आपका एक सदस्य कहने लगा कि शाहीन बाग के लोगों, बाद में क्या होगा कि यही लोग आपकी हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे, आपको मार देंगे। यह तो अंडर सैक्शन 153A एक cognizable offence है। आपने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की? वे आपकी पार्टी के लोग हैं, इसलिए आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं। हर्ष मंदर के खिलाफ तो एफआईआर हो गई, लेकिन जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए, उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई। एक आपकी पार्टी के शख्स हैं, वे कहते हैं कि जाफ़राबाद मेट्रो के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, चांदबाग में भी जो बैठे हुए हैं, अगर उनको तीन दिन में वहां से नहीं निकालोगे, तो हम सड़कों पर आकर कुछ करेंगे। क्या यह भड़काऊ बयान नहीं है? अगर आप वाकई में इस वायरस को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप यह करोगे नहीं, क्योंकि आप इस वायरस को फैलाना चाहते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर यह वायरस युवा लोगों के मन में बैठ गया, तो न आप रहोगे, न हम रहेंगे और न लोकतंत्र रहेगा। आप इस बात को लिख लो।

हमने कई बार, कई जगह पर इस बात को देखा है जब फसाद होते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को हिरासत में लिया, क्यों किया? अगर उनको रिहा किया जाएगा, तो शायद दंगे-फसाद हों। शायद, दंगे-फसाद हों, तो उनको धारा 107 के अंदर 6 महीने के लिए हिरासत में रखा। उमर अब्दुल्ला को रखा, महबूबा को रखा और फारूक साहब

को रखा, क्योंकि हो सकता है कि अगर उनको रिहा किया जाए और अगर वे कोई बयान दे दें, तो दंगे हो सकते हैं। उसके बाद धारा 107 के 6 महीने खत्म हुए, तो PSA लगा दिया, एक साल के लिए PSA लगा दिया। उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया था, फिर भी उनको हिरासत में कर लिया। यहां तो आपने बयान देने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं की। आपकी सोच क्या है, आपके मन में अंतर क्या है, आपकी विडम्बना क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि आप तो लौह पुरुष हैं, सरदार पटेल की जगह पर बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी, कुछ तो ख्याल कीजिए अपने सरदार का। उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा कि इस तरह से लोगों की हत्या हो और मासूम लोगों की हत्या हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, गजब की बात यह है, गृह मंत्री जी, आप तो खैर बहुत बिज़ी थे, क्योंकि ट्रम्प साहब आ रहे थे, and, while celebrations of Trump were being choreographed and shown on television channels on half the screen, on the other half of the screen, the choreographed violence was being shown. Both were choreographed. Where were you? He was busy in Ahmedabad, परंतु आप तो यहां भी पहुंच गए थे, आपने तो कोई बयान नहीं दिया। आपने तो देश की जनता को संबोधित नहीं किया। आप इतना तो कह देते कि जो ऐसे दंगों में, फसाद में हिस्सा लेगा, उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे और हम यह होने नहीं देंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि पुलिसकर्मी अपने आप ऐसा नहीं कर सकते थे, कहीं न कहीं से तो उनको इशारा मिला होगा न कि आप करो, हम उस तरफ ध्यान नहीं रखेंगे। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं-नहीं कांग्रेस के टाइम में बड़े दंगे-फसाद हुए, मुझे मालूम है कि आप जवाब क्या देने वाले हैं, आप बात इतिहास की करोगे, कांग्रेस की करोगे। आप दिल्ली के दंगों की बात नहीं करोगे। मैं आपको आज यह भी आश्वासन देना चाहता हूं... मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, आपने एसआईटी तो बिठा दी, लेकिन पीड़ित लोगों को accused बनाया जाएगा और जिन्होंने फसाद किया, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। हमने कई बार ऐसी बात देखी है, कई बार हमने ऐसी बात देखी है। गृह मंत्री जी, आपको यह भी मालूम होगा कि वहां पर एक नर्सिंग होम है, मोहन नर्सिंग होम है। मोहन नर्सिंग होम में लोग छत पर चढ़ गए और तीन बजे मोहन नर्सिंग होम का मालिक कहता है कि भाई, हमें बाहर जाना पड़ा, क्योंकि दंगे-फसादी ऊपर आ गए थे, वे छत पर चढ़ गए। वे छत पर मास्क, हेलमेट लगाए हुए थे ताकि उनको कोई पहचान नहीं पाए और वह राइफल से गोली चला रहा था, नीचे चला रहा था, तो यह image तो आपके पास है। आपने किसी को पकड़ा? जो आप technology की, imagery की बात करते हैं, तो क्या आपने उसको पकड़ा? वे जो साथी थे, वहां पर बैठे हुए थे, क्या उनको पकड़ा? आपने मोहन नर्सिंग होम के मालिक से पूछा कि तुमने एफआईआर की कि मेरे यहां पर दंगाई आ गए हैं? आप कुछ करिए। आपने कोई कार्रवाई की, नहीं की और आप करेंगे भी नहीं। यह जो आपकी उज्ज्वला स्कीम है, उसके द्वारा जो सिलेंडर मिल

रहे थे, वे उनको घरों में फेंक रहे थे, जला रहे थे। यह उपलब्धि है। पेट्रोल को बोतलों में डालकर घरों को जला रहे थे। पहले लोगों को डरा कर भगा रहे थे, फिर उसी जगह पर, उसी घर को लूट रहे थे, लूटने के बाद जला रहे थे और यह दिल्ली में हो रहा था और प्रधान मंत्री 70 घंटे के लिए चुप थे। यह क्यों हुआ, किसलिए हुआ, क्यों आप बरबाद कर रहे हो इस देश के संविधान को? मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा कि हमारे Directive Principles में Fundamental Duties के बारे में लिखा गया है - 51A में 'to promote harmony and the spirit of common brotherhood' यह citizen की Fundamental Duty है, तो यह हो रहा था। They were spreading brotherhood and embracing communal harmony. **...(समय की घंटी)**... मुझे केवल पांच मिनट और दीजिए। अब चार घंटे का discussion हो गया है, तो मैं कुछ देर और बोल सकता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): समय revise कर दिया गया है।

श्री कपिल सिब्बल: सर, तभी तो मैंने कहा कि मैं पांच मिनट और बोल सकता हूं। अभी तो मुझे केवल 15 मिनट ही हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितनी देर और बोलेंगे, उतना श्री आनन्द शर्मा जी का समय कम हो जाएगा।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें लिखा है कि 'to value and preserve the rich heritage of our composite culture.' That is the Fundamental Duty. And the beauty of it is that there is a provision in the Constitution. It is in Article 48. इसमें लिखा है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय को protect करना चाहिए, सही बात है, लेकिन आप गाय की protection के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, परन्तु मानव के protection के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या Directive Principles of State Policy में एक और आर्टिकल लाना पड़ेगा? क्या गाय की protection is more important than the protection of human beings and human lives? क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा? यह बहुत दुख की बात है। और हुआ यह है कि there's a massive internal displacement, लोग घर-बार छोड़कर चले गए हैं। असलियत यह है कि जो सात-आठ या आपने कहा कि 12 पुलिस स्टेशन हैं, वहां FIR भी दर्ज नहीं हो रही है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप सदन को बताइए कि इस बीच कितनी FIR दर्ज हुई हैं? अब, आज तो 12 मार्च हो गई है और आखिरी दंगा मेरे ख्याल से 29 फरवरी को हुआ था। इस बीच कितनी FIR दर्ज हुईं? मेरे पास एक जानकारी है, उसे मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास एक FIR No. 80 है और यदि कोई दूसरा आदमी आकर कहता है कि मेरी FIR दर्ज करो, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि इसने मुझे मारा, तो वह उसकी FIR दर्ज नहीं करता।

वह उसकी पर्ची उस FIR No. 80 में लगा देता है। यह बड़े ताज्जुब की बात है। मेरे पास ऐसे at least 10 examples हैं, जहां लोग FIR दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसने दंगा किया, किसने फसाद किया, लेकिन उसकी FIR दर्ज ही नहीं होती।

महोदय, please यह मत होने दीजिए, क्योंकि आप तो कहते हैं कि 'सबका साथ, सबका विश्वास ' मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि कहीं उनका विश्वास ही आपके ऊपर से उठ जाए? हम यह नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनका वह विश्वास आपके ऊपर बना रहे, वह विश्वास बरकरार रहे। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने समय तक बोलेंगे, उतना श्री आनन्द शर्मा जी का समय कट जाएगा।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कुछ भी कर लीजिए, समय का हिसाब तो वही रहेगा।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं आपके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, विषय बहुत गंभीर है, इसलिए इस पर और समय बढ़ा देना चाहिए। ...(व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए समय बढ़ा दिया गया है। ...(व्यवधान) ...

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक की, वह सही किया, लेकिन अपने लोगों के ऊपर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, भाई साहब? हमें तो छोड़ दो, देश की जनता को तो छोड़ दो। जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, वे सब CCTV तोड़ रहे थे, ताकि किसी को पता नहीं चले, तो उन्हें तो आप कहते कि अपनी ही जनता पर सर्जिकल स्ट्राइक मत करो।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आखिर में कहना चाहता हूं कि यह देश, एक महान देश है और हमारे देश का संविधान भी एक महान संविधान है। यदि हम इकट्ठे हाथ मिलाकर चलेंगे, तो कुछ न कुछ हम पाएंगे, लेकिन असलियत तो यह है कि हम इकट्ठे नहीं चल रहे हैं और मैं अपने साथियों से भी इल्तिज़ा करना चाहता हूं कि अपने घर के comfort को हम भूल जाएं। भूलना पड़ेगा, हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जो वायरस आप फैला रहे हैं, उसकी दवाई हम ही हैं। ...**(व्यवधान)**... देखिए, यह हंसने की बात नहीं है। आप वाह-वाह करते जाइए,

[श्री कपिल सिब्बल]

लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि,

"बिन खौफ के जब मैं चलने लगा,
हवा का रुख भी बदलने लगा।"

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल: वह रुख बदलेगा। मैं अपने सहयोगी दलों से कहना चाहता हूं कि हम वह रुख बदलकर रहेंगे और हम आपको इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): डा. सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आप बोलिए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरे मन में वेदना भी है, विस्मय भी है और संदेह भी है। वेदना इस बात की है कि जैसा कि कल पिछले सदन में गृह मंत्री जी ने यह बताया कि 52 भारतीयों को अपने प्राण गंवाने पड़े, चाहे उसमें से कई भस्म होकर राख हुए, चाहे कई सुपुर्द-ए-ख़ाक हुए, मगर आज तक यह पता नहीं चला कि जिस आंदोलन के चलते ऐसे हालात पैदा हुए, उसमें कौन-सा लफ्ज़, कौन-सा हर्फ़ था, जो किसी की नागरिकता लेने वाला था? मेरे मन में इस बात की वेदना है। विस्मय इस बात का है भारत के ये दंगे बड़े विचित्र प्रकार के दंगे हुए। सामान्यतः दंगे इस प्रकार से होते हैं कि कोई घटना हो जाती है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, परंतु ये दंगे ऐसे हुए जहाँ पर कोई abrupt reaction नहीं हुआ, तात्कालिक भीषण प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि उसे धीमी-धीमी आँच पर सवा दो महीने से उबाला जा रहा था, जैसे तंदूर की आँच को बढ़ाया जाता है कि heat को उस extent तक ले जाया जाए। ये एकमात्र ऐसे दंगे हुए जहाँ अधिकांश विपक्षी दलों की तरफ से, बड़े-बड़े नेताओं की तरफ से, कभी भी किसी के द्वारा शांति, संयम की अपील नहीं आई, बल्कि बयान और सोशल मीडिया पर reaction अक़सर उकसावे वाले आए। ये दंगे एक ऐसे आंदोलन के द्वारा संचालित हुए, जो भारत की राजनीति का अभूत और अपूर्व आंदोलन था। जितने भी आंदोलन होते हैं, उनमें कोई न कोई प्रतिनिधि होता है, कोई न कोई pointed charter of demand होता है। अन्ना आंदोलन हुआ, तो उसमें बाकायदा प्रतिनिधि थे। उसमें केजरीवाल जी संयोजक बने थे और वे आज तक अपने आपको संयोजक ही कहते हैं। उनकी बिंदुवार मांग थी कि अमुक-अमुक भ्रष्टाचार के केस में कार्यवाही की जाए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, तो श्री राम जन्मूभूमि न्यास समिति भी थी और तथाकथित बाबरी मस्जिद एक्शन के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी थी। उनकी बिंदुवार मांग थी। इसी तरह से आपातकाल के आंदोलन में जयप्रकाश जी संयोजक थे। आज़ादी के जमाने में जब वेवेल प्लान हुआ तो उसकी भी एक specific मांग थी कि मुस्लिम लीग से और उनसे अलग बात नहीं होगी,

साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ, तो उसकी भी एक specific मांग थी कि भारतीय का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा, अन्यथा वह स्वीकार नहीं होगा, रौलेट एक्ट आया तो उसकी भी specific मांग थी कि बग़ैर मुकदमा चलाए किसी को अंदर नहीं रखा जाएगा। परंतु उपसभाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर न कोई प्रतिनिधि था, न कोई डिमांड थी। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि मीडिया में प्रतिनिधि उपलब्ध थे। मैंने अनेक प्रतिनिधियों के साथ रेग्युलर टी.वी. डिबेट की है। उन्हें कोई आकर नहीं रोकता था कि ये मेरे प्रतिनिधि नहीं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि मीडिया से बात करने के लिए तो प्रतिनिधि था, लेकिन जब गृह मंत्री जी ने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, किसी भी समय कोई आना चाहे, तो हम रात को 3 बजे भी बात करने के लिए तैयार हैं, तब कोई प्रतिनिधि नहीं था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बात करने के लिए भेजा, तब भी प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा था। इसको लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है।

महोदय, यह एक और दृष्टि से भारत का विचित्र दंगा था कि जब पहली बार कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर था, यह तब शुरू हुआ।

महोदय, यह एक और बात के लिए भी विचित्र दंगा है कि बाकायदा राष्ट्राध्यक्ष के आने से एक सप्ताह पहले आह्वान किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो 17 फरवरी को अमुक-अमुक को निकलकर सड़कों पर आना है। इससे मन में संदेह और गहरा हो जाता है।

महोदय, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अभी आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने वायरस कहा। यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ गया। मैं तो कहता हूं कि वायरस तो बहुत बाहर से शुरू होकर आया। 14, 15 दिसंबर को बाकायदा भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमने आज तक यह सुना था कि विदेशों में जाकर विदेश के दूतावासों पर प्रदर्शन होता है। यह भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन, Overseas Congres के द्वारा, यह बात तो समझ से परे थी। खैर, किसी सांसद से मिले, उसका denial कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं था, परन्तु उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता, मैं यह तसवीर देखता हूँ, लंदन में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तसवीर लगा कर, आदरणीया सोनिया जी की तसवीर लगा कर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा ऐसे लोग, जिनके पदाधिकारियों के नाम उनकी website पर हैं, उनके बयान available हैं। अरे भाई, अपनी सरकार को सुनाने के लिए यहाँ बात कही जाती है, बाहर किसको सुनाने के लिए बात कही जाती है! विदेशी मीडिया में चार बातें निकलती हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, विदेश का कोई संस्थान प्रश्न पूछ ले, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। यह डोनाल्ड ट्रम्प जी के दौरे के दौरान क्यों किया जा रहा था, ताकि विदेश में बात हो। क्या आवश्यकता है आज विदेश को इतना सुनाने की? अब हम अलग लेवल पर आ गए हैं, हमें लंदन में सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी उनकी हुकूमत रही होगी। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि -

"अपने वतन पर रही है हुकूमत सदियों तक गैरों की,

लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।"

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगला प्रश्न यह किया जाता है कि जब यह हो रहा था, तो गृह मंत्री जी कहाँ थे? कल गृह मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है। आप यह समझिए कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हो, जिसका threat perception world में number one रहता है और खास कर तब, जब बगदादी और सुलेमानी की घटना के बाद हो, तो threat perception कितना high होगा, भारत की सुरक्षा एजेंसी, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को कितने प्रकार के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय dimensions के बीच काम करना पड़ रहा होगा, समस्त संभावनाओं को देख कर काम करना पड़ रहा होगा। इसीलिए आप जो बात कहते हैं कि कोई घटना किसलिए हो रही है, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी को गृह मंत्री जी ने क्या किया, यह रिकॉर्ड पर available है। 24 फरवरी को ...**(व्यवधान)** ... जी बिल्कुल, बता रहा हूँ। 24 फरवरी को शाम को 7 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईबी के निदेशक के साथ बैठक हो रही थी। ...**(व्यवधान)**... दिल्ली के अपर आयुक्त के साथ बैठक हो रही थी। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): प्रदीप जी, इस तरह से बात नहीं करते हैं। आप तो सीनियर सदस्य हैं।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: रात को एक बजे तक इस विषय के ऊपर सजगता के साथ नजर रखने के लिए बैठक चल रही थी। 25 फरवरी को दिन की शुरुआत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से होती है। दोपहर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक पर प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकारियों के साथ, इनके नाम उस सदन में भी बताए गए, उन सारे लोगों के साथ बैठ कर बैठक होती है। 20 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रिमंडल के लोगों को भी इस विषय में बताया जाता है। शाम के समय गृह सचिव, आईबी निदेशक, पुलिस आयुक्त के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री जी की बैठक होती है। 27 फरवरी को दिल्ली में व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हैं, गृह सचिव और आईबी के चीफ के साथ। समय-समय पर यह जानकारी रखने के साथ दिल्ली पुलिस की हर गतिविधि पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए वे क्षण-प्रतिक्षण वहाँ उपस्थित थे। आपके इस प्रश्न को अर्पित गृह मंत्री के दिवस का क्षण-क्षण समर्पित।

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतना ही नहीं, मुझे एक बड़ी विचित्र बात लगी। आह्वान किया गया कि डोनाल्ड ट्रम्प आएँगे, तब यह करना। कल बताया गया कि पहली घटना 24 तारीख को दोपहर 2 बजे हुई और 25 तारीख को मध्य रात्रि पर आखिरी घटना हुई, उसके बाद स्थिति नियंत्रित हो गई। अब ज़रा यह देखिए कि इस प्रकार का घटनाक्रम, बड़ा विचित्र संयोग है कि डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के साथ तिथि नहीं, वार नहीं, घटी और पल का भी मिलान हो रहा है, मानो पंचांग के पूर्व निर्धारित राहु काल के समान पहले से तय था कि अब शुरू होगा और इतने बजे समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह संदेह और गहरा होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा

था। अब यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ दो-सवा दो महीनों से हो रहा था, उसके लिए 72 दिन तक जो आग सुलगाई गई, दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में उसको बुझाने में सफलता पाई, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे। अभी कपिल सिब्बल जी ने भी कहा कि यह highly densely populated इलाका है। शायद यह भारत ही नहीं, एशिया का सबसे densely populated इलाका है। इसके बावजूद क्या आपने कभी देखा कि पुलिस पीछे हट रही है, पुलिस भाग रही है? पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, पुलिस के एक DCP का हेलमेट टूट गया। हेलमेट normal प्रक्रिया में नहीं टूटता। यह तब तक नहीं टूटता, जब तक बहुत heavy rod के साथ बार-बार आघात न किया जाए। इसके बावजूद मुख्य सड़कों पर कार्यवाहियां नहीं हुईं। ऐसा तक सुनने में आया कि टॉप पीक ऑवर्स में प्रति मिनट 10 से 12 पीसीआर कॉल्स आ रही थीं। आप सोच सकते हैं कि उस परिस्थिति में जिस प्रकार की दक्षता का परिचय दिल्ली पुलिस ने दिया है, मेरे विचार से तो वह अत्यंत सराहनीय है। हां, एक बात ज़रूर हो गई है कि इस समय दिल्ली पुलिस की हालत बेचारे इराक की तरह हो गई है। आप पूछेंगे कि इराक क्यों? आप यह समझिए कि अगर अमरीका को सुलेमानी के लिए बम गिराना है, तो इराक की धरती पर गिराना है और जब ईरान को अमरीका के लिए बम गिराना है, तो इराक की धरती पर ही, उसके किसी ठिकाने पर गिराना है। जिसको मौका मिल रहा है, वह उन्हीं पर आघात करने का प्रयास कर रहा है, परन्तु सुरक्षाबलों के मनोबल के साथ हमें इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए।

एक अन्य बात, hate speech के बयान... उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सुना था कि कुछ लोग भविष्यद्रष्टा होते हैं। मैंने यह भी सुना था कि आइंस्टीन ने टाइम ट्रैवल की थ्योरी दी थी कि समय में आगे भी जाया जा सकता है। वही क्षमता मुझे अपने विपक्षी नेताओं के तर्कों में अद्भुत नज़र आती है। 20 जनवरी को अनुराग ठाकुर का बयान, 28 जनवरी को परवेश वर्मा का बयान, 24 फरवरी को कपिल मिश्रा का बयान और इन सब चीज़ों के लिए आह्वान हुआ, 14-15 दिसम्बर को। यानी डेढ़ महीने पहले उनको यह समझ में आ गया था कि भविष्य में यह होने वाला है, इसीलिए वह सारी क्रिया-प्रतिक्रिया उसी समय से आनी शुरू हो गई थी। आप वायरस की उत्पत्ति को समझिए और वायरस की प्रवृत्ति को समझिए। अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि दूसरी तरफ के बयान? नहीं-नहीं, उनके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। फ्री कश्मीर? उसका मतलब कुछ और था। असम को परमानेंट काटना? उसका मतलब कुछ और था। हिन्दुओं से आज़ादी? उसका मतलब भी कुछ और था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़? इन सब बातों का मतलब कुछ और था। इतना ही नहीं, एक सज्जन यहां तक कह देते हैं, "न संसद पर भरोसा है, न सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, नौजवानो, बाहर आओ! सड़क पर निर्णय होगा। "...**(व्यवधान)**... ऐसा कहने वाले लोग...**(व्यवधान)**... ऐसा कहने वाले लोग हर्ष का मंज़र नहीं, तबाही का मंज़र लाते हैं, यह बात आप को समझ लेनी चाहिए।

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

महोदय, मैं यह पूछता हूं कि यह जो कुछ हुआ, वह कहां से शुरू हुआ? जो कहा गया, उसे सुना न माना जाए, जो नहीं कहा गया, उसे सुना मान लिया जाए, जो सीएए में नहीं लिखा, उसे पढ़ा मान लिया जाए और आपकी कमेटियों ने जो लिख कर दिया था, उसे न माना जाए। यह विचित्र तर्क है। अब प्रश्न है कि इसका आगाज़ कहां से होता है? इसका आगाज़ अमानत में ख़यानत के साथ होता है। एक अमानती का ख़यानती बयान और एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए साहब का बयान, जो शुरू में ही 15 तारीख़ को इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस पाए गए थे। ये कोई नये नहीं हैं, मान्यवर, इनकी प्रवृत्ति समझिए। ये वही हैं, जब दिल्ली में औरंगज़ेब रोड का नाम बदला गया था, तो इन लोगों ने ही आकर धरना दिया था कि इस रोड का नाम कलाम साहब के नाम पर नहीं, औरंगज़ेब के नाम पर होना चाहिए। ये वही लोग हैं।

अब आप आगे आइए, उसके बाद क्या हुआ? बढ़ते-बढ़ते यह सिलसिला कहां तक पहुंचा? बढ़ते-बढ़ते यह सिलसिला उसके मकान तक पहुंचा, जहां पूरी दुनिया को दिख रहा था और जग-जाहिर था वह किसका मकान है। उसके ऊपर हथियारों का ज़खीरा और पेट्रोल बमों का ज़खीरा जमा था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी अंकित शर्मा के साथ जो कुछ हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है? अभी आपने दंगों की संख्या की बात कही, तो ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस देश में अनेक बार दंगे हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जिन दंगों में 100 से अधिक लोग मारे गए, उनको हम बड़े, भीषण, भयानक या वीभत्स दंगे कह सकते हैं। ये कौन से दंगे थे? 1967 - रांची के दंगे, 1969 - अहमदाबाद के दंगे, 1970 - जलगांव के दंगे, 1979 - जमशेदपुर के दंगे, 1980 - मुरादाबाद के दंगे, 1983- नेल्ली के दंगे, 1984 - भिवंडी के दंगे, 1984 - दिल्ली के दंगे, 1985 - अहमदाबाद के दंगे, 1989 - भागलपुर के दंगे, 1990 - दिल्ली के दंगे, 1990 - हैदराबाद के दंगे, 1990 - अलीगढ़ के दंगे, 1992 - सूरत के दंगे, 1992 - कानपुर के दंगे, 1992 - भोपाल के दंगे और 1993 - मुम्बई के दंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ये सब कौन से दंगे थे? ये सेक्युलर दंगे थे, लेकिन 2002 में गुजरात में जो दंगा हुआ, वह कौन सा दंगा था? वह साम्प्रदायिक दंगा था। सेक्युलर दंगों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है...**(व्यवधान)**... अगर सेक्युलर दंगों को देखें, तो 18 में से 17 जगह का आरोप आप पर है और एक जगह का आरोप हम पर है। यहां तो एक मजेदार बात यह भी है, यहां आप भी थे और 'आप' भी थे। मैं कहना चाह रहा हूं, आदरणीय कपिल सिब्बल जी, हमारी संस्कृति में कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने गए हैं, इसलिए आप भी इस संख्या पर विचार कर लीजिए, तो आपको स्पष्ट रूप से दूसरी तसवीर दिख जाएगी। अब मैं इस विषय पर आना चाहता हूं कि जो कुछ अंकित शर्मा के साथ हुआ, आप सोचिये यह प्रवृत्ति क्या है? यह बात मानी जा सकती है कि कोई दंगा हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी पर आघात कर दिया, एक-दो चाकू मारे, माना जा सकता है कि प्रतिक्रिया, आक्रोश और

दंगे में हो गया। लेकिन चार सौ चाकू, यह कौन सी प्रवृत्ति है?

महोदय, यह शव को क्षत-विक्षत करने की प्रवृत्ति वही है, जहां सरहद पर सिर काटे जाते थे। यह वही प्रवृत्ति है, जब जवानों के शरीर के क्षत-विक्षत टुकड़े भेजे जाते थे। यह सिर्फ घटना नहीं थी, यह संदेश था। यह किन प्रवृत्तियों का संदेश है, यह उन प्रवृत्तियों का संदेश है, जो कि राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं, आज से नहीं, वर्षों से।

मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, यह पाकिस्तान की सीनेट कमेटी की अक्टूबर, 2016 की रिपोर्ट है। आपमें से यदि कोई चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिये उसमें बिन्दु क्रमांक 8 पर क्या लिखा जा रहा है - "India's own fault lines in their alienated Muslims, Sikhs, Christians and Dalits as well as the growing Maoist insurgency should be highlighted." और इसके लिए दो थिंक टैंकों का साथ लेना है। आगे लिखते हैं - "Modi and his RSS ideology of Hindutva should be targated." अब नौ नम्बर पर क्या लिखा है - The Comprehensive outreach to those segments of Indian public opinion which are opposed to Modi and his anti-Pakistan policies including political parties, media, civil society organisations and human rights groups should be reached." हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई जानकर मिलना चाह रहा है। परन्तु आप समझिये कि कितना गहरा षड्यंत्र हो सकता है, तीन साल पहले से ही यह बात चल रही थी और हम उस चीज़ से अनजान नज़र आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप इस बात को समझना चाहें कि जो कुछ हुआ, तमाम संगठनों के एकाउन्ट्स में पैसा आया और समय-समय पर निकलता गया और उसी के साथ बहुत कुछ दिखता चला गया। क्या यह हमें समझ में नहीं आता कि यह षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है?

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब यह चीज़ आई है, अगर यह इस तरह का षड्यंत्र हमारे पड़ोस में किया जा रहा है तो वह कभी सीधे नहीं आता है, वह एक आवरण लेकर आता है। रावण कभी सीधे सीताहरण करने नहीं आया था, साधु का वेश बनाकर आया था। इस बार एक नया आवरण दिखाई पड़ा। आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। महोदय, मैं बचपन से लेकर किशोरावस्था और उसके बाद युवावस्था पार कर गया, हमें तो यही पता था कि आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, यह किताबों में पढ़ा। गांधी बाबा ने दिलाई, नेहरू जी ने आज़ादी का संघर्ष किया और अब कांग्रेस के नेताओं के ऐसे विडियोज़ आते हैं कि दुधमुंहे बच्चों के सामने आज़ादी, कौन सी आज़ादी। क्या वे स्वीकार करते हैं कि आज़ादी नहीं मिली? आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो आज़ादी का वह दौर भी देखा होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष के नाम में ही आज़ाद है, फिर भी उनकी पार्टी आज़ादी की डिमांड कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह आज़ादी बहुत खतरनाक थी। पहले इस आज़ादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे ज़ेहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए ज़ल्लादी, मगर नहीं दिखी आज़ादी। इसको देखकर

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

मुझे सिर्फ यह लगता है कि जो कुछ किया गया, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद, उस समय तत्कालीन फैज़ाबाद के, आज उसका नाम अयोध्या है, एक बड़े मशहूर शायर रफ़ीक शादानी हुए। उन्होंने उस दौर में दंगों और राजनीति को लेकर एक पंक्ति लिखी थी, वह मुझे बड़ी उचित प्रतीत होती है। उसमें एक प्रतीक है, जो हम समझ सकते हैं। भारत की राजनीति में कुछ प्रतीक बड़े स्थापित हैं। जैसे आप किसी को कहें कि हाफ पैन्ट या काली टोपी तो समझ में आ जाता था, वह किसके लिए कहा जा रहा है, तो उन्होंने यह अवधी भाषा में लिखा -

"न तो नमाज़ी, न तो पुजारी,

तुम्हें मदारी, तुम्हें शिकारी,

जीयो बहादुर खद्दरधारी।

इसके आगे मैं खुद जोड़ देता हूं -

सब देखिन तुम्हरी किरदारी, खद्दरधारी, मफलरधारी। "

इसलिए आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस विषय के ऊपर यह भी समझना होगा कि षड्यंत्र कहां-कहां से हो रहा है तो हमें उसके ऊपर उतना अधिक गम्भीरता और सजगता से ध्यान भी रखना होगा। आज़ादी की बात करने वालों का हमें ध्यान रखना होगा कि यह कहीं हमारे लिए बहुत घातक किस्म का आन्दोलन बनाने का षड्यंत्र तो नहीं है। आदरणीय अटल जी की एक कविता की पंक्ति शायद आप सबने सुनी हो तो याद आ जाए। आज़ादी पर उन्होंने लिखा था -

"अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो,

अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ।

ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो,

आज़ादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ।"

इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार के जो विषय उठाये जा रहे हैं, ये देश के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं, वरिष्ठ हैं, क्यों इस प्रकार की बात करते हैं?

हिन्दी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं- बिहारी लाल जी। जब मिर्ज़ा राजा जय सिंह औरंगजेब के ज़माने में आसपास के राजाओं के इलाकों के ऊपर बहुत कब्जा कर रहे थे, उसका लाभ प्रकारांतर से औरंगजेब को मिल रहा था, तो बिहारी जी ने एक दोहा लिख कर उनको भेजा था। उन्होंने कहा था कि:

"स्वारथु सुकृतु न श्रमु वृथा, देखि विहंग विचारि।

बाज पराये पानि परि तू पछिनु न मारि?"

यानी न इसमें कोई स्वार्थ है, न कोई अच्छा कार्य है, पराये लोगों को इसका फायदा होने वाला है। आपमें बाज के रूप में शक्ति है, छोटे-छोटे पक्षियों को मत मरने दीजिए। वैसे बिहारी जी ग्वालियर के रहने वाले थे। जयपुर के महाराजा को उस समय समझ में आया। अब शायद ग्वालियर के महाराजा जी को भी बेहतर ढंग से समझ में आ गया है।

अन्त की तरफ बढ़ते हुए मैं यह बात कहना चाहूँगा। ...**(व्यवधान)**... महत्वपूर्ण बात है। मैं एक क्वोट बोलता हूँ। "No future goal justified violence in the present; it could not be the means to any political end. Self-discipline is crucial to self-sovereignty, swaraj." यह किसके भावों की अभिव्यक्ति है? आज से लगभग 100 साल पहले, 98 साल पहले महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आन्दोलन चलाया था और उस समय कुछ लोग सड़कों पर निकल आये थे, घर से बाहर सड़कों पर आ गये थे और आगजनी करने लगे थे, तब उन्होंने सारा आन्दोलन रोक दिया था, चौरीचौरा कांड के बाद, और उन्होंने कहा था कि मैं-- यद्यपि उनका कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं था, उन्होंने कहा था कि "मैं नेता के नाते व्यक्तिगत अपने ऊपर इसका दायित्व लेता हूँ। हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया का कोई स्थान नहीं हो सकता। स्वराज्य में सबसे पहले स्वानुशासन हो सकता है। " इतना ही नहीं, आप सबको शायद ध्यान हो, लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या बोला कि "हमारा आन्दोलन विफल हो गया, परन्तु हमारी विफलता हमारे नेता की विराटता और महानता की तुलना में बहुत छोटी है।" आज 100 साल के बाद, सड़क पर आओ और आर-पार की लड़ाई करो..। वही पार्टी है। ...**(व्यवधान)**... वही पार्टी है, वही लोग हैं। 1949 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज भी वही परिवार के अध्यक्ष हैं। गांधी, वे महात्मा गांधी थे, ये आज के गांधी हैं और आकर कह रहे हैं कि आर-पार की लड़ाई की बात करो। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गये!

श्री बी.के. हरिप्रसाद: वाजपेयी जी ने कहा था ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): नहीं, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: आप बताइए न? सड़क पर आकर आर-पार की बात किसने की थी? ...**(व्यवधान)**... आर-पार की बात 16 अगस्त, 1946 को Direct Action के लिए हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी विराट पार्टी, इतना विराट नेता, इतना वरिष्ठ व्यक्ति और इसके बावजूद ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसाद: सर ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रदीप टम्टा: सर ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: यह आपके लिए विचार करने का विषय है।

रेल मंत्री; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदय, हम अपने समय के अन्दर ही रहेंगे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं समय की बात नहीं कह रहा हूँ।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप चेयर को एड्रेस कीजिए। इधर-उधर मत देखिए। ...**(व्यवधान)**... आप बोलते जाइए। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी से आज के गांधी तक आते-आते ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गये? ...**(व्यवधान)**... हाँ, यह बताइए कि आर-पार की लड़ाई की बात करना गांधीवाद है या गोडसेवाद है? ...**(व्यवधान)**... बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसाद: सर ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रदीप टम्टा: सर ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): सुधांशु जी, आप सीधा चेयर को एड्रेस कीजिए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि ये इस विषय पर कहना चाहते हैं, तो एक पंक्ति मैं कहना चाहूँगा। महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई हाड़-मांस के व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे, वे राष्ट्रपिता थे। ...**(व्यवधान)**... मगर महात्मा गांधी का ...**(व्यवधान)**... हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं जवाब दे रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**... उपसभाध्यक्ष जी, महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्शन क्या था? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): केवल सुधांशु जी की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**... दूसरा कोई बोले, तो वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, सारा देश जानता है कि महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्शन था- "राम राज्य", नित्य का भजन था- "रघुपति राघव राजा राम " और अन्तिम शब्द था-

"हे राम", जो आज तक उनकी समाधि पर लिखा है। जिस दिन 2007 में हलफनामा देकर कहा गया कि राम थे ही नहीं, गांधी जी के व्यक्तित्व और आत्मा की हत्या उस दिन हुई। ...**(व्यवधान)**...

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस घटना ने जो कुछ इस देश में किया है, उससे किसी भी व्यक्ति के मन में करुणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मगर उस करुणा की आड़ में जो राजनीतिक बवंडर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके प्रति सजगता भी आवश्यक है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी अपने जीवन में उस स्थिति से जाकर क्षण-क्षण, तृण-तृण समर्पित करते हुए राजनीति के जिस मुकाम पर पहुँचे और पद पर आने के बाद से पहले दिन से उन्होंने जिस प्रकार की स्थिति देश में निर्माण करने का प्रयास किया, आज ये सब करके जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे मुझे लगता है कि शायद उनके मन से यह बात निकलती होगी कि

"अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है,

क्या वह केवल अवसाद-गलिन झरते आँसू की माला है?"

हम वह आँसू की माला लोगों की आँखों में नहीं आने देंगे। मैं अंत में सिर्फ एक वाक्य कहूँगा और यह समझ लीजिए कि मैं यह प्रधान मंत्री जी के तरफ से या सरकार की तरफ से कह रहा हूँ:

"तू अगर मेरे साथ नहीं है, तो इसमें तेरी खता भी नहीं,

क्योंकि हर शख्स मेरा साथ निभा सकता भी नहीं

वैसे तो एक आँसू भी बहा ले जाए मुझे,

मगर ऐसे कोई तूफान भी हिला सकता नहीं।

धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री देरेक ओब्राईन। आपके 2 मिनट हैं।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, we will begin this by looking at the events in Delhi through the eyes of not men, not women, but, we will begin by looking at this through the eyes of children. Two brothers went missing for days, their bodies were later found in a drain. A 10 year old saw people carrying guns and swords and firing and he was scared. Three children of a man in uniform lost their father. We have all seen the picture of a girl bashed against the wall, she was left bleeding. Sir, these are deep scars of violence which have left children damaged. We were looking for

[Shri Derek O'brien]

answers for the last twelve days, not to have a debate on who won political points. We were looking for the 'R's, we were looking for healing, for relief, for rehabilitation, for reconciliation; these children were looking for answers. I am afraid what we heard in Lok Sabha yesterday or this political rhetoric what we heard just now, we gave no answers to these children. If you tell these children thirty-six hours or 700 FIRs or 12 meetings or 1984, these are not the answers. Where are the answers? The children of India believe that you are only half a Home Minister, if you are HM. The children of India want you to believe and make you a full Home Minister, if you are HM, you are a Home Minister and a humanity Minister, and for that, you need to feel the humanity. Sir, today, I am hearing people who quote Gandhi, but, worship Godse. I would like to remind the Members that today is a significant day because ninety years ago, on this day, Gandhiji started the Salt Satyagraha. Sir, through you, I want to give some advice to the Home Minister, whom I heard with great attention yesterday, as to how did he react to this carnage in Delhi. He explained to us that he could not go there because there would be police going and people going and it will distract everybody. So, I want to take him back to the special day of Gandhiji of 1946, how did Gandhiji react? Sir, this was at Noakhali in East Bengal. He walked ten kilometers, he stayed there for three months and he said "I am not leaving this place until the last embers of trouble are stamped out, if necessary, I will die here". So, those were different days. Everything we are saying today is how do we do this so that we can win an election. Sir, elections cannot be the be-all and the end-all of life because we all know that there is enough data to suggest which is the one political party which benefits after these kinds of things happen. But, I do not want to go there. I want to start by quoting what Ms. Mamata Bannerji, the Chief Minister of West Bengal, said days after this happened. "The way people have been murdered in Delhi, it is a planned genocide. I condemn it." Again, to these children, these words won't make any difference, whether you call it a genocide or riot or pogrom or carnage, it doesn't make any difference. Actually, genocide is a process, and we need to understand this. If you look back at history, genocide did not start with the gas chambers. Zup! And you got gas chambers. No. If you look at the first genocide of 1945, the Second World War, it started with inciting slogans, and I want to draw a difference here without getting into numerous slogans. You use inciting slogans in Bengal, you will be arrested in twenty-four hours. Nine were arrested in Delhi. We don't want to get arrested here because then, one or two Members

from here also, have to go. Now, the way these slogans were made, the way the bigotry was spread, the way the hate was spread, it is very difficult to believe that this does not have the sanction from the top. And what happened here? The police have to be complicit. I go back to my Second World War story because the Gestapo and the German police, they were all part of the overall plan. The Delhi Police for thirty-six hours or seventy-two hours, we are saying this with responsibility, were turned out. They were turned on again. I don't say that the Delhi Police is a bad police force. I am sure there are many brave men there. The Prime Minister takes his time, seventy horus. But, I want to congratulate the people who did do a good job. Young boys and girls, below thirty, from the Indian Media, I salute their courage; I salute their conviction, because putting their own life at risk, handling a Government with an absolute majority and a Total itarian view of life, they still went there and showed courage and conviction. And, through you, Sir, today, I want to appeal to those media owners to stand up and show the same courage and conviction which your young reporters showed. Don't be scared of them. No, stand up, be encouraged, because today, I also want Young India to take a look at the pictures of a judge, when he is transferred from Delhi. Look at those pictures. You don't need a single word more to say. Enough said. It is another matter, then, you also get threatened on one floor of the House. Where are we headed today? Of course, this Government has achievements, and as an Opposition Party, we must acknowledge these achievements, and they are big achievements, pogroms, lynchings, a completely torn social fabric, a ravaged economy with failing banks, job losses, damaged international standing, subverted institutions and fallen democratic norms. Sir, for the healing touch, what can we, as a political party, do? In our small way, we opened up a benevolent fund. We are trying to find out how to reach the right people because it is not about fifty five people. There are thousands who are homeless. They are scared to go back to their homes. Tell us Mr. Home Minister, how will you heal, how will you reconcile when we have been asking for this debate in Parliament for the last ten days, after the week end, you come back? We were not here to accuse you, what you can do or what you can't do or what happened in 1984. No. I have a few direct questions also because I think, this is a time for healing; this is a time for reconciling, but this is also a time to ask some hard questions. Yesterday, we heard from the Home Minister all social media accounts that spread hate speeches will be brought to book. Mr. Prime Minister, Mr. Home Minister, you are a Prime Minister and Home Minister. You start,

[Shri Derek O'brien]

lead by example. First stop following all those handles which are spreading bigotry and hate. Tell us today on the floor of the House, assure us, assure those children in Delhi. You said, Delhi Police did a good job. Then, I want to ask you. If the Delhi Police did so well, why was the chain of command superseded and the NSA deployed? Answer this question today on the floor of the House. Or, is the new role of the NSA to control riots? My third point is that you suddenly now stopped talking about CAA. I have been watching your last few speeches. You stopped talking about NRC. I say, you should stop doing NRC. We had been warning you from before that CAA, NRC and NPR together are a toxic combination.

Fourthly, we understand that the police need facial recognition to do their job for national security. But, are you using technology to identify people in a crowd? Did you admit yesterday, on the floor of the House, that people's personal data is being used to identify them.

Sir, lastly, one question to you. Can you assure on the floor of the Parliament about one thing? It is a case of a doctor. The patient has died and then you said, 'This pressure was wrong, that pressure was wrong.' But, there are fifty people who are dead. Who is responsible? The Home Minister has to take the responsibility. There is no other way. The Prime Minister has to be responsible. Assure this House that there will not be a second carnage. So, we don't have to quote 1984 and 2002. Did I say 2002? It is the same thing actually! It is the same thing. It is 2002. You freak one number around and it is 2020! It is the same thing. It is blood on the hands. It is the same man. It is the same innocent blood. It is the same sadness. It is the same trauma and the same cover-up. It is the same model. It is, Sir. गिद्ध की सरकार, लाशों का कारोबार। That is the way it is, Sir, and the people know this.

Sir, we want deep reconciliation. We want the wounds to be healed. Let me end by a quote in Bangla. Let me speak in Bengali. I shall quote from the poem of Kazi Nazrul Islam:

*"Duliteche Tori Fuliteche Jol, Bhuliteche Majhi Poth,

Chiriyache Paal Ke Dhoribe Haal, Aache Kaar Himmot!"

"The boat rocks, the ocean swells, the boatman lost his bearings, The sails are ripped, who will now take the helm? Who has the daring?"

---

*English portion of the Bengali speech.

I do not see anyone having that kind of courage. Now let me say, not in the words of Nazrul, but mine: Yes, there is one person with that kind of courage. Where unity in diversity is celebrated, where we actually see unity in diversity, we can find the answer there. Where should we look it for? The pride of Bengal —Mamata Banerjee.

"The boat rocks, the ocean swells, the boatman lost his bearings, The sails are ripped, who will now take the helm? Who has the daring?"

Thank you, Sir.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, the Rajya Sabha is discussing a very sensitive and delicate issue. First of all, I condemn the riots and subsequent violence that have taken place in the north-east Delhi. I am deeply hurt and depressed that the violence has torn the secular fabric of our country. I express our deep-felt condolences to the families who have lost their loved ones and pray for the early recovery of all their people.

Sir, the law and order situation in Delhi is not only being discussed in Indian Parliament, but is also being discussed in the Parliaments of the United Kingdom, Indonesia, Iran, Turkey and Malaysia. This is a matter of concern. Since the Delhi Police is under the Union Home Ministry, it is the moral responsibility of the Government of India to maintain law and order in the region and to deal with the situation. Sir, today the major minority community in the country is really scared. They have a complaint. They have a problem. They are worried that if you go ahead with the present NPR and NRC, it is going to affect their citizenship. They are scared. Nineteen masjids have been damaged, four cylinders were put inside a masjid and the masjid was burnt. Saffron flag was being erected on a masjid. More than 53 people have been killed and 500 people have been injured and hospitalised. FIRs should be filed immediately by the Delhi Police against all perpetrators as well as inciters of the violence without any bias and prejudice. I also urge that a judicial inquiry be conducted by a sitting Judge of the High Court/Supreme Court to ensure impartial inquiry. The Government should know what went wrong there. In Shaheen Bagh, only anti-CAA protestors had been participating in dharna while in Jafrabad, not only anti-CAA, but also pro-CAA people were involved. On 23rd February, one politician had proclaimed as if he is the Home Minister of this country giving three days ultimatum to Delhi Police to get the roads cleared. "Do not

try to convince us. After this, we will not listen to you. Just three days", he warned the Police. The things went horribly wrong on 24th, 25th and 26th. What had happened? There was looting. There was unbridled arson on the streets of Jafrabad. Fifty-three people were killed, more than 500 injured, mosques were burnt to ashes, one school was burnt, 122 houses were burnt and 200 cars and 300 motor cycles were burnt. The whole of North-East Delhi was fully under the control of the anti-social elements. Sir, the primary responsibility to protect life and property of the people of this country rests with the Home Ministry. The Delhi Police directly comes under the control of the Union Home Ministry. The Delhi Police officials were mere spectators there. Even the media persons were not left out. The media persons belonging to CNN, NDTV, Times of India, Reuters, India Today and News18 were mercilessly attacked. All happened during the broad day light. The African-American leader, Sir Martin Luther King Jr. once said, "People fail to get along because they fear each other; they fear each other because they do not know each other; they do not know each other because they have not communicated with each other. We must learn to live together like friends; not perish together like fools." This suits exactly with the present situation. I am really unhappy. Sir, India faces danger from the trinity of social disharmony, economic slowdown and a global health epidemic. I deeply worried that this potent combination of risk may not only rupture the soul of India, but also diminish our global standing as an economic and democratic power in the world. The Prime Minister's *Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas*, which the world believed, I think, has taken a beating. The image of the Home Minister, as a strong administrator, has taken a bit of beating. Sir, there is a reason to believe that there was definitely some kind of conspiracy that played out in these riots. The U.S. President was here in the full glare of the international media and in the full glare of the US top level contingent which was in Delhi, when these riots happened. As a concerned citizen of India, I feel completely embarrassed and disturbed by what happened. The Constitution of India, in its Preamble, talks about fraternity, and the fraternity must ensure the dignity of the individual. If only the Government clarifies and ensures it in the entire country, this would raise the morale of the minorities. I hope you will reach out to the minorities. India is a secular country. On the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, we want 'Ahimsa' to be a part of the Preamble of our Constitution. Perhaps, this is the apt time that we seriously consider that Ahimsa now becomes an integral part of our life, and our Constitution must include the term 'Ahimsa'.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन बहस कर रहा है। कल लोक सभा में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और उस पर माननीय गृह मंत्री जी का जवाब भी हम लोगों के सामने है। सर, बहुत से सवाल हैं, जो इधर से भी आ रहे हैं और उधर से भी आ रहे हैं। आज से कोई 50-60 साल पहले साहिर लुधियानवी ने एक सवाल पूछा था। मुझे exact तारीख तो नहीं पता है। मैं उस सवाल के बारे में जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद साहिर साहब ने वह सवाल आज की सरकार से और आज के गृह मंत्री जी से पूछा था, जो 50-60 साल के बाद भी आज प्रासंगिक है-

"ऐ रहबर-ए-मुल्क-ओ-कौम बता

ये किसका लहू है कौन मरा।

ये जलते हुए घर किसके हैं

ये कटते हुए तन किसके हैं,

तकसीम के अंधे तूफ़ान में

लुटते हुए गुलशन किसके हैं,

बदबख्त फिजायें किसकी हैं

बरबाद नशेमन किसके हैं,

कुछ हम भी सुनें, हमको भी सुना

ऐ रहबर-ए-मुल्क-ओ-कौम बता

ये किसका लहू है कौन मरा ।"

मैं चाहता हूं कि जब माननीय गृह मंत्री जी अपना जवाब दें, तो साहिर लुधियानवी के इस सवाल का जवाब भी आपको देना चाहिए।

†**جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش) :** مانَنے اپ سبھا ادھیکش جی، ایک بہت ہی گمبھیر اور اہم مدّعے پر سدن بحث کر رہا ہے۔ کل لوک سبھا میں بڑی تفصیل سے چرچا ہوئی

†Transliteration in Urdu script.

اور اس پر مائنے ہوم منسٹر صاحب ک جواب بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ سر، بہت سے سوال ہیں، جو ادھر سے آرہے ہیں اور ادھر سے آرہے ہیں۔ آج سے کوئی پچاس-ساٹھہ سال پہلے ساحر لدھیانوی نے ایک سوال پوچھا تھا۔ مجھے exact تاریخ تو نہیں پتہ ہے۔ میں اس سوال کے بارے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ساحر صاحب نے وہ سوال آج ہی سرکار سے اور آج کے ہوم منسٹر جی سے پوچھا تھا، جو پچاس-ساٹھہ سال کے بعد بھی آج پراسنگک ہے -

اے رہبر ملک و قوم بتا
یہ کس کا لہو ہے کون مرا
یہ جلتے ہوئے گھر کس کے ہیں
یہ کٹتے ہوئے تن کس کے ہیں
تقسیم کے اندھے طوفان میں
لٹتے ہوئے گلشن کس کے ہیں
بدبخت فضائیں کس کی ہیں
برباد نشیمن کس کے ہیں
کچھہ ہم بھی سنیں، ہم کو بھی سنا
اے رہبرِ ملک و قوم بتا
یہ کس کا لہو ہے کون مرا

میں چاہتا ہوں کہ جب مائنے ہوم منسٹر صاحب اپنا جواب دیں، تو ساحر لدھیانوی کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو دینا چاہئے۔

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): यह पार्टिशन के समय की बात है। आपको date याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है।

श्री जावेद अली खान: मैंने कहा आज भी प्रासंगिक है।

†*جناب جاوید علی خان : میں نے کہا آج بھی پراسنگک ہے۔

†Transliteration in Urdu script.

4.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप चेयर को देखकर बोलिए।

श्री जावेद अली खान: आज के हालात क्या हैं? इस पक्ष से कुछ और कहा जाता है, हमारी तरफ से कुछ कहा जाता है और उधर से कुछ कहा जाता है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं देश के एक ऐसे बड़े नेता के बयान को यहां रखना चाहूंगा और आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा, जिनका across party lines पूरे देश के अंदर बड़ा सम्मान है। जिनकी देश के प्रति निष्ठा पर, जिनकी धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा पर, जिनकी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा पर कोई सवालिया निशान आज किसी पक्ष की तरफ से लगाया नहीं जा सकता। मैं शिरोमणि अकाली दल के सर्वेसर्वा माननीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी, जो हमारे लिए सम्मानित हैं, मैं उनके बयान को यहां उद्धृत करना चाहता हूं। इन हालातों पर उन्होंने क्या कहा - *There are three main ideas enshrined in our Constitution: Secularism, socialism and democracy. Today, there is no secularism, nor any socialism. The rich are getting richer, the poor are becoming poorer. However, democracy is present only at two levels –one is parliamentary elections, and the other is State elections. Rest, it can t be found anywhere either."

इसका मतलब क्या है? बादल साहब कोई राजनैतिक लाभ की प्राप्ति के लिए तो ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। बादल साहब उम्र के अब जिस पड़ाव में हैं, वहां उनसे कम गंभीर होने की भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं यह चाहता हूं कि हमारी न मानें, विपक्ष की न मानें, लेकिन आज की जो हमारी मौजूदा सरकार है, कम से कम उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रकाश सिंह बादल जी के बयान का संज्ञान लेना चाहिए और उस पर बहुत ज्यादा न चल सकें, सौ कदम न चल सकें, तो दस, बीस या पचास कदम बादल साहब के बताए हुए रास्ते को या उनकी जो स्थिति है, उस पर गौर करके दो-चार कदम आगे बढ़ना चाहिए। कल बड़ी तारीफ की गई और दिल्ली पुलिस को सारा का सारा समर्थन गृह मंत्रालय से मिला और मिलना भी चाहिए, आखिर उस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन जब तक दिल्ली की पुलिस हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री नरेश गुजराल जी के पत्र का संतोषजनक जवाब नहीं देती है...

माननीय मंत्री जी, तब तक मैं किसी भी तरीके से दिल्ली की पुलिस को दी जाने वाली clean chit को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। नरेश गुजराल जी ने क्या लिखा था - उस पत्र की प्रति आपकी नज़र से भी गुज़री होगी, मेरे पास भी उस पत्र की प्रति है - उन्होंने अपने दुख को बयान करते हुए कहा कि एक एमपी की शिकायत के बावजूद भी, जिन लोगों का नाम और पता उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बताया था, दिल्ली की पुलिस ने उन्हें रत्ती भर राहत पहुंचाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तो कम से

[श्री जावेद अली खान]

कम इस बात पर भी रोशनी डालिएगा। चलिए, हम फोन करते या टीएमसी वाले करते या सीपीएम वाले करते या कांग्रेस वाले करते तो आपके हिसाब से पुलिस चल रही थी, शायद हमें वह ignore कर देती, लेकिन गुजराल साहब के फोन को, उनकी शिकायत को ignore करने की कौन सी मजबूरियां दिल्ली पुलिस की रहीं कि उस पर भी कोई गौर और फिक्र दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। बहुत सारी बातें कही गयीं, आरोप लगाए गए - अगर आप 2002 की बात करोगे तो हम 1984 की बात करेंगे, तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो इस प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं कि 1984 में इतना हुआ था तो 2002 में इतना हुआ और जो कमी रह गयी, उसे अब हम 2020 में पूरा करेंगे, यह कोई बहुत healthy trend कम से कम विचार-विमर्श करने का या बहस का नहीं है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, खास करके इतिहास में राजनैतिक लाभ के लिए जो कदम उठाए गए या जो काम किए गए, चाहे वे साम्प्रदायिक तरीके से हों या दूसरे तरीकों से हों, लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे उद्धरण मेरे हाथ में हैं, समय कम होने की वजह से मैं उन्हें पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी और सदन से कहना चाहूंगा कि इन पर वे गौर करें। ...(**समय की घंटी**)... 1969 - अहमदाबाद के riots, जस्टिस जगमोहन रेड्डी कमीशन, 1970 - भिवंडी के riots, जस्टिस डी.पी. मदान कमीशन, 1971 - Tellicherry, केरल में कुन्नूर जिले का है, वहां के riots, जस्टिस जोसफ कमीशन, 1979 में जमशेदपुर के riots - जस्टिस जितेन्द्र नारायण कमीशन और 1982 में कन्याकुमारी के riots, जो हिन्दू और क्रिश्चियंस के riots थे, उसमें जस्टिस वेणुगोपाल कमीशन - इन सब कमीशंस की रिपोर्ट्स के उद्धरण मेरे पास हैं, मैं चाहता हूं कि आज वे देश के सामने होने चाहिए। इन सारे के सारे कमीशंस ने एक खास राजनैतिक विचार, एक खास राजनैतिक परिवार, जो इस देश के अंदर तबाही और बरबादी मचाना चाहता है, उसकी तरफ नाम लेकर इशारा किया है - सब समझ गए होंगे। कमीशंस के बारे में कहा जा सकता है कि इनकी leniency किसी तरफ थी या इनका झुकाव किसी तरफ था। ...(**समय की घंटी**)... हमारे सदन के एक सदस्य हैं, वे यहां पर मौजूद थे, अभी चले गए हैं, एम.जे. अकबर साहब - जमशेदपुर के riots के बाद उनकी एक बड़ी मशहूर किताब 'Riot After Riot' आयी है, उसके अंदर उन्होंने तत्कालीन एक परिवार या संघ या जो भी कहिए, उसके सरवरा का नाम लेकर उनकी तरफ इंगित किया था कि किस तरीके से दंगों को संचालित किया जाता है। आखिर में, क्योंकि समय कम है, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा।

†**جناب جاوید علی خان :** آج کے حالات کیا ہیں؟ اس پکش سے کچھہ اور کہا جاتا ہے، ہماری طرف سے کچھہ کہا جاتا ہے اور ادھر سے کچھہ کہا جاتا ہے۔ مانئے اپ سبھا

†Transliteration in Urdu script.

ادھیکش جی، میں دیش کے ایک ایسے بڑے نیتا کے بیان کو یہاں رکھنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جن کا across party line پورے دیش کے اندر بڑا سمّان ہے۔ جن کی دیش کے تئیں نشٹھا پر، جن کی دھرم نرپیکشتا کے تئیں نشٹھا پر، جن کی لوک تنتر کے تئیں نشٹھا پر کوئی سوالیہ نشان آج کسی پکش کی طرف سے لگایا نہیں جا سکتا۔ میں شرومنی اکالی دل کے سروےسروا مانّنے شری پرکاش سنگھ بادل جی، جو ہمارے لئے سمّانت ہیں، میں ان کے بیان کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان حالاتوں پر انہوں نے کیا کہا۔

"There are three main ideas enshrined in our Constitution: Secularism, socialism and democracy. Today, there is no secularism, nor any socialism. The rich are getting richer, the poor are becoming poorer. However, democracy is present only at two levels —one is parliamentary elections, and the other is State elections. Rest, it can't be found anywhere either."

اس کامطلب کیا ہے؟ بادل صاحب کوئی راجنیتک فائدے کو حاصل کرنے کے لئے تو ایسا بیان دے نہیں سکتے ہیں۔ بادل صاحب عمر کے اب جس پڑاؤ میں ہیں، وہاں ان سے کم گمبھیر ہونے کی بھی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نہ مانیں، وپکش کی نہ مانیں، لیکن آج کی جو ہماری موجودہ سرکار ہے، کم سے کم انہیں راشٹریہ جن-تانترک گٹھہ بندھن کے سب سے پرانے اور سب سے سینئر سہیوگی شری پرکاش سنگھ بادل جی کے بیان کا سنگیان لینا چاہئے اور اس پر بہت زیادہ نہ چل سکیں، سو قدم نہ چل سکیں، تو دس، بیس یا پچاس قدم بادل صاحب کے بتائے ہوئے راستے کو یا ان کی جو حالت ہے، اس پر غور کرکے دو چار قدم آگے بڑھنا چاہئے۔ کل بڑی تعریف کی گئی اور دہلی پولس کو سارا کا سارا سمرتھن ہوم منسٹری سے ملا اور ملنا بھی چاہئے، آخر اس ڈیپارٹمینٹ کے منتری ہیں، لیکن جب تک دہلی کی پولس ہمارے

[श्री जावेद अली खान]

اس سدن کے مانئے سدسئے شری نریش گجرال جی کے لیٹر کا سنتوش جنک جواب نہیں دیتی ہے۔

مانیئے منتری جی، تب تک میں کسی بھی طریقے سے دہلی کی پولیس کو دی جانے والی کلین چٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نریش گجرال جی نے کیا لکھا تھا۔ اس لیٹر کی کاپی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، میرے پاس بھی اس لیٹر کی پرتی ہے۔ انہوں نے اپنے دکھ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایم پی کی شکایت کے باوجود بھی، جن لوگوں کا نام اور پتہ انہوں نے دہلی کے پولیس کمشنر کو بتایا تھا، دہلی کی پولیس نے انہیں رتّی بھر راحت پہنچانے کی دِشا میں کوئی کام نہیں کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جواب دیں تو کم سے کم اس بات پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ چلیئے، ہم فون کرتے یا ٹی ایم سی والے کرتے یا سی پی ایم والے کرتے یا کانگریس والے کرتے تو آپ کے حساب سے پولیس چل رہی تھی، شاید ہمیں وہ نظرانداز کردیتی، لیکن گجرال صاحب کے فون کو، ان کی شکایت کو نظرانداز کرنے کی کون سے مجبوریاں دہلی پولیس کی رہیں کہ اس پر بھی کوئی غور اور فکر دہلی پولیس نے نہیں کیا۔ بہت ساری باتیں کہی گئیں، آروپ لگائے گئے۔ اگر آپ 2002 کی بات کریں گے تو ہم 1984 کی بات کریں گے، تو میں ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو اس پرتیسپردھا میں پڑتے ہیں کہ 1984 میں اتنا ہوا تھا تو 2002 میں اتنا ہوا اور جو کمی رہ گئی، اسے اب ہم 2020 میں پورا کریں گے، یہ کوئی بہت healthy trend کم سے کم وچار ومرش کرنے کا یا بحث کا نہیں ہے۔ میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، خاص کرکے تاریخ میں راجنیتک لابھ کے لیے جو قدم اٹھائے گئے یا جو کام کیے گئے، چاہے وہ سامپردائک طریقے سے ہوں یا دوسرے طریقوں سے ہوں، لیکن تاریخ کے کچھ ایسی ادّرم میرے ہاتھ میں ہیں، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں انہیں پڑھونگا نہیں، لیکن میں مانیئے گرہ منتری جی اور سدن سے کہنا چاہونگا گا کہ ان پر وہ غور کریں۔ ...(وقت کی گھنٹی)... 1969 ۔ احمدآباد کے riots، جسٹس جگموہن ریڈی کمیشن، 1970۔ بھونڈی کے riots ، جسٹس ڈی پی مدان کمیشن، 1971۔ تیرشری، کیرل میں کُنّور ضلع کا ہے، وہاں کے riots

، جسٹس جوزف کمیشن، 1979 میں جمشید پور کے riots- جسٹس جتیندر نارائن کمیشن اور 1982 میں کنیا کماری کے riots، جو ہندو اور کرشچئین کے تھے، اس میں جسٹس وینوگوپال کمیشن۔ ان سب کمیشنس کی رپورٹس کے اڈرن میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج وہ دیش کے سامنے ہونے چاہئیے۔ ان سارے کے سارے کمیشنس نے ایک خاص راجنیتک پریوار، جو اس دیش کے اندر تباہی اور بربادی مچانا چاہتا ہے، اس کی طرف نام لیکر اشارا کیا ہے۔ سب سمجھ گئے ہونگے۔ کمیشنس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی leniency کس کی طرف تھی یا ان کا جھکاؤ کس کی طرف تھا ...(وقت کی گھنٹی)... ہمارے سدن کے ایک سدسینے ہیں، وہ یہاں پر موجود تھے، ابھی چلے گئے ہیں، ایم جے اکبر صاحب۔ جمشید پور کے riots کے بعد ان کی ایک بڑی مشہور کتاب 'Riot After Riot' آئی ہے، اس کے اندر انہوں نے تتکالین ایک پریوار یا سنگھ یا جو بھی کہیئے، اس کے بعد سربراہ کا نام لیکر ان کی طرف اِنگِت کیا تھا کہ کس طریقے سے دنگوں کو سنچالت کیا جاتا ہے۔ آخر میں، کیوں کہ وقت کم ہے، میں لمبی بات نہیں کہونگا۔

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जांटेया): समय हो गया है।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): नहीं, अभी नहीं हुआ।

श्री जावेद अली खान: सर, अभी मेरे पास समय है।

† جناب جاوید علی خان : سر، ابھی میرے پاس وقت ہے۔

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): हो गया है, माइनस हो गया है।

श्री जावेद अली खान: सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी बात कपिल मिश्रा की की जाती है, जो रास्ते खाली करवाने का दावा कर रहे थे ; कभी एक चौधरी साहब हैं, वे कहते हैं कि सारे बलात्कारी हैं, तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे; एक ठाकुर साहब हैं, उन्होंने शूटिंग के ऑर्डर भी जारी कर दिए थे क्योंकि मंत्री के मुंह से निकला हुआ वाक्य आदेश होता है। एक साहब और हैं, जो 5 करोड़ का दम्भ भर रहे थे, वहां खड़े होकर 15 करोड़ और 85 करोड़ की बात कर रहे थे। एक साहब हैं, जिनका कई साल से वीडियो चलता है और वे 15 मिनट की धमकी देते हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वे चाहे गोली चलाने वाले ठाकुर साहब हों, चाहे रास्ता खाली कराने वाले मिश्रा जी हों और चाहे वे 15 करोड़ वाले पठान साहब हों या 15 मिनट वाले छोटे भाई जान हों, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ भी नहीं हैं, ये खिलौने हैं और माननीय गृह मंत्री जी, जितनी चाबी आप इन खिलौनों में भरते हो, ये उतनी दूर तक जाते हैं, इनका अपने आप में कोई वजूद नहीं है।

---

†Transliteration in Urdu script.

[श्री जावेद अली खान]

आखिर में, मैं दिल्ली के सभी हिन्दुओं से, सभी मुसलमानों से, सभी सिखों से, सभी ईसाइयों से, सभी धर्मों के लोगों से अपनी पार्टी की तरफ से यह अपील करते हुए कहना चाहता हूं कि दिल्ली के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आखिरी बात यह कहना चाहूंगा कि कल आपने कहा था कि आपने ट्रम्प के साथ नाश्ता छोड़ दिया, ट्रम्प के साथ लंच नहीं किया, ट्रम्प के साथ डिनर नहीं किया। आपने इतना कुछ छोड़ा है, लेकिन अगर दंगों की जिम्मेदारी लेते हुए आप इस गृह मंत्री के पद को भी छोड़ देते, तो इस देश के साथ बहुत बड़ा

†[***جناب جاوید علی خان :** سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بات کپل مشرا کی، کی جاتی ہے، جو راستے خالی کروانے کا دعوی کر رہے تھے؛ کبھی ایک چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے بلاتکاری ہیں، تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے؛ ایک ٹھاکر صاحب ہیں، انہوں نے شوٹنگ کے آرڈر بھی جاری کر دئے تھے کیوں کہ منتری کے منھ سے نکلا ہوا واکئے آدیش ہوتا ہے۔

ایک صاحب اور ہیں، جو پندرہ کروڑ کا دم بھر رہے تھے، وہاں کھڑے ہوکر پندرہ کروڑ اور پچّاسی کروڑ کی بات کر رہے تھے۔ ایک صاحب ہیں، جن کا کئی سال سے ویڈیو چلتا ہے اور وہ پندرہ منٹ کی دھمکی دیتے ہیں۔ مائنے اپ سبھا ادھیکش جی، وہ چاہے گولی چلانے والے ٹھاکر صاحب ہوں، چاہے راستہ خالی کرانے والے مشرا جی ہوں اور چاہے وہ پندرہ کروڑ والے پٹھان صاحب ہوں یا پندرہ منٹ والے چھوٹے بھائی جان ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کھلونے ہیں اور مائنے ہوم منسٹر صاحب نے جتنی چابی آپ نے کھلونوں میں بھرتے ہوں، وہ اتنی دور تک جاتے ہیں، ان کا اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں ہے۔

آخر میں، میں دہلی کے سبھی ہندؤں سے، سبھی مسلمانوں سے، سبھی سکھوں سے، سبھی عیسائیوں سے، سبھی دھرموں کے لوگوں سے اپنی پارٹی کی طرف سے یہ اپیل کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ دہلی کے سامپردائک سوہارد کو بنائیں رکھیں۔ مائنے ہوم منسٹر صاحب، میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کل آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ چھوڑ دیا، ٹرمپ کے ساتھ لنچ نہیں کیا، ٹرمپ کے ساتھ ڈنر نہیں کیا۔ آپ نے اتنا کچھ چھوڑا ہے، لیکن اگر دنگوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے آپ اس ہوم منسٹری کے عہدے کو بھی چھوڑ دیتے، تو اس دیش کے ساتھ بہت بڑا نیائے ہو جاتا۔ بہت بہت دھنیواد۔

(ختم شد)

†Transliteration in Urdu script.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): प्रसन्न आचार्य जी, आपके दो मेम्बर हैं और 6 मिनट का समय है।

श्री प्रसन्न आचार्य (ओडिशा): सर, 11 मिनट लिखा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपके पास 6 मिनट का समय है और दो मेम्बर हैं। आप देख लीजिए।

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, to see what has happened in New Delhi, the saddest man today would have been Mahatma Gandhi himself. और मुझे लगता है कि जहां हम लोगों ने गांधी जी का statue रखा है, अगर आज गांधी जी जिंदा होते, तो गांधी जी पहले वहां पर अनशन पर बैठ जाते। वहां पर गांधी जी खुद अनशन पर बैठ जाते। What has happened is most deplorable. I, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, deplore it, and I pay my sincere homage to all those people, all those Indians who have been killed in the riot in Delhi. My sincere homage to all of them!

Sir, yesterday, the hon. Home Minister was replying to the debate in the Lok Sabha, and he very categorically stated that it was the consequence of a well-hatched conspiracy. यह दिल्ली में जो हुआ है, यह अचानक नहीं हुआ है, यह एक षडयंत्र का नतीजा है। My humble submission to the hon. Minister is, if it was a conspiracy, what is the failure on the part of the Government that the Government could not come to know about the conspiracy beforehand? There is an Intelligence Department of the Home Department under the Home Ministry. There is Police; there are other Intelligence Agencies in this country. So, if it was a pre-planned conspiracy to create riots in Delhi, to create disturbance in the country, to disturb the communal harmony in the country, particularly, during the time when the highest office of one of the largest democracies of the world, the United States, is visiting this country, then is it not a failure on the part of the Government that the Government could not get a hint of it and could not take any preventive measure? So, this is my humble question to the hon. Home Minister. क्या यह intelligence का failure नहीं है? आप खुद बोलते हैं कि यह एक pre-planned षड्यंत्र था। It was a pre-planned conspiracy. If it was a pre-planned conspiracy, why the Government could not get to know it? That is my pertinent question to the Government, to the hon. Home Minister.

Sir, why were the precautionary measures not taken? Why were the hatemongers —I don't say this side or that side; in general term, I say, 'the hatemongers' —who

[Shri Prasanna Acharya]

gave hate speeches not prevented? Why were they not taken into custody? Why action was not taken against those people? Why were they not booked and prevented from giving hate speeches inciting people of both the communities? This is the pertinent question here. Sir, this is not the time to engage ourselves in mud-slinging. What should be done now? We have to restore normalcy. We have to restore good feeling among all the communities in the country. So, the first and foremost duty on the part of the Government should be that there should be generous rehabilitation package; including livelihood support should be given in a time-bound manner. जो लोग मरे हैं, गरीब हैं; बच्चे मरे हैं। As my colleagues were saying, many houses have been destroyed. Many families have been destroyed. An atmosphere of hatred is still prevailing there. What should be done now? Instead of engaging ourselves in mud-slinging and saying who is responsible or not, कितना दंगा हुआ, किस सरकार के समय में हुआ था -- दंगा तो बहुत हुआ था। इनके समय भी दंगा हुआ है और उनके समय में भी दंगा हुआ है। अगर हम हिसाब लगायेंगे, तो.... इस पर फिल्म भी बनी है। So, let us not get into that. The Government should come out with a package so that people could be well rehabilitated. The Government should come out with a package. That is my humble suggestion to the Government.

Sir, it is a fact that there is a misconception about CAA. My Party has supported the CAA. When the CAA Bill was brought here, the Biju Janata Dal had supported it, but it is a fact that there is still misapprehension about CAA in this country and it is the primary and foremost duty of this Government to dispel this misapprehension. Whether you admit it or not, that is the prime cause of what is happening in the country today. So, is it not the responsibility of the Government to remove this misconception? Cannot the Union Government think of some other options to dispel this? Should we not explore the option ot CAA concession to Muslims trom non-islamic countries or countries where Muslims are in a minority? All right, we don't allow Muslims from the Muslim-majority countries because they are not subjected to religious annihilation there, but there are certain countries where Muslims are not in majority but are still there. So, this is a proposition trom my Party. The Government should consider and explore the options of giving CAA concession to Muslims trom non-Islamic countries where Muslims are in minority. This would go a long way in building confidence and dispelling the negative notions associated with CAA. This is a concrete proposal of my Party and the Government should ponder over this.

Sir, last but not the least, as I said earlier, let us forget everything and let us see to it that such things are not repeated in tuture. The Government should take lessons from what has happened. Let us find our formulas. Whether it is this side or that side, let us forget every side. सर, मज़हब के नाम पर देश ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसीलिए मेरी humble request है और मुझे गोपालदास नीरज जी की कविता की एक पंक्ति याद आ रही है -

"अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए,

जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।"

आज कभी-कभी लगता है कि इंसान तो इंसान नहीं रह गया है। जैसा कि इकबाल साहब ने कहा है

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,

हिन्दी हैं हम वतन हैं, हिंदोस्ताँ हमारा।"

सर, इसीलिए, my sincere appeal to the Government on behalf of my Party is, let us try again. Let us not repeat the mistakes. The Government must make introspection into the lapses and see to it that such things never happen again in this country of Mahatma Gandhi. जब हम सब गांधी जी की बात करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, वे लोग भी करते हैं, तब हम गांधी जी के सत्याग्रह को तमाशा भी करार देते हैं। We brand Gandhiji's Satyagraha Aandolan as a tamasha and leaders of this country and Members of this House, while speaking outside, say that Gandhiji's Satyagraha was a tamasha. This is intolerable. This country cannot survive without Gandhi and Gandhism. ठीक है, आज हमारे पास बहुत गांधी हैं, लेकिन महात्मा गांधी तो नहीं हैं। गांधीज्म धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, इस पर हम सबको गौर करना चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): धन्यवाद। आपकी पार्टी का बोलने का समय पूरा हो गया है। डा. प्रकाश बांडा। आपके पास बोलने के लिए पांच मिनट का समय है। आप बोलिए।

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, on behalf of our Party, Telangana Rashtra Samithi, I express its deep concern over the communal clashes that took place in Delhi. We strongly feel that India is a secular country and people cannot be divided on religious lines. There is no doubt that what happened in the National Capital was religious-driven bloodshed, where 53 people were reportedly killed, thousands were

[Dr. Banda Prakash]

injured and so many people are still missing. There was a press report even yesterday that 20 people are still missing. Their relatives are searching in the mortuaries for identification of these missing people. Houses and shops and other properties were destroyed and establishments were set afire. This riot has terrified the entire country. As on today, we do not have a report on how many people have been affected by these riots, or, how much damage has been caused to other people. The Delhi riots, unfortunately, have shown the fragility of inter-community that lies in the country. This cannot be seen as a local issue that was sparked off by local events and we cannot think that it was spontaneous and erratic. It was the outcome of growing intolerance among the people.

Our Party has always given the stand that this should also be considered as a mood in the backdrop of political and social polarization that has gripped the country in the wake of passage of CAA, the decision embarked on the review of National Population Register and the speculation over the possible National Register of Citizens, that is, NRC. However, we demand for whatever steps that have to be initiated to arrest the guilty, whichever party they may belong to. There are so many allegations that are coming that people from only one side are being arrested. From the other side, the people who provoked or who incited the mobs, they have not been arrested so far. We request the hon. Home Minister to take necessary steps. Whichever party those people may belong to, whatever the position they may have, the Home Ministry should take necessary steps to control the situation in Delhi.

At this juncture, I would like to Totally endorse the views expressed by Shri Kapil Sibal that communalism is no less than Coronavirus. It has shaken the country for several days. Now, we have experienced that we should not encourage this communalism in the country. The House must take a pledge to protect the diversity of the country. We often use the Upanishads phrase *'Vasudhaiva Kutumbakam'*, which means that the world is one family. India, over the centuries, has imbibed this concept and people of this country have proved their commitment towards such brotherhood on every occasion in the past. TRS is against any such division and intolerance. We always stand for unity in diversity. Our leader, K. Chandrashekar Rao, the Chief Minister of Telangana, always insists that we should protect the inherent nature of *Ganga-Jamuni tehzeeb* of this country. Thank you, Sir.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, the communal riot that happened in our national capital is nothing but a * The recent spate of attacks in Delhi is only a short trailer of the regime, that is, new private-public partnership, under which violence is outsourced to experienced goons. We don't have a single word or phrase yet that can name this phenomenon because it is really the newest stage of ongoing projects, rather than a stand-alone event. The primary culprit in Delhi riot is the * The inaction of the Home Ministry, despite receiving intelligence reports on communal tension, made the situation worst.

Adequate forces were not deployed even after news of riots was coming. When the hooligans were burning the whole of North-east Delhi, Delhi police was watching the show as mere spectators. Delhi Police is under the Central Government but by the time police reached the spot, goons who had come from outside Delhi, escaped to their shelters. This reminds me of the Gujarat riots which took place in 2002. All the incidents and reactions by the authorities were same as that of Gujarat riots in 2002. Ironically, those two faces who were heading the Gujarat Government then are heading the Central Government now. We cannot blame anybody if somebody thinks that the architects of Delhi riots of 2020 and the Gujarat riots of 2002 are the same.

Sir, when our country became independent from the British Rule in 1947, Father of the Nation, Gandhi ji, did not take part in the celebrations of the independence, and, instead, he went to the streets where communal riots were taking place. But, when the people of Delhi were under attack, our Prime Minister was busy attending the feast in Rashtrapati Bhawan with US President. That is the difference.

Sir, atter three days ot the violence, our National Security Advisor visited the spot. His statement was shocking. He said, "Whatever happened has happened." "जो हुआ, सो हुआ" That was his reaction.

The same approach was evident in the unseemly development in Delhi High Court where the Delhi Police categorically refused to indict those who had given public speeches inciting communal polarization. He did not even show the courtesy to say that the culprits will be arrested and this kind of aggression should not happen in the future. The riots raised so many questions. The media reports revealed the truth. The

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Elamaram Kareem]

brave young media persons went there challenging the threats and showed the people ot this country as to what was really happening there. I remember, one ot my younger brothers trom a Malayalam visual media reported the truth and tor that he had to pay the price. Incidentally, the chiet promoter ot that visual media channel is hon. Member ot this House. Apart trom this, another Malayalam media was also there. Their telecast was banned tor 48-hours.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, the Government has appointed a Deputy Police Commissioner to go and enquire into the incidents. Sir, we request that a judicial probe should take place into these incidents. These police officers were tainted during the Jamia Millia, JNU and Shaheen Bagh incidents. They are culprits and they have been criticized by the courts and the Election Commission. So, my request is that a judicial commission under the monitoring of Supreme Court or a Supreme Court judge should enquire into these incidents.

Sir, we want to have peace in this area and the confidence amongst the people as early as possible. Sir, I am sorry to say that the Government has got blood on its hands. So, you have to take stringent action against the culprits and book them as per legal provisions. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, India is the largest democracy in the world, and, where we are standing now is the Temple of Democracy. Sir, riots have taken place in the Capital of India and we have been waiting, not waiting, fighting for seven days to get a discussion in this august House.

Sir, as some people demanded, we do not expect resignation from the Home Minister because he is not Lal Bahadur Shastri. We expect him, at least, to come from North Block to the Parliament because the Executive is accountable to the Parliament.

This is a debating forum. Such an incident has happened. Have the lives of human beings become so cheaper? Fifty-six people have been killed. So many are injured and hospitalized. And this figure of fifty-six people is an official account. We do not know the exact number of people who have been killed. Is it not the responsibility of the Government or the Home Minister, who is responsible, to come to the Parliament and

give a statement at least? What has happened? Now they are accusing that it had been triggered or orchestrated by the anti-CAA protesters. Let me, through you, Sir, tell them that the anti-CAA protest is not happening only in Delhi. It is happening across the country. Why has it not happened anywhere else? I humbly submit this to the august House. They conduct meetings, the anti-CAA protesters, the Muslim people. Yes. Do you know what their slogan is? Let us uphold the sovereignty of India. On the shamiana of the place where they are protesting, the flag which is there is the Indian national flag and not any other national flag. Five times the Muslims are doing Namaz. Five times a day they are worshiping the soil of India. Neither I nor anybody else here does it. We have to respect them. They say, 'We are Indians. We have lived here for generations. We have apprehensions because of the CAA because of the NRC.' Let me now seek a clarification from the Home Minister on the CAA. After your amendment to the Citizenship Act, the four lakh Muslims which are left out in Assam itself as per the NRC, what are you going to do with them? Are you going to quarantine them or send them to some foreign country or any other country, from a secular country, where they have been persecuted?

Sir, on the NRC, the whole of India is having an apprehension. That is why the protests are going on. Our leader, Mr. Stalin, has said that we will not cooperate. Many State Governments have announced that they will not implement the NRC. Why not a statement from the Home Minister? A most sought-after clarification about the NRC has not been given or laid anywhere else. At least, in the Parliament.

Second, Sir, why has it happened only in Delhi? Because of the hate speeches of some people. Why has it not happened anywhere else? What is that statement of Shri Anurag Singh Thakur? 'Goli maro' was not told anywhere else. It was in Delhi. Another person, who has no authority, who is a former MLA of the Ruling Party, had given an ultimatum to the Police. You have to vacate the protesters tonight or after Trump leaves the country, our party will do that. And after that, the violence broke out. The High Court has said that action has to be taken against that person. The Judge was transferred, whereas no action was taken. We would like to ask from you. Even yesterday in the Lok Sabha, you said that it's being looked into. On the speech, which has triggered a very big carnage, a very big damage to this country and sort of feel of fear in the minds of the people, action has not been taken. Rather they are going

[Shri Tiruchi Siva]

along with protection. Then the NSA was deployed after three days of what has happened. Silence has become the source of chaos. One of the Holocaust survivor, a Nobel Prize Winner, Mr. Elie Wiesel has said, "I never be silent whenever and wherever human beings are subject to suffering and humiliation. Silence helps only the tormentors, and not the tormented." Who was silent, Sir? The police. The police were involved in two things. Either they were silent spectators to the riots that were happening or they charged and attacked those people who were protesting. Hon. Home Minister says that the police has done a good job. Yes, 'good job'. Let me, Sir, humbly make a request to you. There're some bullets, even in the body of a child, and in the body of some other people who have been killed. Send those to forensics and let them prove whose blood is that. The police has not given protection. The Supreme Court judgment called for police reforms. Other Committees have suggested that police should be accountable. No. They are only mute spectators. When masked mob entered into the JNU, the police was a mute spectator. No action was taken against anybody. Who came masked? Nobody knows. What happened to the Jamia attack? Nothing has taken place. Now in Delhi. It is only a fear that is being created in the minds of the anti-CAA protesters. If you are involved in that, something will happen. A caution is being given by someone on the roads in public that if you don't vacate, we will vacate you; if you don't vacate, we will charge you, we will kill you and everything will happen.

Sir, ambulances were not allowed to move. People were not able to move from one place to another place. Even displaced persons are living in the houses of their relatives. Some people took asylum in some individual's places. Some people have made other arrangements. What has the Government done for them? These are the genuine questions which we are asking. What all happened was only to conceal the real happenings. The Indian economy is sinking and going down. It is only to conceal all these things. On the eve of the Women's Day, a report has come that the women workforce in this country has plummeted from 37 per cent to 18 per cent. All these things are being concealed. So, we urge you to bring forth the truth if something more has not happened. For one week, in this House and in the other House, we have been raising it. For what? It was only for a discussion. The Home Minister should have either made a suo motu statement or a statement after listening to the debate and deliberations of various political parties. Yes, it is our concern. It is not only an accusation. We are concerned about the people who have been killed in this country. You should have

responded to us. Neither the Prime Minister nor the Home Minister made a statement.

Sir, silence is the worst thing. I would like to conclude with only one word. As I said earlier, I would request that an independent inquiry headed by a retired Supreme Court Judge must immediately be directed by the Home Minister. You have to give a very clear picture of what you are going to do with NRC and NPR which have created some doubts and fears in the minds of the people. At the end of the day, we don't remember the words of our enemies; we remember only the silence of our friends. Thank you very much.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, I just want to make two very basic points in the limited time I have at my disposal.

I think everybody agrees that what happened in Delhi is very unfortunate,- that it should not happen again; that the death ot more than 50 Indians in any communal clash is avoidable. But the question really arises: Did this violence actually start trom Delhi? On the 11th ot December, this House passed CAA. It was passed with due process, with due majority, etc. On the 13th ot December, Friday atternoon, the tirst protest happened on the streets in Kolkata. On the 14th ot December, there was mass vandalism and burning ot railway property in Uluberia. It spread on the 14th to Murshidabad district. It was targeted at railway property and there was a concerted attempt to cut ott the strategic chicken's neck trom the rest ot India. We heard that provocative slogans are banned in West Bengal. Anybody who has seen the videos ot that would have realized the tallacy ot this statement and what exactly took place. That set the tone. It set the tone ot the protests and trom there, we saw Shaheen Bagh, Park Circus and replications ot that. So, an atmosphere ot hate was actually systematically built up. It is very important to realize this that the whole purpose ot it, the political purpose of it, was to suggest that only one community has a veto over decision-making in India. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. BHATTACHARYA: This is absolutely wrong. ...*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, I would say that...*(Interruptions)*... Sir, this is my contention. ...*(Interruptions)*... Pradeepda may have his own. ...*(Interruptions)*... He may have his own views. ...(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, this is a wrong impression. ...*(Interruptions)*... It is a misleading impression. ...*(Interruptions)*... But, this was the impression which was sought to be given. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): केवल इनकी बात के अलावा दूसरा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

SHRI SWAPAN DASGUPTA: And, I think, that is the genesis of the hateful environment in which we find ourselves. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: And, I think, this hatetul environment would only go when that sort ot political impression is dispelled. That is number one, Sir. I do not want to. ...*(Interruptions)*...

Number two, we have heard.....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, there was a reterence made to Noakhali. ...*(Interruptions)*... I think, it is very important that Noakhali was mentioned. ...*(Interruptions)*... The Noakhali riots began in 1946 when Rajendra Lal Roy Choudhary, the head ot Noakhali Bar was systematically killed. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: His head was chopped off. ...*(Interruptions)*... It was presented to the leader ot the rioters, who was this gentleman called Ghulam Sarwar. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Sit down. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Today, Sir, we are trying to equate those who died in Noakhali with those who killed the people in Noakhali. ...*(Interruptions)*... That was the difference. ...*(Interruptions)*... That was the difference, Sir. ...*(Interruptions)*... I say that let us get over this hateful thing. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Nothing would go on record. ...*(Interruptions)*... स्वप्न दासगुप्ता जी जो बोल रहे हैं, वहीं रिकॉर्ड पर जाएगा।

SHRI SWAPAN DASGUPTA: We are trying to accommodate people, and in Bengal, those who have lost everything, who were thrown out of their country and who have sought refuge in India. ...*(Interruptions)*... Please do not create this hateful environment. ...*(Interruptions)*... Please do not create this environment. ...*(Interruptions)*... This sovereign right of Parliament to decide must be upheld and, I think, that is the essence of this and incidents like Delhi must be avoided at all costs. ...*(Interruptions)*... Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Shri Naresh Gujral. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Thank you, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): महोदय, जब कोई सदस्य बोलता है तो दूसरे सदस्य को अपनी जगह पर खड़े होकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह कोई तरीका नहीं है। पार्लियामेंट में एक शब्दावली है, अगर उसके ख़िलाफ है, उसके कोई ख़िलाफ नहीं है। ये अपने विचार नहीं थोप सकते। आप अपने विचार कैसे थोप सकते हो? ...(**व्यवधान**)... आप सुनिये, सुनने की हिम्मत रखिये। आप थोप नहीं सकते।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Shri Naresh Gujral.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, February 23rd was a dark day in Delhi's history. Communal fire engulfed this city. Armed hooligans attacked innocent Hindus and Muslims. Almost fifty people lost their lives. More than 300 people were injured and property worth thousands of crores perished. However, the police response was inadequate, to say the least. This reminded me of 1984 when an orgy of violence was unleashed by mobs led by Congress leaders, who over three horrible days and nights, massacred almost 3,000 innocent people on the streets of Delhi. ...*(Interruptions)*... Sir, it is a mystery as to who initiated these riots and from where so many gundas entered

[Shri Naresh Gujral]

this city. I teel that only a very impartial and transparent inquiry commission can reveal the truth.

Sir, this land ot Buddha and Gandhi to be witnessing such horrendous riots in the Capital itselt is a matter ot shame and our image internationally has certainly been tarnished. Now, rather than indulging in a blame-game, I think, we should collectively resolve to create conditions so that such incidents never happen in this country. Tolerance, equality, compassion and secular values, as preached by the great gurus, must come to centre stage. Sir, harmony must conquer hate. This is the time to apply balm on the wounds ot those who have suttered, be it those who lost tamily members or those whose kith and kin have been injured or those who have lost their businesses and homes. We must ensure that all the culprits, irrespective ot their party lines or religious lines, must be punished expeditiously. Also, adequate compensation must be paid immediately to those who have suttered, and tor that, I would make an appeal, both to the Central Government as well as to the Delhi Government.

We must not allow '84' to be repeated when it took ages to offer a meagre compensation to the victims and the perpetrators have still not been punished till date, 35 years late!

Sir, the Muslim community was upset that they were not included in CAA. However, when some attempts were made to link CAA with NRC and with a new format of NPR was sought to be created, that created a sense of fear, insecurity and suspicion in their minds. They thought that their citizenship would be snatched away from them. I would request the Government to take immediate steps to re-assure them that their fear is unfounded. The hon. Prime Minister has repeatedly stated that there has been no discussion on a nationwide NRC.

Majority of the CMs, including the Chief Minister of Bihar, supported by BJP legislators in Bihar, have said that they will stick to old format of NPR, and I hope that this would be adhered to so that this removes insecurities in the minds of the minorities.

Sir, the idea of India, as envisaged by our founding fathers, rests on four pillars: Democracy and the institutions that supported, our unity in diversity, secularism and federalism. When we weaken any of these pillars, we risk bringing down the edifice on which this whole structure rests.

Tolstoy said, "If you want to destroy a country make its citizens fight in the name of religion. The country will perish on its own." ...*(Time-bell rings)*... Sir, peace and harmony have a direct link with the growth of the economy. We need to provide education, healthcare, housing and most importantly jobs to our youth which requires very large resources. Unfortunately, Sir, our savings rate is very low. We need FDI but we all must remember that FDI will never come, if we have strife on the street. They come when there is harmony, when there is tranquility and when there is peace in a country.

In the end, Sir, I would say that in a democracy, great statesmen and leaders always remain flexible and responsive. They ensure that the bond of trust between them and the people perpetually remains strong. I am reminded of Nehru when he sought to make Hindi as the link language and there were massive agitations in the South.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Nehru never asked that.

SHRI NARESH GUJRAL: I am talking of way back, when Hindi was sought to be made the link language. At that time, Nehru famously said... ...*(Interruptions)*... I am coming to that. Let me complete. Nehru famously said, "Hindi is important but the unity of India is more important'. We have a Prime Minister today who is popular. He is trusted because he has been elected twice by a huge majority by the people ot India, and he believes in "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishvas" I would beseech the Home Minister to kindly repeat it again and again so that all minorities ot this country believe and they trust this Government and a message goes that their tuture is sate in the hands ot this Government. Thank you very much, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री सतीश चन्द्र मिश्रा। वे उपस्थित नहीं हैं। श्री अशोक सिद्धार्थ। आपके पाँच मिनट हैं।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दिल्ली हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। मान्यवर, सवाल यह नहीं कि शीशा बचा या टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर कहाँ से आया? जब से यह चर्चा प्रारंभ हुई, तब मैं यह देख रहा हूँ कि दोनों तरफ से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में दंगे हुए, वहाँ दंगे हुए, इनके समय में इतने हुए, उनके समय में इतने हुए। इन पर ज्यादा चर्चा हुई। इस पर चर्चा कम हुई कि दिल्ली के दंगों में,

[श्री अशोक सिद्धार्थ]

खास तौर से जो दिल्ली दिल वालों की कही जाती है, उस दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो दंगे हुए, उस दंगे में मारे गए लोग, चाहे वे हिन्दू धर्म से ताल्लुक रखते हों, चाहे वे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हों, चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उसमें जो लोग मारे गए, आखिर वे लोग क्यों मारे गए, चर्चा में इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया।

मान्यवर, दिल्ली की हिंसा में आधा सैकड़ा से ज्यादा बेकसूर नागरिकों की मौत हुई, जिनमें कॉंस्टेबल रतन लाल और आईबी के बहुत ही युवा अधिकारी, अंकित शर्मा की हत्या हुई। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो दंगे हुए, उन दंगों का अगर हम day by day सही से निरीक्षण करें, तो एक बात प्रतीत होती है कि उनकी प्रकृति अलग-अलग थी। पहले दिन जो घटना हुई, वह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की घटना थी। जो प्रदर्शनकारी थे, वे चाहे सीएए के विरोध में हों या फिर सीएए के समर्थन में कुछ लोग उतरे, वे प्रदर्शनकारी हों, उनको रोकने का काम किया। उसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छोटी-मोटी घटना हुई। उसमें रतन लाल की हत्या हो गई। दूसरे दिन के दंगे की जो प्रकृति थी, वह हिन्दू-मुस्लिम दंगे की प्रकृति थी। उसमें यह बात स्पष्ट हो गई कि जब हिन्दू-मुस्लिम की प्रकृति हुई, तो दोनों तरफ के लोग हताहत हुए, गोलीबारी हुई, इसमें दोनों तरफ के लोग मारे गए।

मान्यवर, तीसरे दिन की जो प्रकृति थी, वह भयावह प्रकृति थी और उस प्रकृति ने हमें 1984 के दंगों की याद दिला दी, जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को चुन-चुन कर मारा गया, जैसा कि कल लोक सभा में यह कहा गया और आज यहाँ भी कहा गया कि तीन सौ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश या बाहर से आए थे। ये जो लोग आए थे, ये कौन लोग थे, किस तरफ के लोग थे? इसका परीक्षण, इसका जवाब अभी तक देश को और दिल्ली प्रदेश के लोगों को नहीं मिला है। मान्यवर, मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली के उस हिंसाग्रस्त क्षेत्र के उन लोगों का नागरिक अभिनन्दन करना चाहिए, जिन्होंने दहकती दिल्ली के उस क्षेत्र में धर्म से ऊपर उठ कर सिखों ने मुसलमानों को बचाने का काम किया और मुसलमानों ने हिन्दुओं एवं उनके स्थानों को बचाने का काम किया। ऐसे लोगों का नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। जिस दंगे में आज भी 38 से अधिक लोग लापता हों, जिनमें 7 अवयस्क हैं यानी कि minor हैं, 92 घर, 97 दुकानें, 600 से ज्यादा गाड़ियाँ, छः गोदाम, दो स्कूल, आधा दर्जन छोटी-मोटी फैक्ट्रीज़ और चार प्रार्थना-घरों को खाक कर दिया गया।

मान्यवर, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 हजार करोड़ रुपए के लगभग आर्थिक नुकसान इन दंगों की वजह से हुआ। इन दंगों में जले घर वाले लोगों से, पीड़ित लोगों से कुछ लोग चर्चा करने गए, हम भी अपने कुछ साथियों के साथ उसमें गए। वहाँ पर वे लोग अपना-अपना घर दिखा रहे थे और जब उन लोगों से पूछा गया कि आपका कितना नुकसान हो गया, तो एक व्यक्ति ने बड़े ही शायराना अंदाज में कहा:

"यूँ तो जल गया घर मेरा, बचा कुछ भी नहीं,

लेकिन में जो बच गया, तो जला कुछ भी नहीं।"

फिर उसने दुःख भरे लहजे में दिखाते हुए यह भी कहा कि सब कुछ खत्म हो गया और उसने कहा:

"यूँ तो कह रहा हूँ कि जला कुछ भी नहीं,

लेकिन सच यह है कि बचा कुछ भी नहीं।"

मान्यवर, सच्चाई यह है कि दिल्ली के दंगों में उस क्षेत्र के लोगों का वाकयी कुछ नहीं बचा। मैं अपनी पार्टी की ओर से खास तौर से दोनों तरफ के लोगों को, जिन्होंने देश में और देश के तमाम प्रदेशों में शासन करने का काम किया है, ये एक-दूसरे पर इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप लगाए कि उनके समय में ज्यादा दंगे हुए, इनके समय में कम दंगे हुए।...**(समय की घंटी)**...

मान्यवर, मैं इन दोनों तरफ के लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय बहन जी के चारों बार के शासनकाल से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि उनके चारों बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक भी दंगा नहीं हुआ। मान्यवर, दंगों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा political will की जरूरत होती है और आदरणीय बहन जी में political will है, इसलिए उन्होंने हमेशा ही दंगाइयों को या अतिवादियों को will power से कंट्रोल करने का काम किया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इन दंगों में जो लोग हताहत हुए हैं, उनकी न्यायिक जाँच की माँग करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी बनाकर इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके उन्हें दोबारा re-establish करना चाहिए और वे अपना जीवन सही से जी सकें, इसके लिए उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए।

श्री आनन्द शर्मा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हाल में जो घटना क्रम हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए और हजारों लोग बेघर हुए, उस पर यह सदन चर्चा कर रहा है। यह दुख की बात है कि देश ने और दुनिया ने देश की राजधानी में इतनी हैवानियत देखी। प्रजातंत्र में यह अपेक्षा की जाती है कि भारत की संसद इतने लोगों की हत्या के बाद, देश की राजधानी में जो तनाव-टकराव रहा, पहले दिन उस पर अपना खेद व्यक्त करेगी, चर्चा करेगी और दिल्ली और भारत के लोगों को आश्वस्त करने का, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का एक संदेश देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण सरकार जानती है। चर्चा हुई, लेकिन देरी बहुत हुई। यह अफसोस की बात है। महोदय, भारत गाँधी जी की 150वीं

[श्री आनन्द शर्मा]

जयंती मना रहा है। 150वीं जयंती के वक्त शासन-प्रशासन का, तमाम समाज का यह प्रयास रहना चाहिए था कि उनके संदेश को सही रूप में याद रखते, न कि राजधानी में दंगा हो, तीन दिन तक राजधानी जलती रहे, लोग मरते रहें। यह आंकड़ों की बात नहीं है कि कितने मरे, कौन किस धर्म का था, बल्कि वे इस देश के बेटे थे, इस देश के नागरिक थे, इस देश की बेटियाँ थीं। जो मारे गए हैं, उनमें कोई अपने परिवार का इकलौता बेटा था, किसी का भाई था, किसी का दामाद था। यहाँ तक कि बच्चों से लेकर 85 साल के लोग... हमारी संस्कृति हमें यह नहीं सिखाती और न ही यह गाँधी जी को याद करने का कोई तरीका था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हुआ है, वह भारतीय प्रजातंत्र पर एक कलंक है, जिसको साफ करना, धोना हम सब का कर्तव्य बनता है। चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन यह नहीं होना चाहिए था। आपके पास सब साधन हैं, सुविधाएं हैं, technologies हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरे सदन में कहा कि facial recognition का सॉफ्टवेयर है, तो इतना सब कुछ होते हुए, इतनी पुलिस की कंपनी होते हुए भी इतना बड़ा कांड हो जाए, तो इसकी सफाई और जवाबदेही दोनों बनती हैं। मैं सुन रहा था कि आपने कल कहा कि नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली का यह इलाका 161 square kilometers का है, इसमें गहरी आबादी है, घनी आबादी है, यहाँ दोनों धर्मों के लोगों का सबसे ज्यादा मिश्रण है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिस इलाके में दंगा हुआ है, उसका क्षेत्रफल six square kilometers है। तीन किलोमीटर लम्बाई में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से लेकर सीलमपुर मेट्रो स्टेशन तक, on the Yamuna Vihar, उसकी दो किलोमीटर चौड़ाई है। उसके साथ-साथ, जो सबसे ज्यादा तबाही हुई है, वह इसी इलाके के भजनपुरा, खजूरी खास, मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी, चाँदबाग और शिव विहार में हुई है। मैंने यह क्यों कहा? आपको ये आँकड़े शासन और प्रशासन के उन्हीं अधिकारियों द्वारा दिए गए होंगे, जिन्होंने वक्त पर सख्त कार्रवाई न करके कोताही जरूर की है। अब अगर आपको यह कह दिया जाए कि इतने बड़े इलाके में नहीं कर पाए -- आपको तो पता है! आपने कहा कि वहाँ पर दिल्ली पुलिस की 17 कंपनियाँ तैनात थीं और पहले दिन वहाँ पर उतनी ही सीआरपीएफ की कंपनियाँ थीं। वहाँ पर 24 तारीख को एडिशनल 40 कंपनीज़ भेज दी गईं। फिर 25 तारीख को और 50 कंपनीज़ भेज दी गईं। जैसा मैंने पढ़कर बताया, इतने से इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की इतनी कंपनियाँ तैनात थीं, फिर भी यह चलता रहा! वहाँ धारा 144 लगी, क्या वह पर्याप्त थी? क्यों नहीं पहले ही दिन, जब यह मार-काट शुरू हो गई थी, जो कि एक पृष्ठभूमि थी, तो पहले दिन ही क्यों नहीं कर्फ्यू लगाकर shoot at sight order कर दिया गया? यह कहीं कमी रही है। उससे जो हुआ है, वह केवल चिन्ता की बात नहीं है, वह केवल दुःख की बात नहीं है, बल्कि उससे देश की छवि धूमिल हुई है। यह कहा गया कि अमेरिका, जो कि सबसे शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा था और वे भारत की राजधानी में थे। यहाँ पर उतनी तैयारी थी, उसके बावजूद यह हो जाए! तब तो यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। प्रश्न है कि यह क्यों हुआ? तनाव था, दिल्ली में चुनाव था, भाषण हुए थे और किसने क्या कहा, वह कहा जा चुका। वह कपिल

5.00 P.M.

सिब्बल जी ने कह दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जिसने भी भड़काने की बात कही है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात हुई, धार्मिक उन्माद लाया गया। केवल कुछ समय की राजनीति के लिए, एक छोटे चुनाव और वोट के लिए उन्होंने इस देश का अहित किया है। देश और समाज को बाँटने की यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। धर्म के नाम पर दूसरे समीकरण बन रहे हैं।

माननीय, यह देश बहुधर्मी है, बहुभाषी है। इसकी विविधता इसकी शक्ति है। समाज की एकता भारत को मजबूत करती है, लेकिन जब उस पर लकीरें खींची जाती हैं, उसमें तनाव और टकराव की बात की जाती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसकी अनदेखी की जाती है और फिर उसका राजनैतिक कारणों से उल्लेख किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उससे हिन्दुस्तान कमजोर होता है। उससे हिन्दुस्तान कभी मजबूत नहीं हो सकता।

माननीय, मेरी समझ में धर्म और राजनीति का मिश्रण, एक बड़ा खतरनाक और जहरीला मिश्रण है। हमारा देश पंथनिरपेक्ष है, हमारा संविधान हमको यह कहता है। हममें से बहुत लोग आस्था रखते हैं, अपने संस्कार को मानते हैं, पूजा-इबादत करते हैं, पर सही मायने में जो राष्ट्रकुल को मजबूत देखना चाहते हैं, समाज को मजबूत देखना चाहते हैं और अगर सही मायने में कोई अपने धर्म को मानता है, तो वह दूसरे मजहब और दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है। वह किसी दूसरे पर हाथ नहीं उठाता, किसी दूसरे को मारने के लिए आह्वान नहीं करता, चाहे वह कोई भी हो। मेरे पास भी धर्मग्रंथ हैं, वे मेरे घर में रहते हैं। जब हम घर से बाहर आते हैं, तो हमारा धर्मग्रंथ यह भारत का संविधान है, जिसकी हमने शपथ ली है। अगर हम इस भावना को लेकर चलें, तो शायद यह मेरा, यह तुम्हारा वाली बात नहीं होगी। जो आपकी किसी सोच से, आपके विचार से मतभेद रखते हों, वे निजी शत्रु नहीं हो जाते, वे भी इसी देश के नागरिक हैं।

उनका भी हिन्दुस्तान पर उतना ही हक है, जितना आपका और हमारा है।

महोदय, यह कहा गया कि जो कुछ हुआ, उसमें पृष्ठभूमि में सीएए की बात आयी, सीएए के बाद आपने एनपीआर का ज़िक्र किया। मैं सीएए पर नहीं बोलूंगा। हम इस सदन में बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, चर्चा हो चुकी है, वोट पड़ गया है, आपके पास बहुमत था और सीएए बन गया। हमारी सोच आज भी यह है कि देश के संविधान से, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से टकराती है, it lacks constitutional and political morality, and this issue is not over. इसमें कोई आम सहमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई हैं, राज्यों ने याचिकाएं दी हैं। देश के 11 राज्य ऐसे हैं, विधान सभाओं ने अपनी बात कही है। यह प्रश्न यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का नहीं है। संविधान का आर्टिकल 131 है, सुप्रीम कोर्ट की original jurisdiction है। राज्यों

[श्री आनन्द शर्मा]

को अपनी बात वहां तक ले जाने का अधिकार है, अगर वे सोचते हैं कि यदि आप कोई ऐसी चीज़ लाए हैं, जो हमारे संविधान से सीधा टकराता है, भेदभाव करता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनना है। हम इंतज़ार करते हैं, वह इंतज़ार लम्बा हो गया। यह कहना कि जो उसके विरोध में थे, वही दंगों के ज़िम्मेवार हैं, यह न्यायोचित नहीं हैं, इंसाफ की बात नहीं है। 11 राज्य, इतने मुख्य मंत्री, इतनी विधान सभाएं, तमाम विरोधी पक्ष, जिन्होंने मत भी खिलाफ में दिया और आज भी हमारा मत है and I hope that the Supreme Court of India, the Judiciary, the Constitution Bench, is convened at the earliest. This delay is hurting the country. This issue must be finalised. It should be settled in finality so that the country knows whether CAA is discriminatory or not, whether it is against the fundamental structure of the Constitution, whether it denies, deprives, or not. Let this issue be settled; let there be no politics on it. Parliament has done its work. वहां पर वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, महोदय, यह तो वही कहेंगे। हम तो यह प्रार्थना ही कर सकते हैं कि यह बात सुनी जाए और इस बात पर जल्दी निर्णय हो, किंतु एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जो भी इस हिंसा में गए, उनकी पहचान केवल हम उनके नाम और धर्म से न करें, जो भी मरा है, पुलिस वाले भी जस्मी हुए हैं, अगर पुलिस ने कोताही की है तो पुलिस वाले भी मरे हैं। मेरे लिए और देश के लोगों के लिए वही दुःख है, जो एक जवान लड़का या बच्ची के मरने पर होता है और वही दुःख है। अगर पुलिस का हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल मरा या अंकित शर्मा मरा, इसलिए इसमें यह न कहें कि कौन मरा और कौन जख्मी हुआ, पर यह सोचें कि क्या हुआ और उसका हल क्या है। इतना खोने के बाद भी एक अच्छी बात है, मैं उस बात को कहूंगा। इस नफरत के माहौल में, हिंसा के माहौल में मानवता फिर भी नहीं मरी, मानवता ज़िन्दा रही। हमें फ़ख है उन लोगों पर चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, उन्होंने भाईचारा बनाए रखा। हमारे सिख भाई-बहन ने भी एक-दूसरे को बचाया, शरण दी। महोदय, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, जिसे हिन्दुस्तान के एडिटर्स ने मिल कर बनाया है। यह मेरे पास है कि शिवपुरी में जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, आज भी लाशें निकल रही हैं, वहां मुसलमानों ने घर गिने हुए हैं कि कितने हैं, उन्होंने मंदिरों को बचाया, हिन्दुओं ने मस्जिदों को बचाया, एक-दूसरे के साथ उन्होंने वह नहीं किया, जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नहीं करना चाहता है।

महोदय, मैं एक ऐसी अपेक्षा करता था, जब देश में इतनी बात हो रही थी तो शासन और प्रशासन की जहां ज़िम्मेवारी होती है। उसमें यह कहना कि सब कुछ ठीक हुआ, तो इतना छोटा इलाका तीन दिन तक जलता रहा। यह सर्टिफिकेट न दें, बिना जांच के ही तमगा देना ठीक नहीं है। पहले जांच हो, जिसकी कमी रह गई। इस बात का क्या जवाब है? अगर मजबूती से कार्रवाई हो रही थी, तो फिर यह इतना बड़ा कांड हुआ। हम उम्मीद करते थे कि भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी संवेदनशील होंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आप उत्तर दे रहे हैं। बेहतर होता, यदि माननीय प्रधान मंत्री उस सदन में, इस सदन में कुछ कहते, लेकिन प्रधान

मंत्री जी को चार दिन लग गए। माननीय प्रधान मंत्री जी का 26 तारीख को एक ट्वीट आया, तब तक वे मौन थे। उसमें भी उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया कि इतने लोग मारे गए। इस घटना की निंदा नहीं की, केवल भाईचारे की अपील की, जिसका हम स्वागत करते हैं। अगर देश के प्रधान मंत्री उसी वक्त कहते, क्या राष्ट्रपति ट्रम्प उनको अपील करने से रोक सकते थे कि यह बंद होना चाहिए, उसकी निंदा करते, क्योंकि वे बड़े हैं और उनकी बात को लोग सुनते, प्रशासन सुनता कि प्रधान मंत्री मजबूत हैं। आप मजबूत गृह मंत्री हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मजबूती से उनको कहते, तो इतने लोग, इतने कम इलाके में दंगे को काबू में लाते। बेहतर होता, अगर प्रधान मंत्री इसकी निंदा पहले करते, इस पर पहले बोलते।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी इस बात का खुलासा करें कि इन्होंने कहा कि बाहर से लोग आए थे, हथियार लेकर आए थे, ये सब कह रहे हैं। आपने यह भी कहा कि conspiracy थी, षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, चाहे किसी ने भी किया हो। जहां तक हमारी बात है, हम हर ऐसे संगठन का विरोध करते हैं, जो हमारे समाज के अंदर ज़हर घोलते हैं, चाहे वह कोई भी हो। इस देश को कोई प्राइवेट सेनाओं की जरूरत नहीं है। न राम सेना की, न हिंदू सेना की और न पीएफआई की। आप किसी को भी अनुमति न दें, जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपके पास भारत की फौज है, भारत की दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सज़ हैं, कानून वे देखेंगे या यहां पर कोई प्राइवेट फौजें बनेंगी। आप कहें आज कि सब सेनाओं पर पाबंदी लगाएं, जो प्राइवेट हथियार रखते हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए। आज इस सदन के अंदर यह मेरी मांग है और पूरे देश के अंदर इस पर कार्रवाई हो। दोबारा यह मौका न आए कि कहीं से भी 300, 400 या 500 आदमी हथियार लेकर आएं। अगर यह षड्यंत्र था, तो इसको मैं intelligence failure भी कहूंगा। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि conspiracy किसने की? षड्यंत्र क्या हुआ और यह intelligence हमारी कमजोर क्यों रही? हम दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। मैं दोषारोपण बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। यह वक्त राहत देने का है, जख्मों को भरने का है, कुरेदने का नहीं है। गृह मंत्री जी आज सदन को बताएं कि relief और rehabilitation के लिए क्या कर रहे हैं? जहां तक प्रशासन है, वह कमजोर रहा। दंगे रुकने के बाद दूसरी संस्थाएं खालसा एड, जो सिखों की, गुरद्वारों की संस्थाएं हैं, दूसरे लोग सामाजिक संगठन वे राहत का काम ज्यादा करते रहे। शासन, प्रशासन की तरफ से बहुत कमी रही है, इसको भी देखना बड़ा जरूरी है। मैं आपसे कहूंगा ...**(समय की घंटी)**... ठीक है, मैं तीन मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आनन्द जी, समय पूरा हो गया।

श्री आनन्द शर्मा: नहीं, अभी नहीं हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप सामने की तरफ देखिए।

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इतनी बड़ी बात हो रही है। तीन दिन तक दिल्ली जलती रही और आप तीन मिनट नहीं दे रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यह आपने ही तय किया है। मैं तो इसका पालन करवा रहा हूं।

श्री आनन्द शर्मा: सर, यह अभी खत्म हो जाएगा। मुझे एक चीज़ कहनी है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुईं, वह बात नहीं है। हर एफ.आई.आर. की scrutiny हो कि सभी दंगाइयों के खिलाफ एफ.आई.आर. हुई है। कहीं बेगुनाहों को मुजरिम न बनाया जाए और मुज़रिमों को छोड़ा न जाए। एक judicial commission होना चाहिए, एसआईटी से अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट देखे कि जांच निष्पक्ष है। जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने घर जलाए, उस हर दोषी को सज़ा हिन्दुस्तान के कानून के तहत दी जाए। जहां तक जवाबदेही की बात है कि किसने क्या किया, पृष्ठभूमि क्या थी, वह बात नहीं है। उर्दू का एक शेर है, आपने भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज वह बड़ा appropriate है कि:

"तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि क्यूं लुटा क़ाफ़िला,

मुझे रहज़नों से गर्ज़ नहीं, तिरी रहबरी का सवाल है।"

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह कहना है कि सरकारें इक़बाल पर चलती हैं, विश्वास पर चलती हैं। इस सरकार की लम्बी चुप्पी से और घटनाक्रम से इक़बाल टूट गया है, विश्वास टूट गया है। वह विश्वास आप कैसे कायम करें कि लोग कहें कि जो आप कह रहे हैं, वह दिल से कह रहे हैं - केवल चार शब्द "सबका साथ, सबका विश्वास" केवल खोखले शब्द रह गए हैं - इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या कार्यवाही होगी, कितने निष्पक्ष आप रहेंगे, कैसे आप इंसाफ करेंगे, हिन्दुस्तान उसका इंतज़ार कर रहा है, धन्यवाद।

श्री विजय गोयल (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गंगा-जमुनी तहज़ीब से आता हूं। आज जब दिल्ली की कानून और व्यवस्था, यानी दिल्ली के दंगों पर चर्चा हो रही है, जिसमें 52 लोगों की जान चली गयी, 526 घायल हो गए, 371 दुकानें जल गयीं, 142 घर जल गए तो चर्चा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें से सौहार्द, शान्ति और सद्भावना उभरे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं, उनसे तो माहौल और खराब हो रहा है। कल लोक सभा में हमने देखा कि ओवैसी साहब ने जिस तरह से कहा कि लाशों के ऊपर राज हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसे हमें ठीक करना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली के अंदर पला-बढ़ा, चांदनी चौक की गलियों में खेला और तब खेला जब चांदनी चौक में हिन्दू ज्यादा थे और मुस्लिम कम। अब जब मैं वहां जाता हूं तो वहां मुस्लिम ज्यादा और हिन्दू कम हो रहे हैं, यह

demographically change हो रहा है। मैं आज सदन को सावधान करना चाह रहा हूं कि एक तरफ चार मंज़िला मकान हैं और दूसरी तरफ आठ मंज़िला मकान पहुंच गए हैं। चांदनी चौक जाफराबाद की तरफ बढ़ रहा है। आज आप मेरी बात लिखकर रख लीजिए कि दंगों के आधे कारण यह रहे कि छोटी-छोटी गलियों में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। सर, कपिल सिब्बल साहब भी चांदनी चौक से आते हैं, वे भी चांदनी चौक से सांसद रहे हैं। मजबूरी यह थी कि वे साउथ दिल्ली से चांदनी चौक इसलिए आए क्योंकि वह मुस्लिम बाहुल्य एरिया था और मैं भी चांदनी चौक सदर से इसलिए गया क्योंकि वह मुस्लिम बाहुल्य था। मेरी पार्टी को लगता था कि यह यंग कार्यकर्ता है, हार भी जाएगा तो कोई बात नहीं। आप यह समझिए, जब मैं चांदनी चौक का चुनाव जीता, जिसे मैं लड़ना नहीं चाहता था, तो लोगों ने कहा, वाह, क्या कमाल कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपने वह कहानी नहीं सुनी कि एक नदी थी, उसमें एक बच्चा डूब रहा था, किनारे पर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं रहा था। तभी लोगों ने देखा कि एक आदमी ने तेज़ी से छलांग लगायी और वह जाकर उस बच्चे को बचा लाया। लोगों ने कहा, वाह, क्या कमाल कर दिया। उसने कहा, "वाह, कमाल कर दिया" मत कहो, पहले मुझे बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था? तो मुझे भी पार्टी ने धक्का दिया और मैं वहां जाकर तैरने लग गया। ...**(व्यवधान)**... मैं एक बार चांदनी चौक से चुनाव नहीं जीता।

एक माननीय सदस्य: उस समय ओम जी ही होंगे।

श्री विजय गोयल: उस समय ओम जी नहीं थे। कुछ लोग समझते थे कि शायद मैं एक बार तुक्के से जीत गया होऊंगा। लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे जो संस्कार दिए थे, उसके हिसाब से जब मैंने हिन्दू और मुस्लिम दोनों के लिए काम किया तो उस समय मैं दूसरा चुनाव फिर चांदनी चौक से जीता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वहां पर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, तो लोग कहेंगे कि 1947 के बाद पहला एम.पी. है, जिसने दोनों समाजों के लिए बराबर का काम किया है। अगर प्रधान मंत्री कोष से राहत दिलाई, तो दोनों समाजों के लिए दिलाई। जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरा देश मुझे कैसे मिला था? जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरा देश मुझे ऐसा मिला था, जो कि धर्म के आधार पर विभाजित था। उस समय जिन्ना ने यह कहा कि हम मुस्लिम्स को एक अलग एक कंट्री चाहिए। हम किसी के दबाव के अंदर यहां नहीं रह सकते हैं। हमें ऐसा देश मिला था। जब मैं चुनाव लड़ने आया, तब भी मुझे समाज विभाजित मिला। मैं जब चुनाव लड़ता था, तो 17 परसेंट वोट छोड़ कर लड़ता था। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था। जब एक कैंडिडेट मुस्लिम्स का अतिरिक्त खड़ा हो जाता था, तो ये सारा मीडिया लिखता था कि गोयल ने वोट विभाजित करने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। जब चार हिंदू खड़े होते थे, तो कोई नहीं कहता था कि इनके वोट विभाजित होंगे। यह जो नागरिकता संशोधन कानून है, मुझे आज तक यह नहीं पता कि जब प्रजातंत्र के अंदर बहुत का राज है और बहुमत से सदन के अंदर उस बिल को पास कर दिया गया, जिस बिल के अंदर किसी की नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि

[श्री विजय गोयल]

देने का प्रस्ताव है, तो आप लोग आज सड़क पर जाकर उसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? आज शाहीन बाग पर जो धरने पर बैठे हैं, उसमें मेरे सामने जो विपक्ष बैठा है, शाहीन बाग में 70 दिनों तक इनको बैठाने के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह शाहीन बाग घृणा है, यह शाहीन बाग नफरत है, यह शाहीन बाग झूठ है, यह शाहीन बाग मक्कारी है, यह शाहीन बाग देश के विकास में रोड़ा है, यह शाहीन बाग विभाजनकारी है, यह शाहीन बाग सांप्रदायिक है और यह शाहीन बाग न होता, तो यह दंगा भी न होता। ...**(व्यवधान)**... एक शाहीन बाग जब शुरू हुआ, तो आप समझिए ...**(व्यवधान)**... उपसभाअध्यक्ष जी, भाषण देना आसान नहीं होता, जो मैं एक लाइन यहां पर बोलता हूं, वह लाइन अंदर जाती है, मैं उसको फॉलो करता हूं, उसे सिर्फ कहने के लिए ही नहीं कह रहा हूं। गांधी जी की बातों का असर इसलिए होता था कि गांधी जी जो कहते थे, वे उसे करते थे। मोदी जी की बात का आज असर इसलिए है कि मोदी जी भी जो कहते हैं, वे उसे करते हैं। मेरे गृह मंत्री जी की बात का असर इसलिए है कि अगर गृह मंत्री जी कह देंगे कि धारा 370 हटेगी, तो वे हटाकर रहते हैं, यदि गृह मंत्री जी कह देंगे कि 35ए के ऊपर काम करेंगे, तो करेंगे, गृह मंत्री कहेंगे कि सीएए आएगा और एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो पीछे नहीं हटेंगे, गृह मंत्री कहेंगे कि एनपीआर आएगा, तो एनपीआर आएगा और गृह मंत्री कहेंगे कि दंगाइयों को सजा मिलेगी, तो आप मान लेना कि एक-एक दंगाई को सजा मिलेगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं पूछता हूं कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया है? हम लोग बड़े-बड़े फैसले लेते रहे हैं, आप रोड़े अटकाते रहे हैं, चाहे वह जीएसटी हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे तीन तलाक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो। अभी हमने कोरोनावायरस के कारण अपने लोगों को एयरलिफ्ट किया है। मैं भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री के बारे में लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो नागरिकता संशोधन कानून है, आप सदन के लोग वहां पर हिंदू शरणार्थी कैम्पों में नहीं गए होंगे, मैं गया था। आप लोग जामिया नहीं गए होंगे, जब दंगे हुए थे, उसके बाद मैं जामिया गया था। आप लोग उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी और सारे इलाकों के अंदर नहीं गए होंगे, वहां मैं गया था। मैं चार दिनों तक घूमता रहा, इसीलिए कि सदन को बता सकूं कि वहां पर असली कहानी क्या हुई थी। उपसभाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं यह कहां की राजनीति है? आप बूढ़ी बेचारी खालाओं को बिठा दें और आप उनके पीछे छुप जाएं और उसके बाद उस राजनीति को बढ़ाएं, यह ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह कानून सदन में चर्चा करके बना था। अगर आज सदन में कानून बनेगा और सड़कों पर उसकी खिलाफत होगी, तो आप यह समझिए कि कल वह दिन दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट जो फैसले सुनाएगा, लोग उसकी भी खिलाफत करने के लिए सड़कों के ऊपर उतरेंगे। आप यह ध्यान रखना कि ऐसा समय भी आ जाएगा। पाकिस्तान में 23 प्रतिशत हिंदू थे और अब

1.3 प्रतिशत रह गए हैं। जो लोग सीएए की खिलाफत करते हैं, वे हिंदू शरणार्थियों के कष्ट को नहीं जानते हैं। उन बेचारों को गांधी ने कहा, उनको नेहरू ने कहा, उनको कांग्रेस ने कहा.. कांग्रेस ने रिज़ॉल्यूशन पास किया और कांग्रेस ने रिज़ॉल्यूशन में यह भी लिखा कि जो गैर हिन्दू हैं, जो मुस्लिम हैं, उन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं देनी है। श्री प्रणब मुखर्जी ने भी, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते जो रिपोर्ट पेश की, उस कमेटी में मेरे दोस्त सिब्बल साहब भी मेम्बर थे, और भी कांग्रेसी सदस्य मेम्बर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि नागरिकता जैसा कानून होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, इमरजेंसी में संसद ने उस अध्यादेश को भी पास किया होगा, जैसे भी पास किया होगा, जिसके तहत मैं और मेरे पिता जी दोनों जेल में थे, परन्तु तब भी हमने देश के अंदर दंगे नहीं कराए थे। आज उन लोगों को identify करना ही पड़ेगा, जिन्होंने दंगे कराए हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो हिन्दू और सिख पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, वे भारत आ सकते हैं। नेहरू जी ने कहा कि बंटवारे में गए हमारे भाई - बहन भारत आ सकते हैं और कांग्रेस ने कहा कि सब गैर-मुसलमानों को संरक्षण मिलेगा, जो अपना सम्मान व जान बचाने के लिए भारत आएंगे। इसी तरीके से डा. मनमोहन सिंह जी ने भी आडवाणी जी को कहा, अभी वे यहां पर नहीं हैं, जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हुए हैं, उनको हमें नागरिकता देनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, अब आप घटनाक्रम को देखिए। 11 दिसम्बर, 2019 को नागरिकता संशोधन बिल तीन दिन तक डिस्कशन होने के बाद पास होता है। आप सब लोग चर्चा में भाग लेते हैं और वह बिल पास हो जाता है। 14 दिसम्बर, 2019 को कांग्रेस की अध्यक्षा रामलीला मैदान में एक भाषण देती हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, जब उसे आर-पार का फैसला लेना होता है, आज यह वक्त आ गया है। अब आर-पार का आप लोग कहेंगे कि शायद कोई और मतलब है। आम जनता से पूछिए कि उसका क्या मतलब निकाला गया। 15 दिसम्बर को ओखला में आम आदमी पार्टी के विधायक... इनके सारे विधायक ऐसे चुन-चुनकर आ गए हैं, जो भड़काना, उकसाना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वे भड़काऊ भाषण देते हैं कि हे मुस्लिम भाइयो, आज़ादी से जीना व सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस राज में। अगर माइक पर अजान दी जाएगी...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): गोली मारो किसने कहा? ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयल: गोली मारो तो बहुत पहले का स्टेटमेंट था और हमारे गृह मंत्री जी ने उसके बारे में कह दिया था। उसके कारण कुछ नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए। उसके बाद माइक बंद कर दिए जाएंगे। कोई मुस्लिम टोपी और दाढ़ी नहीं रख पाएगा, औरतें बुर्का नहीं पहन पाएंगी। जब ऐसे भड़काऊ भाषण होंगे, तब दंगों की तो पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। ...**(व्यवधान)**... इसके बाद 15 तारीख को क्या हुआ, आप जानते हैं। 15 तारीख को सीएए के खिलाफ

[श्री विजय गोयल]

जामिया में हिंसात्मक प्रदर्शन हो गया। बस जली, स्कूटर जले, न्यू फ्रेंडस कॉलोनी जो शांतिपूर्ण इलाका था, उसको एकदम भड़का दिया गया और वह आग में जल पड़ी। वहां पर 1,500 चप्पलें मिलीं। स्टूडेंट्स 1,500 चप्पलें नहीं पहनते। ये लोग कहां से लाए गए थे, क्यों लाए गए थे, इसके बारे में सोचना होगा। इससे भी ज्यादा यह हुआ कि जामिया में जो आगज़नी हुई, उसमें ...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): आपको जामिया के स्टूडेंट्स की स्ट्रैंथ पता है? जामिया में 30 हजार स्टूडेंट्स हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप बीच में मत बोलिए। आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयल: मैं स्टूडेंट्स लीडर रहा हूं। मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स की जेहनियत क्या होती है? ...**(व्यवधान)**... आप यह बात समझ लीजिए। जब ये लोग जामिया के अंदर गए, तो एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में जो पुलिस थी, वह लाइब्रेरी के अंदर जाकर डंडे से वार कर रही थी। इस पर मैंने कहा कि देखिए भाई, यह क्या आया है? उसके पांच मिनट बाद दूसरा वीडियो आ जाता है। उसमें दिखाई देता है कि लोग पत्थर लेकर, हिंसात्मक होकर लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। वे दरवाजे बंद कर रहे हैं, मेजें अड़ा रहे हैं। वहां पर पुलिस गई, तो पुलिस को demoralise किया गया, पुलिस की निंदा की गई। बार-बार यह कहा गया कि पुलिस वहां पर क्यों गई और पुलिस ने बड़ी brutality की। उसी पुलिस के बारे में जेएनयू के समय में आप ही लोग यह कहने लगे थे कि पुलिस क्यों नहीं गई? क्या आप इस तरह से पुलिस को इतना demoralise करेंगे? 70 दिन तक शाहीन बाग के अंदर धरना चलेगा और धरना इस बात का इंतजार करेगा कि पुलिस कुछ एक्शन ले और हम वहां हिंसक हो जाएं। मुझे बताइए वहां महिलाओं को बैठाने और भेजने वाले कौन लोग थे? किस की पार्टी ने कहा था कि हम शाहीन बाग के साथ हैं? वहां जाकर कौन-कौन से कांग्रेस के नेता भड़काऊ भाषण देकर आए थे, उनके नाम बताइए? हम वहां नहीं गए थे, आपके नेता वहां गए थे। एक नेता का नाम तो मैं आपको अभी बता देता हूं- श्री मणिशंकर अय्यर वहां गए थे। अब आप कह दीजिए कि वे हमारे नेता नहीं हैं। श्री दिग्विजय सिंह गए। महिलाओं को आगे कर दिया, बच्चों को आगे कर दिया, भड़का दिया, उकसा दिया और बिरयानी खिला दी तथा PFI से funding भी दिला दी। अब मुझे बताइए कि उकसाने के लिए बचा क्या? आप उकसाइए, दंगा कराइए और फिर पुलिस से पूछिए कि तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? वह तो अभी गृह मंत्री जी बता देंगे कि क्या कार्रवाई हुई। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: आप अपने होटल में बिरयानी खिलाते हो कि नहीं? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री कपिल सिब्बल जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। केवल श्री विजय गोयल जी की बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयल: श्री केजरीवाल साहब ट्वीट करते हैं कि आंदोलन करो और श्री मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं कि पुलिस वाला बस को जला रहा है। ...**(व्यवधान)**... पुलिस वाला बस को जला रहा है, जबकि पुलिस वाला जलती हुई बस को बुझा रहा था। इससे शर्मनाक सोशल मीडिया का कोई ट्वीट नहीं हो सकता।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर क्या हुआ, उसके बारे मैं सदन में बताना चाहता हूं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर भी जगह-जगह धरने बैठा दिए गए। पहले धरने साइड रोड के ऊपर थे, लेकिन बाद में दिनांक 23 और 24 तारीख को मेन रोड पर आ गए। एक 66 नंबर रोड, सीलमपुर से यमुना विहार तक की है, पहले उसे बन्द कर दिया, दूसरी चांदबाग से वज़ीराबाद रोड उसे बंद कर दिया, फिर-नूरे इलाही से गोंडा रोड को बंद कर दिया, यहां तक कि दंगाइयों ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को भी बन्द कर दिया, क्योंकि इन्होंने शाहीन बाग से सीखा था कि हम बताएंगे कि एम्बुलेंस जाएगी कि नहीं।

महोदय, दिनांक 23 फरवरी की सुबह, भारत बन्द के आह्वान की आड़ में मेन रोड जाम कर दिए गए। जब लोग चारों तरफ से घिर गए और आवागमन बन्द हो गया, तब वहां CAA के समर्थन में सड़क खोलने की मांग को लेकर लोग मौजपुर चौक पर इकट्ठे हुए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप श्री कपिल मिश्रा के बयान को भी देखेंगे, तो आप पाएंगे, अपने बयान में वे कहते हैं कि तीन दिन के लिए इस सड़क को जाम मत कीजिए क्योंकि ट्रम्प साहब आए हुए हैं। उसके बाद विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। उस विचित्र स्थिति में कितने लोग मारे गए, कितना पथराव हुआ, इसे आप देख सकते हैं। कदमपुरी, सीलमपुर और जाफराबाद मेट्रो स्टेशनों पर आग लगा दी गई।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हताहत हुए, चाहे वे मुस्लिम भाई थे, चाहे वे हिन्दू भाई थे, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा भी है कि एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, मैं भी यही चाहता हूं कि जो भी दोषी हों, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।

महोदय, मोदी जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह एक बहुत बड़ी conspiracy थी, मोदी जी के विकास के काम को रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को खराब करने के लिए यह बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। अत: हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के दंगे दोबारा न हों, इनसे हम सीखें, सौहार्द स्थापित करें, शान्ति बनाए रखें, प्रेम सद्भाव हो और गंगा-जमनी तहज़ीब बनी रहे।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): प्रो. मनोज कुमार झा। आपको बोलने के लिए पांच मिनट का समय है।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका शुक्रिया।

महोदय, जब सदन मार्च के महीने में शुरू हुआ, तो मैं शुरुआत के दो दिन सदन में नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में एक निधन हो गया था, लेकिन मैंने वहां से लोगों से बात की, तो कहा गया कि होली के बाद चर्चा होगी।

सर, यह अपने आप में, मैं समझता हूं कि पूरे सदन की प्राथमिकताओं और संवेदनाओं पर एक टिप्पणी है, जो कम-से-कम दिल्ली दंगा पीड़ित हैं, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा होगा कि होली के बाद चर्चा होगी। I wish to apologize on behalf of my House and my colleagues to the people of Delhi as we failed you. That is number one. Secondly, I also beseech my colleagues, my fellow parliamentarians, Ministers and honourables; can we guarantee the people of Delhi or the people of this country that there shall be no more targeted violence? Can we guarantee that? I am worried as a citizen, Sir. We are not concerned about electoral victories or defeats. Make no mistake. If the poison continues like this, there shall be nothing called 'fighting elections'. Fighting for what? There shall be nothing left. We are losing the track; we are losing the plot, Sir.

सर, मैं पूरे होशोहवास में यह बात कह रहा हूं कि यह हवा 1947 से ज्यादा खराब है। 1947 में एक लाइन खींची गई थी। सर, एक बॉर्डर है, घरों के अंदर बॉर्डर है। मेरा घर बंट गया, पड़ोस बंट गया। पर यह क्यों बंट रहा है सर? कोई हथियार कत्ल नहीं करता। माफ़ कीजिएगा, बहुत लोग कह रहे थे हथियार रुकवा दो, हथियार रुकवा दो। सर, हथियार कत्ल नहीं करता है। माहौल का ज़हर कत्ल करता है। सर, ईंट से भी मारा जा सकता है, पत्थर से भी मारा जा सकता है, गला भी दबाया जा सकता है, बुलेट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर इस ज़हरीले माहौल को नहीं रोका गया, तो बहुत बुरा होगा।

सर, कमाल है! भाजपा के हमारे मित्र लोग अक़सर कहते हैं कि इस आंदोलन के पीछे हम हैं। मैंने इसी सदन में कहा था कि हम तो अपना-अपना घर संभाल रहे हैं। अगर हमारी पूरे देश में आंदोलन कराने की इतनी हैसियत होती, तो आज सत्ता में हम होते। यह स्वत:स्फूर्त आंदोलन है, मैं इसकी authorship नहीं लेना चाहूंगा। ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, मेरे दल की हैसियत नहीं है, यह spontaneous है।

सर, थोड़ी chronology समझते हैं। हम यहाँ 11 दिसंबर, 2019 को हार गए। बहस की, हार गए, मायूस होकर घर गए थे, उसके बाद spontaneous protest शुरू हुआ। मुझे यह कहने

में शर्म नहीं है कि मैं शाहीन बाग़ गया था । मैं शाहीन बाग़ गया था, लेकिन यह कौन-सी ज़बान है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है? मेरी बहुत सारी महिला साथी यहाँ मौजूद हैं। महिलाओं की अपनी एजेंसी होती है, उनकी अपनी autonomy है, आप यह नहीं कह सकते कि उनको आगे कर दिया गया। यह anti-women discourse है। वे बहुत सारे contradiction से लड़ रही हैं। वे शाहीन बाग़ में बहुत सारे contradictions से लड़ी हैं। आसान नहीं होता है घर की चहारदीवारी छोड़कर सड़क पर आकर बैठना। बाएं हाथ में काली पट्टी, दाहिने हाथ में संविधान और कांधे पर तिरंगा, आप उन्हें कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे। ये कपड़ों से नहीं पहचाने जाएंगे। मैं सभी से, अपने तमाम साथियों से सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है, इधर से उधर बहुत कुछ हो रहा है, विपक्ष भी आपको अपने जैसा ही चाहिए। मैं वह भी देख रहा हूं कि आपको विपक्ष भी आप जैसा ही चाहिए। मैं समझता हूं कि उस माहौल में कुछ चीजें हमारे लिए समझनी जरूरी हैं।

सर, मैं एक बात कहता हूं। नब्बे के दशक में जब श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद आंदोलन चल रहा था, तब एक वीडियो आया था ...**(समय की घंटी)**... सर, अभी केवल तीन मिनट हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): अभी दो मिनट और हैं, आप बोलते रहिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, इससे mental thought process टूट जाता है। नब्बे के दशक में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। यह नब्बे के दशक का एक वीडियो था, जिसमें एक व्यक्ति छोटी-सी बात कहता है कि जब इंसान नहीं होगा, तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? सर, यह छोटी-सी बात है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, लेकिन यह छोटी-सी बात आज के बड़े हुक्मरानों को समझ में नहीं आती है।

सर, मैं एक छोटी-सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप खत्म कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: वह बात यह है कि हमें यह पूरा का पूरा देखना होगा।

सर, अभी सुधांशु जी बहुत सारे उद्धरण दे रहे थे। मैंने दंगों पर काम किया है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी हूं और यह भी एक विषय है। एम.जे. अकबर साहब की एक किताब है, जिसका जिक्र हुआ है। उसमें सारे दंगों की पूरी की पूरी chronology है। आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसकी जड़ में कौन हुआ करते थे?

सर, एक आखिरी टिप्पणी कह कर बात खत्म करने दीजिए कि जब नर्सिंग होम और विद्यालय जद में आ जाएं - विद्यालयों से हिंसा हो रही है, किताबें जलाई जा रही हैं, जामिया लाइब्रेरी पर attack हुआ, जो भी सभ्यता किताबें जलाए या कुछ और जलाए, जो भी सभ्यता नर्सिंग होम, जहाँ healing होती है, वहाँ से violence हो, उस सभ्यता की रुग्णता का संकेत साफ है।

[प्रो. मनोज कुमार झा]

सर, एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूं। Ece Temelkuran - 'How to Lose a Country', and I had a huge sense of *deja vu*, Sir. I would just read out seven steps. One is, create a movement, which we have created, a poisonous movement; second, disrupt rationale and terrorize language. Number three, remove this shame; immorality is hot in post-truth world. Fourth, dismantle judicial and political mechanisms. Fifth, design your own citizens. Sixth, let them laugh at the horror. And, finally, build your own country. And, I cannot stand with that. Thank you, Sir. Jai Hind!

श्री संजय सिंह: मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने इस अति संवेदनशील विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें,

"वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, तो पत्थर भी आँसू बहाने लगेंगे,
अगर भीड़ में खो गई आदमियत, तो उसे ढूँढ़ने में ज़माने लगेंगे।

मान्यवर, दिल्ली में इंसानियत का, आदमियत का, मानवता का कत्ल हुआ है। यह एक दिन में नहीं हुआ। चुनाव के पहले आग सुलगाई गई और चुनाव के बाद आग लगाई गई। दिल्ली के अन्दर यह सब कुछ एक साजिश के तहत एक सुनियोजित दंगा कराया गया है, यह मेरा सीधा आरोप है। मान्यवर, मैं यह क्यों कह रहा हूँ? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि इनके एक सांसद, ...**(व्यवधान)**... इनकी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं कि * आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है, ...**(व्यवधान)**... आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है, ...**(व्यवधान)**... आप लोग इस तरह का बयान देंगे। ...**(व्यवधान)**... * आनी चाहिए इस सरकार को। ...**(व्यवधान)**... आप लोग ऐसे बयान देते हैं। ...**(व्यवधान)**... आप इस देश के लोगों को भड़काते हैं। ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर ट्रम्प की सरकार है, ...**(व्यवधान)**... यहाँ शेख हसीना की सरकार है, यहाँ पर किसकी सरकार है? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): जो ठीक नहीं है, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, इनके द्वारा इस तरह के बयान दिए गए। ...**(व्यवधान)**... तीन दिन तक दिल्ली जलती रही, गृह मंत्री खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश। ...**(व्यवधान)**... दिल्ली के लोग तीन दिन तक एक हिस्से में जलते रहे। उनकी दुकानें जलाई गईं, हिन्दू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जानें चली गईं, दो पुलिस वाले जल गए, उनकी जानें चली गईं और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ कर इन घटनाओं का आनन्द ले रहे थे। ...**(व्यवधान)**... मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? ...**(व्यवधान)**... ऐसे गृह मंत्री को अपने पद

*Expunged as ordered by the Chair.

पर रहने का अधिकार नहीं है। ...**(व्यवधान)**... दंगे इन लोगों ने कराए। ...**(व्यवधान)**... दंगे इन लोगों ने कराए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप बैठिए, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: कल दूसरे सदन में मैंने इनको सुना। ...**(व्यवधान)**... कल दूसरे सदन में मैंने इनको सुना, ये कह रहे हैं कि दंगे में भारतीय मारे गए। ...**(व्यवधान)**... गृह मंत्री जी, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे पूछना चाहता हूँ, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): जो ठीक नहीं है, उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: अगर दंगे में भारतीय मारे गए, तो आप 25 दिन उन भारतीयों से मिलने, उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए, आप इसका जवाब दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप उन भारतीयों से मिलने क्यों नहीं गए? ...**(व्यवधान)**... आप उनको मुआवजा दीजिए। ...**(व्यवधान)**... उनके लिए मुआवजा दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप सुप्रीम कोर्ट की SIT बनाइए। ...**(व्यवधान)**... आप सुप्रीम कोर्ट की SIT बनाइए। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, * इनका एक नेता है। ...**(व्यवधान)**... वह कहता है कि हम निबट लेंगे, हम दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। ...**(व्यवधान)**... जो जज FIR का ऑर्डर देता है, आप उस जज का transfer कर देते हैं। ...**(व्यवधान)**... Judiciary खतरे में है। ...**(व्यवधान)**... Judiciary खतरे में है। ...**(व्यवधान)**... आपने जज का transfer कर दिया। ...**(व्यवधान)**... आदमी न्याय के लिए कहाँ जाएगा? ...**(व्यवधान)**... अगर जज जाँच के लिए ऑर्डर करता है, ...**(व्यवधान)**... अगर जज transfer के लिए ऑर्डर करता है, ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, उस जज का transfer कर दिया जाता है। ...**(व्यवधान)**... दिल्ली में यह सब कुछ हुआ। ...**(व्यवधान)**... दिल्ली के अन्दर यह सब कुछ हुआ। ...**(व्यवधान)**... गृह मंत्री जी, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप विषय के ऊपर अपनी बात रखिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: आप शांत हो जाइए और बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... गृह मंत्री जी, आपसे लिखित रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर कफ्यू लगवाइए, दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर आर्मी भेजिए, दंगे हो रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार खामोश बैठी रही, आप चुपचाप बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आप क्यों बैठे रहे? आप इसलिए बैठे रहे कि आपके लोग इन दंगों में शामिल थे। ...**(व्यवधान)**... वे 300 लोग कौन थे? ...**(व्यवधान)**... वे 300 लोग कौन थे? ...**(व्यवधान)**... कौन थे वे 300 लोग, जो उत्तर प्रदेश से आए। ...**(व्यवधान)**... आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से आए। ...**(व्यवधान)**... उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है, क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? ...**(व्यवधान)**... क्या कार्रवाई हुई भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ? ...**(व्यवधान)**...

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपका समय खत्म हो गया है, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं अंत में एक बात कह कर अपनी बात को खत्म करूँगा। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ऐसे समय में भी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए वे सिख, मोहिंदर सिंह और इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाई।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप बैठिए, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री संजय सिंह: वह प्रेमकांत, जिसने मुसलमानों की जान बचाने के लिए अपने शरीर को 70% झुलसा दिया ...**(व्यवधान)**... वे मुसलमान, जिन्होंने मंदिरों को बचाने का काम किया।...**(व्यवधान)**... उनकी इन्सानियत को समझिए। ...**(समय की घंटी)**... उनके भाईचारे को समझिए। ...**(व्यवधान)**... उनकी एकता को समझिए।...**(व्यवधान)**... हिन्दुस्तान को बरबाद करने का काम मत कीजिए।...**(व्यवधान)**... आप लोग हिन्दुस्तान को बरबाद करने का काम कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**... तोड़ने का काम कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): देखिए, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह: सर, अभी हमारे पास एक मिनट का समय और है। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**... मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**... *

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): अब इनकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... श्री प्रकाश जावडेकर जी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यहां हम मानवता की एक बहुत बड़ी त्रासदी की चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब किसने उकसाया, यहां इसकी चर्चा हुई। मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं और आपको एक पेनड्राइव दे रहा हूं, जिसमें इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। पांच-सात मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात का उल्लेख किया है कि सीएए पास होने के बाद रामलीला मैदान से आर-पार की लड़ाई की बात हुई। वहां पर यह भी कहा गया, "जो विरोध नहीं करेगा, सड़क पर नहीं उतरेगा, वह क़ायर कहलाया जाएगा।" शाहीन बाग़ में शरजील इमाम, जिन्ना वाली आज़ादी मांग रहे थे यानी देश को तोड़ने वाली आज़ादी मांग रहे थे।...**(व्यवधान)**... इस पेनड्राइव में सब कुछ है, यह आपको मिल जाएगा।...**(व्यवधान)**... मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**... मैं खुद यह बात कह रहा हूं कि मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**... दूसरा, यह बोला गया, "असम को देश से तोड़ना

है।" इसके लिए वहां मंच तैयार किया गया था। उस सभा में. 'आप' के विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी थे।...**(व्यवधान)**... आम आदमी पार्टी के विधायक अभी भी हैं।...**(व्यवधान)**... उन्होंने कहा, "ये हमारी अज़ान वगैरह सब बंद करवा देंगे। " उन्होंने यह सब बोला।...**(व्यवधान)**... यह उकसावा नहीं था तो क्या था? ...**(व्यवधान)**... वहां के पार्षद ताहिर के घर बम की फैक्टरी मिली, यह उकसावा नहीं था, तो क्या था? ...**(व्यवधान)**... "मोदी और शाह को मारेंगे ", ऐसा बच्चों से कहलवाया गया। ...**(व्यवधान)**... यह उकसावा नहीं था, तो क्या था?

[उपसभाध्यक्ष, (श्री तिरुची शिवा) *पीठासीन हुए।]*

और वारिस पठान 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ की भाषा बोलते हैं, यह उकसावा नहीं था, तो क्या था? ...**(व्यवधान)**... मैं उसी बात पर आ रहा हूं।...**(व्यवधान)**... आप बैठिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... अभी मुझे बोलते हुए दो ही मिनट हुए हैं।...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... एक नाम आया...**(व्यवधान)**... लुधियाना में 27 फरवरी को एक जलसा हुआ, वहां पंजाब के शाही इमाम और मजलिस अहरार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, "ये तुम्हारी दाढ़ियां पकड़कर खीचेंगे, उस समय तुम्हें याद आएगा।" ...**(व्यवधान)** ... आगे वे कहते हैं, "नहीं जागोगे, तो ये लोग तारीख़ में तुम्हारा नाम मिटा कर रख देंगे। हमारी बहू-बेटियां खड़ी होंगी। हमारी गरदनें उतार दी जाएंगी। हमारी बहू-बेटियों को ये कुत्ते की तरह नोचेंगे, मेरी यह बात याद रख लेना।" यह उकसाना नहीं है तो क्या है? ...**(व्यवधान)**... मैं नाम दे रहा हूं।...**(व्यवधान)**... उनका नाम है मौलाना हबीब-उर-रहमान।...**(व्यवधान)**... एक मिनट, मैं बता रहा हूं।...**(व्यवधान)**... आप सबको विश्वास न हो तो मैं कल पैनड्राइव दे दूंगा। ...**(व्यवधान)**... टीवी में जो आया...**(व्यवधान)**... मैं वही बता रहा हूं।...**(व्यवधान)**... एक मिनट, दारुल उलूम के प्रिंसिपल कहते हैं, "या तो इन क़ाफिरों को जलील करेगा या फिर उनसे क़लमा पढ़वाकर उसे इस्लाम का कैडर बना देगा। या तो अमित शाह रुसवा होकर मरेगा या मोदी रुसवा होकर मरेगा या फिर उनका बच्चा क़लमा पढ़कर मुस्तफा का कैडर बनेगा। "इस्लाम की ख़िदमत में मौलाना शहरयार रजा यह कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**... यह मैं लिखित दे रहा हूं, यह मैं ऑथेन्टिकेट करके लिखित दे रहा हूं। एक प्रमुख ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Prakash, he is on a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Only one minute. ...*(Interruptions)*... This was a programme release...*(Interruptions)*... of all the speeches. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): He is on a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I have authenticated it. ...*(Interruptions)*... I am submitting the pen drive. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): One minute. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... We are discussing a very serious issue, which is also sensitive. ...*(Interruptions)*... What has been said is in the context of the incendiary speeches, inflammatory speeches that have been made. When I spoke, we were conscious, so we did not take names. ...*(Interruptions)*... As per the Rules, the names of the people who cannot come and speak for themselves or explain...*(Interruptions)*... This is number one. ...*(Interruptions)*... Number two...*(Interruptions)*... Please allow me. Secondly, Javadekar*ji* is a Union Cabinet Minister. He is also the Minister responsible for the Ministry of I&B. He has produced something which is now the property of the House. But my submission is, and that is why I raised it, that the Minister should not be selective in giving facts or information to the House. Because there is something very serious which the hon. Minister has said. It is about the threat to the Union Home Minister and that is serious. If that is there, it is a very, very serious matter and should be part of that inquiry, a Judicial Commission to be set up to be monitored by the Supreme Court. My submission is that the Minister should make available to the House all the recordings..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): He has said that.

SHRI ANAND SHARMA: All the recordings, not selectively.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): He has said that. He will be giving that. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Yes. ...*(Interruptions)*... I can give you also...*(Interruptions)*... This was broadcast on a very famous TV channel. All the speakers have spoken. I have listened...*(Interruptions)*... I have the pen drive. ...*(Interruptions)*... One minute. ...(Interruptions)... One minute. ...*(Interruptions)*... मैं शर्मा जी की भावना को समझता हूं, आप सबकी भावना और मेरी भावन भी वही है। देखिये यह समय भड़काने का और दोषारोपण का नहीं है। लेकिन एकतरफा आप बोलते रहोगे और देश सुनता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा, इतना ही मुझे कहना है।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, a couple of times, references have been made about the transfer of an hon. Judge of a particular High Court. I only wish to clarify in this hon. House that on the constitutional mandate, there is a proper procedure of transfer of any High Court Judge which in the instant case is the Collegium of the Supreme Court. And I wish to clarify that all the compliance, including the consent of the hon. Judge, was taken before the process. We only issued the orders. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Abdul Wahab. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, what is happening now is that with our talk these things will escalate instead of getting suppressed. Whatever happened was very sad. A tragic incident has happened. I have a request to make. To resist coronavirus, the Government is sending a team to Kerala. I request hon. Home Minister to send a team to Kerala to see how we are containing the virus of communalism. In 1970, something happened. Immediately, a military flag march was there. It was done immediately on the same day and the military had a flag march. Here, it did not happen. So, I request the Home Minister for that. Even if something happens in a Panchayat, Panchayat Members or Panchayat President or the MLA goes there and takes remedial steps. ...*(Interruptions)*... Okay, it was your constituency where something was happening. But, in India, not a single MP or MLA is going there. I am not blaming only the BJP or the Home Minister. Even AAP has got many MLAs in Delhi. They are also not going there. I am not blaming anybody. They may not be equally responsible but they are responsible. The Delhi Government is also responsible to a certain extent. Of course, the Home Ministry is 75 per cent responsible. What has happened has happened. Now, the AAP Government has announced ₹10 lakh for this, that and all. The Central Government should also announce at least some compensation to rehabilitate them. This is my first request. Second thing is, one by one, things happened. In Shivpuri, this happened; in Mustafabad, that happened. I am not going to tell all this. We all went there; we have seen everything. I am not repeating it. But, this should not happen any more in India, especially in Delhi. This is our simple request. I am not naming any

[Shri Abdul Wahab]

community, my community or your community. At least, this should not happen. Whatever happens always happens to us; we are the most affected by this. Please stop hate statements and all. Thank you very much for giving me a chance to deliver my speech on this issue.

SHRI VAIKO: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. With an unbearable agony and anguish over the barbarous, brutal and cruel killings which took place in Delhi in which both Hindus and Muslims lost their lives, my heart goes to the members of the bereaved families. I pay my homage to them. The only silver lining, in an otherwise dark horizon over this country when this was happening, when killings were going on and the blood was flowing in the North-East Delhi, was that there were families to hug the other community. The Hindus embraced the Muslims, gave them shelter, gave them food and they protected them. Likewise, many Muslim families gave shelter and protected the Hindus. So, the ethos of this country, the undercurrent of this country and the genuine humanism of this country has not died whatever may have happened. I salute those people who gave shelter to the people of the other community. When they were trembling and thinking that they may get killed, they embraced them and gave them shelter. This is the greatness of this country. Because of the paucity of time, I cannot go beyond but on 2nd March, 2020, The Hindu, a renowned newspaper, reported the news that a 53-year old was lynched and his teenage son was assaulted in violence on February 24. We could not read the news at all. The boy was tortured, his head was smashed and he was killed. Likewise many pieces of news appeared in all the newspapers like "four more bodies pulled out from the drains in the North-East Delhi; none identified yet; there was no information on five missing person; 55 persons have lost their lives." Another heartbreaking event gives a shellshock which appeared in The Hindu on 3rd March, 2020, under the caption "A brother's search ends at the mortuary". I shiver to read the news but, at the same time, my friends, the most gruesome killing, which has shaken everybody, is the brutal killing of Ankit Sharma, an IB official. Mr. Vice-Chairman, Sir, I bow my head to express my tributes and condolences to the gallant officer, who sacrificed his life to protect the honour of this country.

Another shocking event is the killing of 35 year old Mudhasir Khan, whose wife and eight minor daughters, the youngest of whom is 18 days old, are left in tears of blood. He was shot dead in Northeast Delhi's Kadambari area on February 25th.

6.00 P.M.

In your speech you said that we are a great democracy. Yes, of course, we are the tallest democracy but I am pained to say we have to bow our heads in shame when the Secretary-General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, who was the Prime Minister of Portugal and who is a man for Human Rights, champion of Human Rights, he has expressed his concerns. Not only that, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet Jeria has expressed her shock and sorrow for the victims of Delhi riots. The United Nations HRC has filed an intervention in the Supreme Court —this is unprecedented; it has never happened in the history of India —to make her as amicus curiae on the Citizenship Amendment Act and informed India's Permanent Mission in Geneva about it. Therefore, the villain of the piece is Citizenship Amendment Act (CAA). The second villain is National Register of Citizens (NRC). The third most notorious villain is National Population Register. What is the immediate solution for the malice, hatred, distress and communal clashes? The only answer is this; revoke CAA; revoke NRC; revoke NPR. Thank you.

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन में होली के बाद आज दिल्ली की हिंसा पर चर्चा हो रही है और जब यह सदन प्रारंभ हुआ था, तब सरकार के द्वारा यह कहा भी गया था कि सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, सरकार इसकी जानकारी से सबको अवगत कराना चाहती थी, लेकिन चर्चा होली के बाद हो। मैंने यह सोचा कि होली देश में सद्भाव का त्योहार है, इसलिए हम सब लोग अच्छे मन से, सद्भाव और विश्वास से देश की जनता को आश्वासन देने के नाते चर्चा करेंगे। मेरे मित्र देरेक आज चले गए। मैंने आज सुबह ही उनका लेख पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा कि आपके और विपक्ष के द्वारा यह लिखा जाता है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती थी, लेकिन आप सदन चलने नहीं देना चाहते थे और आप सोशल मीडिया पर अपना भाषण ट्वीट कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह सदन प्रारंभ हुआ, तो रूल 267 के तहत आपका नोटिस था। उस पर चेयरमैन साहब की रूलिग थी, बार-बार यह कहा जा रहा था कि चर्चा अवश्य होगी। आज जब आप देश के नौजवानों के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, तो देश के नौजवानों के लिए चलने वाली संसद को रोकने का काम आपने ही किया। इतना ही नहीं किया, बल्कि टीएमसी के सांसद लगातार वैल में आए।...**(व्यवधान)**...

श्री मो. नदीमुल हक (पश्चिम बंगाल): सर, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب ندیم الحق:** سر، سدن چلانے کی ذمہ داری سرکار کی ہے ...(مداخلت)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, ये जो कह रहे हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि-

"आपने भी अनोखा सितम ईजाद किया,

आशियाने को फुँक कर पानी को बहुत याद किया।"

आप ही जलाने वाले और आप ही बाद में पानी को याद करने वाले, आप ही संसद को बंधक बनाने वाले, इसलिए सबसे पहले इस देश में यह तय होना चाहिए कि संसद बहस का स्थान बनना चाहिए। संसद को रोकना - यह विपक्ष का काम नहीं है। और संसद में बहस होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**... आज काँग्रेस के लोग बहुत अच्छे तरीके से संविधान को पढ़ रहे थे। कपिल सिब्बल साहब ने आईपीसी के सेक्शन-153(ए) को पढ़ा, हमें आपने Fundamental Duties का आर्टिकल 54(ए) पढ़ाया, बाकी लोगों ने भी संविधान को पढ़ा, लेकिन सिब्बल साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी ही ईमानदारी से आप सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पढ़कर लोगों को बता देते, तो इस देश का भला जरूर होता। यह हमारी जिम्मेदारी थी। एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की जनता को सही बात बताएं, लेकिन आपने वह नहीं पढ़ा, वह बात नहीं बताई। महोदय, हमारी सरकार ने क्या किया? मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारत में सरकार स्थायी होती है। सरकार बीजेपी की हो, सरकार काँग्रेस की हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, वह भारत सरकार होती है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 1950 में नेहरू जी और लियाकत जी का जो पैक्ट हुआ, उसमें यह लिखा गया था कि पड़ोसी देशों को विभाजन के बाद अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी होगी। आज अगर हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की मानवीय जीवन की गरिमा पर प्रश्न उठे हैं, तो उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह मानवता का काम है।

SHRI KAPIL SIBAL: What you are saying is not right.

श्री भूपेन्द्र यादव: लोग एक लंबे समय तक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होते रहे, पड़ोस के देशों में अल्पसंख्यक अपने जीवन को दूभर तरीके से जीते रहे और वे लगातार हिन्दुस्तान में आते रहे। यह हिन्दुस्तान तो वह आवाज है कि जब श्रीलंका में हमारे तमिल भाइयों पर अत्याचार हुआ, तो उनको भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने देने का अधिकार इस भारत ने दिया। दुनिया में कहीं भी धार्मिक रूप से प्रताड़ना हुई है, तो उनको जीवन जीने देने का अधिकार भारत ने दिया है।

†Transliteration in Urdu script.

आखिर क्यों हम सच की राजनीति नहीं करना चाहते, आखिर क्यों हम झूठ की राजनीति करके देश की जनता को बार-बार भरमाना चाहते हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि संसद के कानून को बंधक बनाना, संसद के कानून को रोकने का काम करना -- अगर भारत की परंपरा के आधार पर कोई धार्मिक रूप से पीड़ित व्यक्ति भारत में शरण माँगता है, तो दुनिया के सब धर्मों का उचित स्थान बनने का काम भारत ने किया है। इस सच को आपको बताना चाहिए। आज लड़ाई सच और झूठ की है, इसलिए नागरिकता संशोधन कानून के जिस विरोध के विषय को आप लोगों ने शुरू किया, उस विरोध के विषय के कारण देश में भ्रम फैला। महोदय, सारी दिल्ली में जो हिंसा हुई, मैं मानता हूँ कि उसके पाँच बड़े कारण हैं। इस हिंसा के षड्यंत्र को जानने के लिए उन पाँच कारणों को जानना होगा। मेरा पहला विषय है कि यह समय कौन-सा चुना गया था? यह समय जान-बूझकर क्यों चुना गया था? जो भारत के गौरव का क्षण था, जो भारत के आगे बढ़ने का क्षण था, जो भारत के लिए विश्व के मानचित्र पर अपने देश की मर्यादा, विषय और भूमिका को आगे बढ़ाने का समय था, उस समय को जान-बूझकर क्यों चुना गया? दूसरा, उस समय एक नियोजित तरीके से हिंसा करना, यह अपने आप में एक गहरी साजिश थी। तीसरा, जिन्होंने भी पत्थर फेंके, जिन्होंने भी bomb फेंके... आनन्द शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। हम भी अपने घरों में धर्म ग्रंथ रखते हैं, लेकिन बाहर हम संविधान की ही शपथ खाते हैं। इस संविधान के लिए जीने का काम करते हैं और जब इस सरकार ने शपथ ली, तब देश के प्रधान मंत्री ने सबसे पहले संविधान को नमन किया, उसके बाद शपथ ली। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो पुलिस का सिपाही, जिसका सबसे पहले वीभत्स तरीके से मर्डर किया गया था, क्या उसके कंधे पर भारत के संविधान का निशान नहीं लगा हुआ था, क्या मारने वालों को यह पता नहीं था कि वह अपने कंधे पर भारत के संविधान की शपथ लेकर आया है? क्या हम इसकी निंदा नहीं करेंगे? जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उस व्यक्ति पर जिन्होंने हमला करने का प्रयास किया है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ा देशद्रोह का काम किया है। उनकी निंदा करने का काम, हम सबका काम है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं यह कहता हूँ कि यह गहरी साजिश है, तो गहरी साजिश का अर्थ है कि उसी को निशाना क्यों बनाया गया? उनको न केवल निशाना बनाया गया, बल्कि न जाने कितने ही घाव किए गए। मनुष्य के दर्द की एक सीमा होती है। चाहे देश की सीमा पर खड़ा हमारी सेना का जवान हो, चाहे ट्रैफिक रोकने वाला हमारा पुलिस का सिपाही, वे देश की कानून और व्यवस्था तथा देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं। उसके 400 घाव किए गए! एक और सिपाही, रतन लाल, जो उसको बचाने गया, उसकी भी हत्या की गई। यह दंगा नहीं, यह एक गहरी साजिश थी। गृह मंत्री जी ने लोक सभा में निश्चित रूप से आश्वासन दिया है, हम यह मानते हैं कि सच्चाई की जाँच होगी और एक दिन ये चीज़ें जरूर सामने आएँगी। इसलिए जिस समय को चुना गया, जिस गहरी साजिश को किया गया, इसको करने वालों की पूरी तैयारी थी। बहुत सारे बयान हैं, प्रकाश जावडेकर जी ने भी दिए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्रकाश जी ने

[श्री भूपेन्द्र यादव]

भी जो बयान दिए हैं, उस प्रकार से अगर सही चीज़ है, तो यहाँ पर सब लोगों को देनी चाहिए, सच्चाई की जाँच इस सरकार के माध्यम से जरूर होगी। लेकिन, जिन्होंने तैयारी की, उनकी तैयारी पूरी थी।

उसके बाद, दिल्ली में अफवाहों का बाजार गर्म किया गया। अफवाहों का बाजार कैसे गर्म किया गया? लगातार अनेक तरह के संदेश आए। मैं जानता हूँ। मेरा 15 सालों से मुसलमान ड्राइवर है। उसने मुझसे कहा कि साहब, मैं रात भर जागा। मैंने पूछा, क्या बात हुई? उसने बताया, अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था। मुसलमान के मन में नहीं था, लेकिन मुसलमान के मन में शक की सुई भरने का काम एक साजिश के तहत किया जा रहा था और जिन्होंने भी यह किया, वे लोग देश के प्रति देशद्रोही हैं। उन लोगों को जरूर पकड़ना चाहिए, जिन्होंने दिल्ली को अफवाहों के बाजार से गर्म किया और इसको चिंगारी लगाने का काम किया। सर, हमने 1984 का समय भी देखा है। हमने दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में देखा है, पटौदी में हमने सिखों के घर जलते हुए देखे हैं, जो दिल्ली से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर थे। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि 36 घंटे के अंदर इस पर एकदम नियंत्रण करके दिल्ली की कानून और व्यवस्था को कहीं से भी खराब नहीं होने दिया गया।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरी चर्चा में एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं आया। आखिर, सकारात्मक सुझाव देने का काम किसका है? यह हम सबका है, यानी यह पूरे सदन का काम है। लेकिन, पूरी चर्चा के माध्यम से एक चीज़ जरूर ध्यान में आ रही है कि सच के नाम पर लगातार झूठ चलाया जा रहा है। मामला केवल Citizenship Amendment Act तक ही सीमित नहीं है। इस देश में जब भी किसी प्रमुख विषय पर चर्चा होती है, तो पोलिटिकल डिस्कोर्स जानना भी जरूरी होता है। इस देश में लम्बे समय तक सेक्युलरिज्म का एक पोलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा किया गया, मानो यह कांग्रेस सेक्युलरिज्म की चैम्पियन हो। आप शिव सेना के साथ भी चैम्पियन हैं, आप मुस्लिम लीग के साथ भी चैम्पियन हैं। आप जो कहो, वह सेक्युलरिज्म है और बाकी दूसरे जो कहें, वह सेक्युलरिज्म नहीं है। आपको सेक्युलरिज्म का मूल समझना चाहिए। इस देश के सेक्युलरिज्म का मूल इस देश का अध्यात्म है और वह क्यों है? क्योंकि जब गाँधी जी अपने दिन की शुरुआत करते थे, तो वे वैष्णव जन की प्रार्थना से करते थे। जब अम्बेडकर समता का भाव ढूँढ़ते थे, तो वे उसे बुद्ध के भाव में ढूँढ़ते थे। अगर राम मनोहर लोहिया इस देश का सांस्कृतिक उत्थान चाहते थे, तो वह रामायण मेले के माध्यम से चाहते थे। इस देश की संस्कृति को गाली देना सेक्युलरिज्म नहीं है, बल्कि इस देश के अध्यात्म को आगे बढ़ाना सेक्युलरिज्म है। आपने सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या की। आपने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को 70 सालों तक बंधक बनाकर रखा। आप उनकी महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे, सेक्युलरिज्म है - आप उनको पानी नहीं देंगे, सेक्युलरिज्म है ; आप उनको गरीबी में रखेंगे, सेक्युलरिज्म है और फिर आप उनसे कहेंगे कि आप हमें वोट दो। इस वोट बैंक के कारण देश का नुकसान हुआ है। नरेन्द्र

मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने सेक्युलरिज्म की अवधारणा को सही अर्थों में देने का काम किया है और हमारा सेक्युलरिज्म है- सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह सेक्युलरिज्म है। इस सेक्युलरिज्म को लेकर हम आगे चलेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि आपको समाधान पर शक नहीं होना चाहिए। आपने संसद नहीं चलने दी, आपने रूलिंग को नहीं माना और रोज़ वैल में आए। यह ठीक है कि आपके पास विपक्ष के नाते सारे विषयों को करने का अधिकार है, आप सरकार का प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन हमसे बार-बार पूछते हैं, उधर से भी पूछते हैं, बीच से भी पूछते हैं, जावेद भाई पूछ रहे थे कि आप इनका नाम ले रहे हो, उनका नाम ले रहे हो। आप दंगे की बात करते हैं और हमें कहते हैं... बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लोग पूछेंगे कि आखिर वर्ष 1947 से लेकर जब वर्ष 1964 में राउरकेला का हुआ, वर्ष 1967 में रांची का हुआ या वर्ष 1969 में अहमदाबाद का हुआ, सब जगह कांग्रेस की सरकारें थीं। 50 साल तक लगातार आपने देश को सेकयुलरिज्म के नाम पर एक राजनीति का शिकार बनाकर रखा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दंगे में या दिल्ली की हिंसा में हमारा और इस सदन का दायित्व, इस देश की हर पोलिटिकल पार्टी का यह दायित्व है कि इस देश के अंदर शांति और अमन का माहौल कायम हो, लेकिन मैं दुर्भाग्य से यह कहना चाहता हूं कि आपको यह परेशानी क्यों है? लोकतंत्र में अनेक विचार हो सकते हैं, लोकतंत्र में आप अपने विचारों से जनता को अवगत करा सकते हैं, लोकतंत्र का मिज़ाज कभी राष्ट्रविरोधी नहीं होता, बल्कि बहुविचारवादी होता है। जब यह बहुविचारवादी विचार है तो इसमें आर-पार की लड़ाई कहां आती है, यह कौन सा विचार है, यह दूसरे विचार को सम्मान देने वाला विचार नहीं है। मैं बताऊं आपकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी यह है कि लोकतंत्र में किसी भी चुनाव में जय और पराजय का जो मानक होता है, वह विचार होता है। वर्ष 2019 के चुनाव में देश की जनता ने राष्ट्रजय और आत्मगौरव के विचार के आधार पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को दोबारा मौका दिया, यह आपकी परेशानी का कारण है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम सबका दायित्व है कि देश के संविधान को सही तरीके से पढ़ें, देश की सरकार के निरंतरता के स्वभाव को सही तरीके से पढ़ें। यह देश दुनिया में पंथ-निरपेक्ष होने के साथ-साथ सभी विश्वासों, सभी मूल्यों, सभी धार्मिक मान्यताओं, सभी आस्थाओं और सभी विश्वास, पूजा-पद्धतियों को स्वीकार करता है। यह इस देश की अंतरात्मा में जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए क्यों हम इस सच को बार-बार रोकना चाहते हैं कि जहां पर इस प्रकार का अन्याय है, अगर हमारे पड़ोस के देशों में इस प्रकार का अन्याय है तो उनको गरिमापूर्ण जीवन देना हमारा काम था। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद द्वारा बनाए गए कानून की न्यायपालिका जांच कर सकती है। आज जब मामला न्यापालिका में है तो विपक्ष के लोगों के द्वारा क्यों बार-बार इस सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है?

मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि इस देश का जो सबसे बड़ा मनोबल है, वह मनोबल इस देश की सुरक्षा एजेंसियों का है। दिल्ली में इस प्रकार की वारदात होना, दिल्ली में इस प्रकार

[श्री भूपेन्द्र यादव]

की वारदात के द्वारा एक तरह का मिथक खड़ा किया जाना और एक प्रश्न खड़ा किया जाना, इस देश में जो so called liberal लोग हैं, उनसे मैं बार-बार यह पूछना चाहता हूं कि आप इतनी बात करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि देश के किसी liberal ने जाकर शाहीन बाग में कहा हो कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, क्या यह चर्चा का विषय नहीं है? क्या किसी के जीवन का गरिमापूर्ण तरीके से, जिसके जीवन का अधिकार छीना गया है, उसके प्रति संवेदना जताना हमारा काम नहीं है? क्या उस विषय पर मौन रह जाना हमारा काम है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी नागरिकता नहीं जा रही है, जिनकी नागरिकता पर किसी प्रकार का कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है, जिनकी नागरिकता को सरकार ने बार-बार कहा है और सरकार के द्वारा हर चीज़ में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उसके आधार पर भ्रम का वातावरण खड़ा किया जा रहा है और भ्रम के वातावरण का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ है, वह दिल्ली की हिंसा हुई है। आपको यह समझना होगा कि दिल्ली की हिंसा के मूल में केवल उस दिन की हिंसा नहीं है, लगातार उन विचारों को खड़ा करना है, जो संसद के द्वारा पारित किए गए एक कानून के प्रति जनता को गलत तरीके से गोलबंद करने का नतीजा है। इसलिए आज मैं अपने विषय पर यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली ने इस दर्द को झेला है, सरकार ने उस पर तुरंत मरहम भी लगाया है, सरकार ने कानून-व्यवस्था को सक्षम तरीके से संभालने का काम भी किया है। इसलिए हम सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि एक निश्चित समय में दिल्ली को उन्होंने पूरे तरीके से शांतिपूर्ण और अमन के माहौल में रख दिया है। मैं आपको अंत में अपनी तरफ से कहना चाहता हूं और मैं यह पूरे सदन को कहना चाहता हूं-

"शहर के बंद रहने से कई चूल्हे नहीं जलते।

न हो ऐसा कभी ऐसी इशाअत कीजिए

अगर न कर पाए, तो इतनी इनायत कीजिए,

दिलों में फूट की न अब शरारत कीजिए।

बड़ी मुश्किल से अमन, चैन की तसवीर पाई है,

यही कायम रहे, ऐसी वकालत कीजिए।"

धन्यवाद।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have a point of order. My point of order is on Rule 249, from the main rules, and also with the direction, the thin book, which is, on page 16, this is laying of papers or maybe an electronic document, it is not mentioned here,

but, let us give the benefit of doubt to the Member. If such a paper or if such an electronic document is being laid on the Table of the House with any information, whatever be the information, there are enough precedents to suggest that those papers, or, even an electronic document, can be laid by giving prior notice to the Chairman in writing...*(Interruptions)*... Let me finish my point then you can get up, you are a Minister, behave like one. Let me make my point of order, then the Chair can give ruling and then I will sit down. I am making a point, I am not fighting with you. ...*(Interruptions)*... So, I am making one point. ...*(Interruptions)*... The point is, was this electronic document given with a covering letter authenticated, approved by the Chairman and then placed by the Member in the House today? If yes, that is fine, if not, please let me know.

THE VICE CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): We will examine it and let you know.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, give us the ruling because the Minister is here, the Member is here, we will take his word for this; that is good enough. He is a senior Member, if he says so, we will take his word for it. We want to know if the Rule has been followed, if the procedure has been followed because it is a sensitive document.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): सर, अब मैं बोल सकता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको ruling देने में सहायता हो, इसलिए जो हुआ था मैं कहना चाहता हूं और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसको lay कर रहा हूं। वे एक वक्तव्य को पढ़ रहे थे। एक footage के बारे में अपने भाषण में कुछ बोल रहे थे। कुछ सदस्यों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। तब उन्होंने कहा कि अगर आप permit करते हो, तो मैं यहां पर रख सकता हूं। इन्होंने circulate नहीं किया है। उन्होंने पहले जो वक्तव्य सुना था, उसको पढ़ा। जब उस पर सवाल उठाए गए, तो उन्होंने कहा मेरे पास C.D. है, मेरे पास pen drive है, अगर सदन permission देता है, तो मैं रख सकता हूं, तो जो Rule quote करते हैं, वह यहां पर जरा भी apply नहीं होता है। मेरा इतना ही submission है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): अभी इसे lay नहीं किया है। वे lay करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, तब उसको देखेंगे। It is not laid.

SHRI DEREK O'BRIEN: So, Sir, nothing has been laid. यह नहीं किया है। Then, we all heard wrong.

THE VICE CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): The question does not arise.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, just one thing. The hon. Minister has said this thing. He has placed it on the Table of the House, now, it is the property of the House.

THE VICE CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): No, it is not, please sit down. I am not allowing you. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, we all know that this is a moment for the whole country to behave responsibly because the people and the country as a whole is really looking to their future, their country's future. Sir, communal riot is a great shock for the whole country. All over the world, throughout history, it is like that. We never expected that in our country once again, such a riot of communalism will take place in this year, in 2020. Sir, we had visited the places along with Comrade Ragesh. I went to such places, not everywhere, and those scenes that we saw there, were really painful. The children, the women, the old people, the young men and women, they all were still crying. They lost everything, their houses, their shops, their factories, their schools, their future. They lost everything. So, those people are looking towards the Government, and they expect that the Government that rules the country, should come forward for their rescue. Sir, the pitiable thing is that in those particular days, the country could not feel the presence of the Government. They have a Prime Minister who is very active; they have a Home Minister also who is very active. But, please explain us your silence for days together. You were not seen on the streets of Delhi. They were doing whatever they liked. I don't say that only the Muslims were killed. It is true, at certain places, there was retaliation also, and you presided over. You wanted the people to be divided and to fight each other on communal grounds. There were reasons to believe that the Government intended to divide the people on religious grounds, which is most unfortunate for a country like India. Sir, India can go ahead only unitedly. In any communal violence, nobody will win. In communal violence, all people, the nation as a whole, will suffer. That is the experience. I can tell you one thing. For example, I was an M.L.A. of Dadavaram in Kerala for ten years. It is a place known for this kind of violence. Due to the violence, the people suffered a lot, and I can tell you if the people's representatives, forgetting the political lines, take initiative, they can mobilise the people to safeguard peace. In Kerala, we have a lot of experience like that.

But, what did we see here in Delhi? In Delhi, there were conscious efforts on the part of the ruling party and the ideology it represents, to make hatred a symbol of its politics. Sir, don't make it a political matter. Sir, those speeches of hatred coming from MPs and Ministers even, what did they say? They said that the Government in power has an ideology. That ideology has an element of Islamaphobia, and on that, I should say, you and the U.S. President, Mr. Donald Trump had a common platform. That is why, that day was a day which you chose for the outbreak of such a great communal violence. Then, Sir, after that, what happened. My friend, Shri Bhupender Yadav, asked us to give our suggestions. We can give suggestions also. At least, now, please take initiative that at every *gali*, peace committee should be activated, in which all people should be taken together, sit with them, boost their confidence, and tell them that there is a Government here to give them safety and security. That is what they lack today. ...*(Time bell rings)*... Please ensure that reasonable compensation is given to them. They lost everything. Give them the compensation; give them the hope. Otherwise, this country cannot be saved. We want to save this country. Sir, it is our country, a great nation of ours, and that nation should not be lost for us, and because of that reason, we urge you, after sleeping for so many days, and after preventing the discussion for more than ten days, it is being discussed here. At least, the hon. Minister, I will request you please forget that tone that you made yesterday in the Lok Sabha. We felt that you were adding fuel to the emotions of certain people in the Lok Sabha. You were trying to divide the nation still further. Please don't do it. We expect you to speak as the Home Minister. ...*(Time bell rings)*... It is my opinion. I am here to express my opinion and not the opinion of any Minister here. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): डा. अमर पटनायक। आपके पास दो मिनट का समय है, क्योंकि आपकी पार्टी का टाइम पूरा हो चुका है।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I rise with a lot of sadness and anguish about what happened in Delhi. Any kind of violence is a blot on India, India's democratic fabric, India's Parliament, India's judicial system, the entire secular fabric of the country. We have strongly condemned this. We have condemned such violence regardless of the originator. It is extremely distressing to see the citizens of the country, of the birthplace of Gandhi, taking up such violent methods and perpetrating this manifestation of hate on the fellow men and women.

[Dr. Amar Patnaik]

Hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, was deeply saddned to know that the house of constable, Mohammad Anees, the 9th Battalion of BSF, was burnt down, and he sanctioned ₹ 10 lakh, which was delivered at his house.

We have discussed about the Government's responsibility. I do not want to get into the reasons as to what happened and why it happened. The Government's responsibility at this point of time, as has been articulated severally, is to build the confidence of this community. We had expressed this during the debate on the CAA as well that the confidence of the community has to be restored. The mosques that have been demolished or burnt down could be reconstructed, as our leader said. There could be options of reconsidering the CAA. But, the most important thing is that the perpetrators of the riot have to be identified, apprehended and each and every one of them must be booked and taken to task. Any rumours which seek to cause disharmony have to be prevented.

Sir, I would like to recall an incident. At the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi last year, hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, had said, 'Progress requires peace. Progress requires the defeat of those who divide society on the basis of class, caste or religion.' Therefore, refusal to do harm has to go beyond and should mean largest love and greatest charity. That is what we have to strive. We have to build India where, as said by Rabindranath Tagore in 'Where the mind is without fear and head is held high', "Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert of sand of dead habits."

Lastly, Sir, I would like to say that a time has come when peace and harmony have to be established for progress and prosperity, for equality and equity to continue in society. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): *O'dear, success is inevitable. Your commitment must make it possible, O'dear, success is inevitable. संकल्प किया है, तो पूरा होगा। माननीय गृह मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज लगभग-लगभग तीन घंटे से ज्यादा समय से यह सदन दिल्ली में नजदीक के भूतकाल के अंदर जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, वहां कानून और व्यवस्था की उस वक्त की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा है। चर्चा की शुरुआत कपिल सिब्बल जी ने की और इसमें डा. सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री देरेक ओब्राईन, श्री एस. आर.

*English translation of Bangla portion.

बालासुब्रमण्यम जी, श्री जावेद अली खान, श्री प्रसन्न आचार्य, डा. प्रकाश बांडा, श्री इलामारम करीम, श्री तिरुची शिवा, श्री स्वपन दासमुप्ता, श्री नरेश गुजराल, श्री अशोक सिद्धार्थ, श्री आनन्द शर्मा, श्री विजय गोयल, प्रो. मनोज कुमार झा, श्री संजय सिंह, श्री प्रकाश जावडेकर, श्री अब्दुल वहाब, सीनियर सदस्य श्री वाइको, श्री भूपेन्द्र यादव, श्री बिनोय विस्वम और डा. अमर पटनायक ने चर्चा को सार्थक बनाने के लिए, अपनी-अपनी ओर से अपने-अपने विचारों को इस सदन के पटल पर और सदन के सदस्यों के माध्यम से देश के सामने रखने का प्रयास किया है। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं राज्य सभा के फ्लोर पर मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से और सरकार की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण दंगों में जिन लोगों की जानें गई हैं, जिनकी मिल्कियत का नुकसान हुआ है और जो घायल हुए हैं, उन सभी के प्रति दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, दुख व्यक्त करना चाहता हूं और मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दंगों को करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, वे चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा, उसको एक पारदर्शी, वैज्ञानिक जाँच के आधार पर कानून की अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा। उसको सिर्फ खड़ा नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रॉसिक्यूशन एजेंसी, जब तक कानून उनको दंडित न करे, तब तक की सारी व्यवस्थाओं की चिंता बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ करेगी। यह इसलिए जरूरी है कि आगे से लम्बे समय के लिए दंगा करने वालों के ज़ेहन में, यह जो कानून की प्रक्रिया है, जो कानून है, हमारा संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसका एक भय उनके ज़ेहन में बना रहे और करने वालों को तथा कराने वालों को दोनों को एक लम्बे समय तक इन दंगों के परिणामों की याद दिलाता रहे।

मान्यवर, अभी-अभी मैंने सभी सदस्यों के भाषण सुने हैं। उसमें सबसे पहला सवाल काफी सदस्यों ने उठाया है। मैं इसको कोई गैर-वाज़िब सवाल नहीं मानता हूं कि इतनी देर सरकार ने इस सदन में चर्चा के लिए क्यों की? 25 तारीख को दंगे समाप्त हुए, 2 तारीख को सदन चालू हुआ, इमीडिएटली इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई और यह पूछने का आपका अधिकार है और जवाब देना हमारा फर्ज़ भी है और धर्म भी है। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 24 तारीख दोपहर को यह 12.30 बजे दंगों की पहली सूचना आई और अंतिम सूचना 25 तारीख की रात्रि को 11.00 बजे आई। सिब्बल साहब ने यह मुद्दा उठाया है, मैं इसका बाद में जवाब दूंगा, परन्तु मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं कि 25 तारीख की रात्रि को 11.00 बजे सूचना आई। जब 2 तारीख को सदन शुरू हुआ तब दंगे समाप्त हो चुके थे। दंगों को समेटना, रास्ता साफ करना, उनका रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्वास की चिंता, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थीं। दंगे चलते हों और दंगों के लिए किसी के सुझाव लेने हों या कोई चिंता व्यक्त करनी हो, तब तो लाज़िमी है कि तुरंत ही इसकी चर्चा कराई जाए। परन्तु जब दंगे समाप्त हो गए थे, पुलिस दंगे कराने वालों के पीछे लगी थी, उनकी जाँच कर रही थी, डॉक्टर्स घायल लोगों को अच्छा करने में लगे थे और सामने होली का त्योहार भी था। होली के त्योहार के वक्त इस देश में कई बार दंगे

[श्री अमित शाह]

भी हुए हैं और होली का त्योहार सद्भावना का भी त्योहार है। उस वक्त यह बहुत जरूरी था कि होली के त्योहार के वक्त ऐसी कोई चीज़ कहीं either side से न आए, जिसके कारण फिर से भावनाओं का भड़कना हो, केवल और केवल इसी आशय के साथ हमने कहा था कि 11 और 12 तारीख को दोनों सदनों में हम चर्चा कराएंगे। हम तारीख को लोक सभा में चर्चा कराएंगे और 12 तारीख को राज्य सभा में चर्चा कराएंगे। इसके पीछे चर्चा से भागने का न विचार था, न हो सकता है, क्योंकि सदन के अंदर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सदन जब मिल रहा है तब चर्चा होनी चाहिए। हमने इसी सत्र में चर्चा कराने के लिए सभापति जी को बता दिया था। हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और ऑल पार्टी डेलिगेट्स की जो मीटिंग थी, उसके अंदर कह दिया था। कहीं पर भी इस चर्चा के माध्यम से यह संदेश न जाए कि हमने चर्चा में क्यों देर की, कुछ छिपाना था, कुछ भागना था, कुछ चीज़ों को हम सील करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस डेमोक्रेसी के अंदर, भारत के अंदर लोकतंत्र धीरे-धीरे अब इस स्टेज पर पहुंचा है जिसमें किसी भी चीज़ को कोई छिपा नहीं सकता, छिपाना चाहे तब भी नहीं छिपा सकता, मान्यवर, कम से कम इसका मुझे पूरा संज्ञान है। इसलिए किसी से भागने का सवाल नहीं था। केवल दंगे और न बढ़ें, पुलिस का पूरा ध्यान और प्रशासन का पूरा ध्यान, दंगा पीड़ितों के पुनर्वासन की ओर रहे और उन्हें फिर से अपनी जगह पर अच्छी तरह से बसाने के लिए, उनके इलाज के लिए पुलिस पूरा ध्यान दे तथा दंगाइयों को पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी से काम किया जाए, इसीलिए हमने इतना समय मांगा था।

मान्यवर, मैं किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैंने चर्चा को सुना तथा जो सार निकला है, उसके आधार पर मैं जवाब दे रहा हूं। सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि जो riots हुए, उन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या किया और जिन्होंने riots किए, कहीं उन्हें किसी ideology के आधार पर, पार्टी के आधार पर shield तो नहीं किया जाएगा, कहीं निर्दोषों को फंसाने का कार्य तो नहीं होगा, कहीं जो अपने पराए के साथ जांच में कोई भेदभाव तो नहीं होगा, इस प्रकार की भी आशंकाएं माननीय सदस्यों की ओर से व्यक्त की गई हैं।

महोदय, मैं सबसे पहले, जो अभी तक कार्रवाई हुई है, उसे सदन के सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं। दंगों के उपरान्त अब तक 700 से ज्यादा FIR register की गई हैं और जिसने भी FIR दी, उसकी FIR दर्ज करने के लिए पुलिस ने कभी भी मना नहीं किया है। एक बात श्री कपिल सिब्बल जी ने कही और FIR No. 80 का मामला उठाया। दिल्ली में बहुत सारे थाने हैं, कौन से थाने की वह FIR No.80 है, इस बारे में मैं ध्यान से देखकर और व्यक्तिगत रूप से श्री कपिल सिब्बल जी को फोन करके जरूर बताऊंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कई बार? में इस प्रकार के मामले आते हैं कि एक FIR रजिस्टर हो गई, दफाएं ठीक हैं, लेकिन दूसरा आदमी भी FIR लिखाने आता है, तो उसका भी स्टेटमेंट लिया जाता है और FIR लिखने

वाला उस स्टेटमेंट को FIR के साथ ही attach करता है, क्योंकि एक गुनाह पर जब FIR रजिस्टर हो चुकी है और उसमें दफाएं भी, जो अलग कंप्लेंट आई हैं, वे इससे मैच करती हैं, तो उस स्टेटमेंट को उस FIR के साथ अटैच किया जाता है। मान लीजिए किसी FIR में दफा 302 लगती है, तो दफा 302 already लग चुकी है, तब एक अलग FIR रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह एक ही है। इसलिए उनके स्टेटमेंट को FIR के काम के लिए, जांच के काम के लिए रिकॉर्ड पर लेने की प्रक्रिया होती है। इस काम के लिए सभी 12 थानों के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर भी तय कर दिए गए हैं, जिनकी एडवाइस पर पुलिस काम करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि 700 प्राथमिकी दर्ज करने का काम पुलिस ने समाप्त कर दिया है और बहुत तेजी से यह काम किया गया है।

मान्यवर, कुल हिरासत में और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 3304 है। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वे बिलकुल साइंटिफिक तरीके से और एविडेंस के आधार पर हो रही हैं। हमने दंगे समाप्त होने के दूसरे ही दिन एक एडवर्टाइजमेंट आम जनता के लिए अखबारों में दिया, पुलिस आयुक्त ने सभी मीडिया हाउस को फोन कर के रिक्वेस्ट की थी कि जिसके पास दंगे का कोई भी वीडियो फुटेज हो, किसी भी प्रकार का क्लिपिंग हो, कृपया एक ई-मेल एड्रेस पर आप भेज दीजिए या इस व्हाट्सऐप पर भेज दीजिए। Either side से, समाज सेवियों की ओर से, मीडियाकर्मियों की ओर से, जनता की ओर से और जनता के सभी वर्गों की ओर से ढेर सारे फुटेज आए हैं, जो हमारे पास उपलब्ध हैं और जिनकी हम detailed scrutiny कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में 25 कंप्यूटर्स के माध्यम से इनकी जांच हो रही है। इसमें हमें एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस मिल रहा है।

मान्यवर, जैसा मैंने कल कहा था, श्री देरेक ओब्राईन साहब ने थोड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी कि face identification के लिए आप जिस software का उपयोग कर रहे हैं, इससे व्यक्ति की निजता भंग हो रही है। मैं निजता भंग न हो, इसका बहुत सम्मान करता हूं। मैं रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके लिए हमने "आधार" डेटा का उपयोग नहीं किया है। कल यह बात गलतफहमी से किसी मीडिया ने चला दी थी। मैंने सदन में यही कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आई .डी. कार्ड, दोनों के डेटा हमने फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किए हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, इस सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि किसी की जान चली गई, कोई अपाहिज़ हो गया, किसी का घर जल गया और हम निजता की बात करें, यह क्या है? मान्यवर, पुलिस के पास यह अधिकार होना चाहिए कि जिसने दंगा किया है, उसको वैधानिक तरीके से लेकर कोर्ट के सामने खड़ा करे और कठोर से कठोर सजा देने का काम करे।

मान्यवर, हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन भंग नहीं की है, इसलिए मैं श्री देरेक ओब्राईन साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने कोई निजता भंग नहीं की है। कल तक

[श्री अमित शाह]

1,170 चेहरे identify हो गए थे, आज सुबह अपराह्न 12 बजे तक लगभग 1,922 उन चेहरों और व्यक्तियों को identify कर लिया गया है, जो कि सीधे दंगे की साइड पर दिख रहे हैं। वे दंगा करते हुए, लोगों का नुक़सान करते हुए, लोगों को जलाते हुए, पथराव करते हुए या हत्या करते हुए दिख रहे हैं। उनमें से 336 लोग उत्तर प्रदेश के हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के चार जिलों से भी डेटा मांगा था, इसलिए वह काम भी इसके साथ किया गया है।

महोदय, एक सवाल उठाया गया कि उत्तर प्रदेश से लाया क्यों गया, उन्हें रोका क्यों नहीं गया? मैं बताना चाहता हूं कि 24 तारीख की रात को 12 बजे ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। यह हमारे ध्यान में होना चाहिए, मगर ये जो जिले हैं, जहाँ दंगे हुए हैं, वे उत्तर प्रदेश से एकदम सटे हुए हैं और democratic country में, देशों की सीमाओं की तरह दो राज्यों की सीमाएं सील करना संभव नहीं होता है। फिर भी हर गाड़ी की checking करके, उसके अंदर क्या material पड़ा है, उसका identification और सभी गाड़ियों के नंबर आदि भी नोट किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और गाड़ी की मालिकी के साथ भी इसका मिलान हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे लगभग 50 मामले निकाले हैं।

मान्यवर, मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने सभी संप्रदायों के ऐसे घृणित अपराध के मामले निकाले हैं जिसमें किसी की जान गई है, धर्म स्थल तोड़े गए हों, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, अस्पताल पर हमला हुआ हो या educational institutions पर हमला हुआ हो।

मान्यवर, हमारे दो जाँबाज़ पुलिस अफसरों की हत्या हो गई। एक पथराव में मारा गया और एक की हत्या कर दी गई। इन सभी 50 मामलों के लिए हमने तीन SITs, पहले दो थीं, एक और बढ़ा रहे हैं, हमने इन मामलों को तीन SITs के अंदर बांटकर इसकी detailed investigation I.G. और D.I.G. कक्ष के अधिकारी की supervision में शुरू की है। जो 50 गंभीर मामले हैं, हमने उनको अलग से लिया है।

मान्यवर, कई सारी घटनाओं में निजी हथियार चलने की भी घटनाएं सामने आई हैं। ज्यादातर बगैर लाइसेंस के हथियार थे, ज्यादातर country-made थे। ऐसे 51 मामले दर्ज़ किए गए हैं। क्योंकि ईज़ाओं से, मृत्यु के कारणों से मालूम पड़ता है कि यह गोलीबारी से मरा है, लाइसेंसी हथियार था या नहीं था, वह automatic था या country-made था, वह भी मालूम पड़ता है। हमने इन सब चीजों का ध्यान रखकर 51 मामले दर्ज़ किए हैं। उन मामलों के अंदर 54 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और हमने लगभग सवा सौ हथियार, जो riots में उपयोग किए गए थे, वे जब्त कर लिए हैं। मैं ये अभी तक के आंकड़े बता रहा हूं। मैं नहीं मानता हूं कि ये पर्याप्त आंकड़े हैं, मगर इसकी और गहन जाँच चल रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में अब तक इतना किया जा चुका है।

मान्यवर, यह कहा गया कि सामाजिक समितियों, शांति समितियों के माध्यम से दोनों संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा बिठाने का प्रयास करना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 25 तारीख की सुबह से ही दिल्ली के हर पुलिस थाने के, जहाँ riots हुए, वहाँ से ही नहीं, बल्कि दिल्ली के हर पुलिस थाने की शांति समितियों की बैठक बुलानी शुरू कर दी थी। हमने 20 तारीख तक 321 अमन कमेटियों की बैठकें बुलाकर सभी संप्रदायों के धर्म गुरुओं, सभी संप्रदायों के चुने हुए लोगों, सभी पार्टियों के चुने हुए लोगों और सभी संप्रदायों के लीडरान को इकट्ठा करके दंगे न फैलें, इसके लिए पुलिस ने अपने-अपने प्रभाव का उपयोग करने की विनती की थी। जो लोग identify हो चुके हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है, हमारे पास उनके नाम उपलब्ध हैं, हमारे पास उनके address उपलब्ध हैं। हमारे पास उनकी सारी डिटेल ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आती है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए चालीस से अधिक विशेष दलों का गठन किया है। वे उनके घर पर जाकर, उनके फोन की tracing करके, उनके आस-पास के पास-पड़ोस से पूछकर उनको गिरफ्तार करने की स्पीड बढ़ा रहे हैं और गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका specially यही काम है। वे जो चालीस दल हैं, वे investigation का काम नहीं करते हैं, वे सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए सबके घर पर जाकर अपना काम करते हैं। हमें यह तथ्य मिला है। अब यह सवाल आया कि यह षड्यंत्र है, ऐसा मैंने कहा। उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, मगर मैं बड़ी गंभीरता के साथ सदन से इतना कहना चाहता हूँ, मैं अभी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु 24 तारीख के पहले ही हमारे पास एजेंसियों के माध्यम से सूचना आ चुकी थी कि पैसे विदेश से भी आए हैं, पैसे देश से भी दिल्ली में आए हैं और ये पैसे दिल्ली में बाँटे गए हैं। वे पैसे, जो बाँटे गए हैं, उनके लिए हमने उस वक्त ही जाँच शुरू कर दी थी, मगर दुर्भाग्य से जाँच प्राथमिक रूप से चल रही थी और दंगा हो गया। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस बहुत जल्द इसकी घोषणा करेगी, मगर पैसे भेजने के लिए, पैसे लेने के लिए, हवाला करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए हमने already पाँच लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। कल दो हुए थे, आज तीन हुए हैं, कुल पाँच लोगों की गिरफ्तारी हमने कर ली है। इसके आधार पर मैंने कल सदन में कहा था कि यह षड्यंत्र है।

स्पेशल सेल, दिल्ली ने जब सारी सोशल मीडिया को देखना चालू किया, ओब्राईन साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा, वे बड़े sharp question पूछते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने कितने accounts seal किए हैं। हमने सैकड़ों accounts बंद करा दिए हैं, जो दंगे के पहले और दंगे के दरम्यान भी यह काम कर रहे थे। मगर कुछ accounts ऐसे निकले हैं, जो दंगे के दो दिन पहले शुरू हुए और 25 तारीख की रात को 12 बजे के पहले बंद हो गए। उस पर केवल और केवल घृणा फैलाने का, नफरत फैलाने का, दंगा भड़काने का, अलग-अलग प्रकार के बयानों को दिखाने का, यही काम हुआ है। ये जो accounts बंद हुए हैं, शायद वे भी मेरा यह भाषण सुन रहे होंगे। उनको लगता होगा कि हमने बंद किया, बच गए। हम उनको पाताल में से ढूँढ़ कर निकालेंगे और कानून के सामने खड़ा करेंगे, क्योंकि वे बच नहीं सकते। उसका

[श्री अमित शाह]

footprint रहता है, इस जमाने में वे बच नहीं सकते। मान्यवर, हम उनको ढूँढ़ लेंगे और कानून के सामने खड़ा करने का काम भी करेंगे। इनमें से दो लोग ISIS से संपर्कित भी मिले हैं, जिनके पास ISIS से material आता था और वे यहाँ पर material का भारतीय भाषाओं में translation करके नफरत को आगे फैलाने का काम करते थे। हमने उनको भी already पकड़ लिया है।

मैं आज सदन से कहना चाहता हूँ कि दोनों जाँबाज़ पुलिस अफसर, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारे गए, अंकित शर्मा और रतन लाल, दोनों अफसरों को मारने वाले व्यक्ति को और समूह को पूर्णतया गिरफ्तार करने का काम दिल्ली पुलिस ने समाप्त कर दिया है। इसकी साजिश की जाँच आगे चल रही है, मगर जिन्होंने चाकू चलाया, आज उसकी video recording भी उपलब्ध है, उसकी आवाज भी उपलब्ध है और वे व्यक्ति भी आज पुलिस की custody में उपलब्ध हैं। रतन लाल के ऊपर भी जब पथराव हुआ, तब जितने video footage आए और जिन effective पथराव करने वालों के चेहरे identify हुए, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है।

लंबे समय तक इसका repetition न हो, इसके लिए हमने दिल्ली में दंगाइयों से जुर्माना वसूलने के लिए भी Claim Commissioner की नियुक्ति का एक प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली हाई कोर्ट को दे दिया है। कल लोक सभा में एक सवाल उठाया गया कि आप ऐसा Claim Commissioner appoint करेंगे, जो कुछ लोगों को तो जुर्माना करेगा और कुछ लोगों को नहीं करेगा। हमने Claim Commissioner के लिए कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया है। रिकॉर्ड साफ रहे, दिल्ली के चीफ जस्टिस साहब को दिल्ली पुलिस ने through Lieutenant Governor चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि आप ही किसी जज की नियुक्ति करिए, जो इसके Claim Commissioner बनें। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि सबके मन के अन्दर एक विश्वास होना चाहिए कि नरेन्द्र मोदी सरकार जाँच को गम्भीरता के साथ, वैज्ञानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से और द्रुत गति से, 32880 से करना चाहती है। कहीं पर भी किसी के मन में दूर-दूर तक देश के किसी भी कोने में और विशेषकर दिल्ली में यह शंका नहीं रहनी चाहिए कि जो आरोप हम पर लग रहे हैं, क्या वे आरोप सही हैं। मैं इसलिए इस सदन के सामने ये सारी चीजें रखना चाहता हूँ कि आप कृपया ऐसे आरोप आधार के बगैर न लगाएँ। मैं आपको सबका जवाब देने के लिए बँधा हुआ हूँ और देने के लिए तैयार भी हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाएगी, जिससे दंगा करने वाले को किसी भी प्रकार की रियायत मिले, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी जाति का हो। ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से भी यह कहा गया है।

यहां एक बहुत बड़ी बात कही गई कि दिल्ली पुलिस फेल हो गई, सूचना देने वाले ऑफिसर फेल हो गए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, चूंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, देश का गृह मंत्री हूं, इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी है, आप मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन दिल्ली पुलिस पर आरोप

मत लगाइए। मैं पूरी situation का analysis करने के बाद आपको यह बात कह रहा हूं कि सच्चे अर्थों में दिल्ली पुलिस ने स्फूर्तता के साथ काम किया है।

श्री आनन्द शर्मा जी ने कहा कि मैंने कल 161 स्क्वेयर किलोमीटर बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शायद मेरे बोलने में गलती हुई है या उनके सुनने में गलती हुई है। मैं वेरिफाई करूंगा, मैंने अगर 161 स्क्वेयर किलोमीटर बोला है, तो मुझे रिकॉर्ड...**(व्यवधान)**... शर्मा साहब, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। वह रिकॉर्ड मुझे सुधारना पड़ेगा। अभी मेरी स्पीच को 48 घंटे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं उसमें सुधार कर लूंगा। यह 61 किलोमीटर का एरिया है। हो सकता है यह इसलिए मिक्स हो गया हो, क्योंकि मैंने कल प्रतिशत भी कहा था। मैंने कहा था कि दिल्ली में टोटल 1.70 करोड़ लोग रहते हैं और जो दंगा प्रभावित एरिया है, वहां करीब-करीब 20 लाख लोग रहते हैं। टोटल 4% क्षेत्र और 13% आबादी दंगों से प्रभावित हुई है। यह जो 4% क्षेत्र और 13% आबादी की बात मैं कह रहा हूं, यह बहुत कम है, ऐसा कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। इसको मैं गंभीरता से लेता हूं। एक भी व्यक्ति की जान जाना बहुत गंभीर बात है, फिर यहां तो 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि यह बहुत कम हुआ है या इसका कोई महत्व नहीं है, मैं तो यह बताना चाहता हूं कि जब इतना भड़काया हुआ वातावरण था, तब भी दिल्ली पुलिस ने दंगों को 4% क्षेत्र और 13% आबादी के अंदर तक सीमित रखा है। हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि दिल्ली के हर ज़िले में हिन्दू, मुसलमान साथ में रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मगर दंगा उन सब जगह पर स्प्रैड नहीं हुआ। उसे वहां तक फैलने नहीं दिया गया। यह सफलता केवल और केवल दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस ने यह काम किया है। दिल्ली पुलिस के मोराल के लिए भी यह बात महत्वपूर्ण है। इसमें पूर्वोत्तर के टोटल 12 थाने प्रभावित हुए, मैं उनके नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं, परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत कम समय के अंदर इन पर काबू पा लिया गया। कम समय का मतलब एक बार फिर से मैं रिकॉर्ड पर कह देता हूं कि 24 तारीख़ अपराहन में पहले दंगे की सूचना मिली थी। हालांकि धरना, प्रदर्शन वगैरह की सूचना 23 फरवरी से आ रही थी, परन्तु जिसको दंगा कह सकते हैं, एक-दूसरे के सामने खड़े होकर संघर्ष करना या पुलिस के सामने संघर्ष करना, उसकी सूचना हमें 24 तारीख़ अपराहन को मिली है। अंतिम सूचना हमें गोकुलपुरी इलाके से, 25 फरवरी, 2020 की रात को 11.00 बजे मिली है। इसके बाद कोई गंभीर प्रकार की सूचना नहीं मिली। मृतकों के शरीर जरूर उसके बाद पाए गए, लेकिन उनके पोस्टमॉर्टम में उनकी मृत्यु का जो समय आया है, वह फरवरी की 25 तारीख़ शाम के 6.00 बजे से पहले का है। यह इतनी बड़ी आपाधापी हुई थी, इतने गहरे दंगे हुए थे, पहले जो सारे के सारे मारे गए या घायल हुए, वे पुलिस के रजिस्ट्रेशन में नहीं आए। कहीं-कहीं से जब इसकी सूचना मिली, तो बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साथ में रखकर उन्हें ढूंढ़ना पड़ा। उन दुर्भाग्यशाली मृत व्यक्तियों का जब पोस्टमॉर्टम हुआ, तब उनकी मृत्यु का जो समय आया है, वह 25 फरवरी, रात्रि 11.00 बजे से पहले का आया है। इस तरह केवल 36 घंटों के लिए इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं।

[श्री अमित शाह]

यहां मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप केवल शब्द का गलत अर्थ नहीं निकालिएगा। एक भी दंगा नहीं होना चाहिए, मेरा अपना भी यह मानना है, हमारी सरकार का भी यह मानना है और दिल्ली पुलिस का भी यह मानना है। परन्तु दोनों ओर से इतनी भीषण और उकसाऊ घटनाएं होने के बावजूद 36 घंटे में इसको कंट्रोल कर लिया गया है, यह हम सबके संज्ञान में है।

एक प्रश्न आया, संजय सिंह जी ने कहा कि दिल्ली के सीएम, श्रीमान् केजरीवाल जी ने कहा कि मिलिटरी ला देनी चाहिए थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि फरवरी की 25 तारीख़ को 12.00 बजे हम लोग बैठे थे जिसमें दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, केजरीवाल जी थे, नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष के नेता थे, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर थे, मैं भी था, दिल्ली के आयुक्त थे, होम सेक्रेटरी थे, आई.बी. के चीफ थे, सारे लोग बैठे थे। उस वक्त ऐसा कोई सुझाव नहीं आया था। 26 फरवरी को उन्होंने कहा कि मिलिट्री बुला लीजिए, तब दंगा शान्त हो चुका था। 25 फरवरी की रात को 11 बजे दंगा शान्त हो चुका था। अब इस पर पोलिटिकल ही बोलते जाना कि मिलिट्री क्यों नहीं लाए, मिलिट्री क्यों नहीं लाए? तब तो मुझे सुनना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है, मगर इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड पर दंगा 25 फरवरी की रात को शान्त हो गया। उनकी बड़ी आवाज को मैं समझ सकता हूं, उनके इमोशंस को भी मैं समझ सकता हूं। क्योंकि उनके काउन्सिलर के घर से ढेर सारी चीज़ें पकड़ी गईं और उनको सस्पेन्ड करना पड़ा। मैं पूरे भाषण को पोलिटिकल करना नहीं चाहता। मगर जब आप इतना पोलिटिकल बोलोगे तो मुझे भी स्पष्टता करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड क्लियर रहे, इसलिए मैं कहता हूं, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 फरवरी को टोटल सीआरपीएफ ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: 26 तारीख़ को भी रात भर दंगे चले हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा.सत्यनारायण जटिया): आप बैठ जाइए, मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। प्लीज़, बैठ जाइये। He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, 22, 23, 24, 25, 26 फरवरी को जितनी सीआरपीएफ चाहिए थी, पुलिस आयुक्त के हवाले कर दी गई। दिल्ली पुलिस को भी पूरा कन्सन्ट्रेट करके सीमाओं में डाल दिया गया। परन्तु इसके साथ जहां दंगा होने की संभावना है, वहां पर भी तो डिप्लॉयमेन्ट करना पड़ता। सवाल उठाए जा रहे थे कि 78 कम्पनियां थीं, फिर क्यों हुआ? इतने छोटे से क्षेत्र में 78 कम्पनियां थीं, वे क्या कर रही थीं? हमें चांदनी चौक भी संभालना था, हमें मुस्तफ़ाबाद भी संभालना था। जिन और जगहों पर दंगे होने की संभावना हो, वहां पर भी तैनाती करनी पड़ती है। मैं किसी सदस्य के जवाब में नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूं कि पुलिस की स्थिति क्या थी?

मान्यवर, यहां भाषणों के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। हेट स्पीचेज के लिए बहुत सारी बातें हुईं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हेट स्पीचेज़ सीएए लाने के तुरन्त बाद शुरू हुई

7.00 P.M.

है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में माइनॉरिटीज़ के मन में और विशेषकर मुसलमान भाइयों और बहनों के मन में एक भय बैठा दिया कि सीएए आपकी नागरिकता छीन लेगा। इस सदन में सारी पार्टियों के नेता उपलब्ध हैं, सारे लोग हैं। मैंने सबके जवाब नाम ले-लेकर दिए थे कि मुझे कोई धारा बता दो, कोई क्लॉज़ बता दो, जिसके अन्दर इस कानून में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रोविज़न हो। किसी धारा का उपयोग करके किसी की नागरिकता छीन सकते हैं, क्या ऐसा दूर-दूर तक भी दूरबीन से भी दिखाई पड़ता है? मैं आज भी देश भर के मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि ये गलत अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का कानून है। हम आज क्या तय कर सकते हैं, सारी पार्टियां एक होकर कहें कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, एक होकर सब कहें, तब नहीं होंगे दंगे, तब नहीं फैलेंगे दंगे। किसके आधार पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने चले हैं? कौन भोग बना है? मैं कहता हूं कि इस सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं। श्री कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। सीएए कानून में कोई ऐसा प्रोविजन मुझे बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। प्लीज़, मुझे बता दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: मैं बताता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा.सत्यनारायण जटिया): जब कहें तो बताइये।

श्री अमित शाह: मैं सीएए की बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: गृह मंत्री जी, कोई यह नहीं कह रहा है कि सीएए किसी की नागरिकता छीनेगा, हम नहीं कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अमित शाह: आप मेरी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा.सत्यनारायण जटिया): वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)** ..

श्री कपिल सिब्बल: कानून यह कहता है कि जब NPR होगा, उसमें 10 सवाल ...**(व्यवधान)**... आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। जब NPR होगा, तब उसमें 10 सवाल और पूछे जायेंगे और जो enumerator है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वह जाकर उनसे पूछेगा ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: एक सेकंड। मैं आपको यह भी बता देता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: और उसके बाद वह 'D' लगा देगा- 'Doubtful' और उसके बाद enquiry शुरू होगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मैं यह भी बता देता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: यह मुसलमानों के प्रति नहीं है, यह गरीब लोगों के प्रति है, यह दलित लोगों के प्रति है, यह सब लोगों के प्रति है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... सिब्बल साहब, मैं रिकॉर्ड पर कुछ कहना चाहता हूँ। शायद वह आपके कान में आये। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): सिब्बल जी, आप बैठ जाइए।

श्री कपिल सिब्बल: सर, ...**(व्यवधान)**... यह कोई कम्युनल बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आम आदमी, गरीब आदमी के पास कहाँ से सर्टिफिकेट आयेगा? ...**(व्यवधान)**... वह Birth certificate कहाँ से लायेगा? ...**(व्यवधान)**... वह education का certificate कहाँ से लायेगा? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मैं सब बता देता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: वह certificate कहाँ से लायेगा? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मैं आपको बताता हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताता हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए न! ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) ... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: आप इसको communal मत बनाइए। ...**(व्यवधान)**... आप इसको ccommunal बना रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप बैठ जाइए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं कितने ही भाषण क्वोट कर सकता हूँ, श्रीमान् कपिल सिब्बल की पार्टी के नेताओं के बयान, जो कहते हैं कि CAA minority के खिलाफ है। बता दें कि किस तरह से minority के खिलाफ है? ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताता हूँ। मान्यवर, माननीय कपिल सिब्बल साहब ने ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप डिस्टर्ब मत करिए। ...**(व्यवधान)**... बैठे-बैठे मत बोलिए। यह परम्परा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि NPR के अन्दर document माँगेंगे। मैंने खुद स्पष्टता की है, प्रेस रिलीज़ किया है कि NPR के अन्दर कोई document नहीं माँगा जायेगा। पहली बात तो यह हुई। पहले के NPR में भी नहीं माँगा गया था, इसमें भी नहीं माँगा जायेगा।

दूसरा, उन्होंने कहा था कि information नहीं है, तो हम क्या करें? इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज़ करके दी है कि जितनी information देनी है, उतनी देने के लिए आप आज़ाद हो, यह optional है। तीसरा ...**(व्यवधान)**...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): अगर यह सब कुछ है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। ...**(व्यवधान)**...यह आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया।

†*قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): اگر یہ سب کچھ ہے، تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں نے واضح نہیں کیا۔ ...(مداخلت)... یہ آپ لوگوں نے واضح نہیں کیا۔

श्री अमित शाह: एक मिनट। मान्यवर, मैं आपको बताता हूँ। चलो, आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात आप तक नहीं पहुँची, तो मैं अभी कह देता हूँ। लीजिए, पहुँच गयी। हम आमने-सामने बैठे हैं। कृपया अब समर्थन करिए। ...**(व्यवधान)**...

मैं आपको स्पष्टता के साथ कहता हूँ। NPR में कोई document नहीं माँगा जायेगा। यह पहली बात है। दूसरा, जो information आपके पास नहीं है, वह आप नहीं दे सकते हैं। तीसरा, मैं गृह मंत्री के नाते राज्य सभा के पटल पर कह रहा हूँ कि कोई 'D' नहीं लगने वाला है। किसी को ...**(व्यवधान)**... मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... इस देश में किसी को NPR की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: 'D' category में किसी को भी नहीं रखा जायेगा, यह बता दीजिए। ...**(व्यवधान)**... 'D' category में किसी को भी नहीं रखा जायेगा, आप यह बता दीजिए। आप सदन में कह दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मैंने बताया न! सिर्फ जिसकी information होगी, उसको 'D' में डाला जायेगा, जो आपने कहा। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए न! ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसाद (कर्नाटक): सर ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद अली खान: सर ...**(व्यवधान)**...

†*جناب محمد علی خان: سر، ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu script.

SHRI DEREK O'BRIEN: That is the point. ...*(Interruptions)*... I have one question. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... मुझे पूरी बात कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। मेरी बात सुनकर बताइए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बैठिए, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... सब बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... It is not allowed. ...*(Interruptions)*... बैठिए। ...**(व्यवधान)**... बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: पहले मेरी पूरी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**... पहले मेरी पूरी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... देरेक जी, एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। मुझे सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैं क्या कह रहा हूँ! ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... मैं जवाब देता हूँ न! ...**(व्यवधान)**... बिनोय विस्वम जी, मैं जवाब देता हूँ। आप सुनिए तो। ...**(व्यवधान)**... ये मुझे बोलने भी नहीं देंगे। ...**(व्यवधान)**... एक सेकंड। आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बैठिए, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... वाइको जी, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: भाई, थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए। ...**(व्यवधान)**... मुझे बोलने भी नहीं देंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपने कहा कि 'D' में डालेंगे। ...**(व्यवधान)**... 'D' में डालेंगे, तो मर गया। ...**(व्यवधान)**...

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** آپ نے کہا کہ 'D' میں ڈالیں گے۔
...(مداخلت)... 'D' میں ڈالیں گے، تو مرگیا۔ ...(مداخلت)...

श्री अमित शाह: ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**... मैं यह कह रहा हूँ कि ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... इनकी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: अभी मेरा वाक्य ही पूरा नहीं हुआ और खड़े हो गये। जिसकी कोई भी जगह खाली होगी, इसको 'D' लगा देंगे, जैसा आप कहते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: सर ...**(व्यवधान)**...

---

†Transliteration in Urdu script.

श्री अमित शाह: आपने अभी बोला। ...**(व्यवधान)**...मान्यवर...**(व्यवधान)**... एक सेकंड। ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, ...**(व्यवधान)**... 'D' नहीं लगेगा। ...**(व्यवधान)**...

†*قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر، ...(مداخلت)... 'D' نہیں لگے گا ...(مداخلت)...

श्री अमित शाह: नहीं लगेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं, अगर मैंने अच्छी तरह से सुना, उसके अनुसार 'डी' किसी के सामने नहीं लगेगा।...(व्यवधान) ... क्या आप यही कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

†*قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : سر، میں ایسا سمجھہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، اگر میں نے اچھی طرح سے سنا، اس کے مطابق 'ڈی' کسی کی سامنے نہیں لگے گا ... (مداخلت) ... کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ... (مداخلت) ...

श्री अमित शाह: जी हाँ, 'डी' नहीं लगेगा।...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपके अनुसार 'डी' नहीं लगेगा?...**(व्यवधान)**...

†*جناب غلام نبی آزاد : آپ کے مطابق 'ڈی' نہیں لگے گا؟ ... (مداخلت) ...

श्री अमित शाह: जी हाँ।

मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आनन्द शर्मा जी गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में doubt है, गुलाम नबी साहब, आप उनको लेकर प्लीज़ मेरे पास आइए। मैं priority basis पर आपको समय दूँगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ और इस भ्रम का...**(व्यवधान)**... मुझे इस पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have one question. ...*(Interruptions)*...

---

†Transliteration in Urdu script.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, गृह मंत्री जी को अपनी बात complete करने दीजिए... (व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, एक मिनट...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I would like to say something. ...*(Interruptions)*... No, Sir. ...*(Interruptions)*... He should be allowed to give the answer. ...*(Interruptions)*... They will not hear him out. ...*(Interruptions)*... And then they will walk out. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कृपया आप लोग बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैंने कहा कि गुलाम नबी साहब सभी विपक्षी दलों के एक-दो चुनिन्दा सांसदों के साथ, जो मेरे साथ चर्चा करने के लिए आना चाहते हों, लेकर आएं। आनन्द शर्मा जी गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वे भी आएं।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, पहले माननीय मंत्री जी को अपनी बात बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): देखिए, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं और बीच में इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करना गरिमापूर्ण नहीं है। जब इनका वक्तव्य पूरा हो जाए, उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है, तब वे अनुकूल परिस्थिति होने पर उसका उत्तर देंगे।...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी riots पर चर्चा हो रही है, गुलाम नबी साहब, आप एनपीआर के लिए कभी भी मेरे पास आइए, मैं आपको एक या दो दिन की priority पर समय दे दूँगा और हम इस पर सार्थक चर्चा करेंगे। अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे, जिससे सारे भ्रमों का निरसरण हो जाए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: ठीक है।

†جناب غلام نبی آزاد : ٹھیک ہے۔

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं सारे विपक्षी दलों से यह विनती करना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया, अब सीएए और एनपीआर पर श्रांति बंद करने का समय आ गया है।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have one question. ...*(Interruptions)*... Please yield ...*(Interruptions)*...

---

†Transliteration in Urdu script.

श्री अमित शाह: देरेक भाई, आप भी आइए।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, माननीय गृह मंत्री जी को बोलने दिया जाए।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कृपया आप लोग बैठिए।...**(व्यवधान)**... Please sit down. ...*(Interruptions)*... I am not allowing you. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not allowing you. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: I am requesting the Minister to yield for 30 seconds. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: देरेक जी, गुलाम नबी आज़ाद जी की अध्यक्षता में आप भी प्रतिनिधिमंडल में आ जाइए।...**(व्यवधान)**...

श्री देरेक ओब्राईन: सर, दस सेकंड्ज़ के लिए मुझे बोलने दिया जाए।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कृपया आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*... So we will ask the clarification when he finishes...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, दोनों ओर से hate speeches की बात हुई, हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, हो सकता है कि सीएए को लेकर आपके मन में confusion हो, कोई शंका हो, जो भी था, मगर देश के मुसलमान भाई-बहनों के मन में, minority के मन में इसके कारण एक बड़ा शंका का वातावरण बना हुआ है।...**(व्यवधान)**... उसको clarify करना चाहिए, उसका निरसरण करना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश (कर्णाटक) : यह minority का सवाल नहीं है।...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, परंतु hate speeches के लिए जो बातें की गईं और कुछ सदस्यों ने सीआरपीसी और आईपीसी की दफाएं भी quote कीं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि recently जो रॉयट्स हुए, उनसे पहले क्या हुआ? मान्यवर, 14 दिसंबर, 2019 को शाहीन बाग नहीं हुआ था। शाहीन बाग में शांति से प्रोटेस्ट हुआ। हमने कभी यह नहीं कहा कि किसी को प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल लोगों की सुविधा

[श्री अमित शाह]

का है। लोगों की सुविधाएं नहीं तोड़नी चाहिए। प्रदर्शन के लिए एक जगह होती है, वहाँ बैठकर प्रदर्शन करना चाहिए और ऐसी जगह दिल्ली में भी निश्चित है। हमने भी, आपने भी हजारों प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन करने की जगह है, वहाँ सब बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं, democratic right है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को जो भाषण हुए, उसमें काफी सदस्यों ने कहा कि आर-पार की लड़ाई करिए, नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। उसके बाद 15 दिसंबर, 2019 को शाहीन बाग का धरना हुआ और उन्हीं दिनों में पहली बार प्रोटेस्ट हुए। हालांकि, वे कौमी दंगे नहीं थे, बल्कि प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिस के बीच की झड़प थी। यह 15 तारीख को ही हुआ, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसकी hate speeches का असर हुआ है? मान्यवर, 17 फरवरी को एक युवा ने अमरावती, महाराष्ट्र में भाषण दिया कि जब ट्रम्प यहाँ पर आएंगे, विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तब मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सामने हमारी भावनाएं क्या हैं, रोड पर आ जाइए और ताकत दिखाइए। इस hate speech का सीधा असर 23 तारीख को दिखा और 23 तारीख को सात-आठ धरने हुए। यह hate speech का असर है। 19 फरवरी को एक पार्टी के नेता ने कहा कि हम 15 करोड़ हैं, चिंता की बात नहीं है, हम 15 करोड़, सौ करोड़ पर भारी हैं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया?...**(व्यवधान)**... हम इसके समर्थन में नहीं हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, ये बोलने ही नहीं देंगे, तो कैसे होगा?...**(व्यवधान)**... मान्यवर, बाद में फरवरी की 23 तारीख को सात-आठ जगहों पर नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में धरने की शुरुआत हुई और उसके बाद एंटी-सीएए प्रोटेस्ट धीरे-धीरे कम्युनल दंगों में कन्वर्ट हुआ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी की भी hate speech बख्शनी नहीं चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री अमित शाह: मान्यवर, यह जो जज के ट्रांसफर की बात है, कानून मंत्री जी ने इसकी ढंग से सफाई दी है, मगर देश और दुनिया के सामने आना चाहिए कि भारत सरकार सिर्फ जज के ट्रांसफर का ऑर्डर करती है, ट्रांसफर की सिफारिश कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठता है, उनकी सिफारिश होती है, बाद में जज की consent ली जाती है और इस केस में सिफारिश भी 12 फरवरी को आ गई थी, जज की consent भी दो दिन पहले आई थी, Executive Order उस दिन निकला, तो इसको किसी केस विशेष के साथ...**(व्यवधान)**... एक सेकेंड...**(व्यवधान)**... आप मुझे सुनिए न।...**(व्यवधान)**... उपसभाध्यक्ष जी, आप संरक्षण दीजिए। ऐसे नहीं चलता है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है।

श्री अमित शाह: इसका किसी एक केस से जुड़ाव नहीं है। मैं दूसरा पक्ष भी कहना चाहता हूँ।...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीन लोगों का ट्रांसफर हुआ और सबकी consent रिकॉर्ड पर है। यह कैसा विचार है कि एक ही जज हमारे साथ न्याय कर सकते हैं? क्या दूसरे जज न्याय नहीं करेंगे, क्या एक ही जज न्याय कर पाएगा? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि यह किस प्रकार की मानसिकता है कि एक ही जज हमारे साथ न्याय करेंगे? फलां, फलां जज साहब ही न्याय करेंगे और बाकी सब अन्याय कर देंगे। मान्यवर, यह रूटीन ट्रांसफर है। जजेज़ की ट्रांसफर-पोस्टिंग में सरकार का दखल बहुत कम होता है। आप भी सरकार में रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा वापस भेज सकते हैं, लेकिन वे दोबारा भेज दें, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, Constitutional obligation है। मैं तो इस मानसिकता का भी विरोधी हूँ कि पर्टिकुलर ...**(व्यवधान)**... Why a particular Judge?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वाइको जी, बीच में मत बोलिए।...**(व्यवधान)**... प्लीज़।

श्री अमित शाह: एक ही जज क्यों?...**(व्यवधान)**... दूसरे जज पर भरोसा क्यों नहीं है?...**(व्यवधान)**... दूसरे भी जज हैं। हम लोगों के सामने कैसी बेतुकी बातें फैलाते हैं। सदन के अंदर बोलते हैं। ...**(व्यवधान)**... हमारी judiciary के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं? मान्यवर, इस प्रकार से नहीं चलेगा। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो hate speeches हुई हैं, वे hate speeches, पैसा भेजने की साजिश, कुछ एकाउंट्स का 23 तारीख से पहले खुलना और 25 तारीख की रात को बन्द हो जाना, ट्रम्प जब आएँ, तब ताकत दिखानी है और उसी वक्त, एक सीमित समय में दंगे होना। कुछ सदस्य इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वे कह देते हैं कि ये state sponsored riotsहैं। आप इतना तो common sense इस्तेमाल कीजिए कि जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हों, मेजबान देश के प्रधान मंत्री हों, तब क्या मेरी सरकार state sponsored riots का मुहूर्त निकालेगी? आप जरा common sense का भी इस्तेमाल कर लो, क्या आरोप लगा रहे हो? साहब, दंगे कराना हमारी फितरत नहीं है, हमारी फितरत है, दंगे करने वालों को ढूँढ़-ढूँढ़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना।

मैं कहता हूँ कि मेरी पार्टी के साथ, मेरी ideology के साथ दंगों को जोड़ने का प्रयास आज़ादी के समय से हो रहा है। मगर साहब, आँकड़े कुछ अलग हैं। 1967- बीजेपी सत्ता में नहीं; 1969 - हम सत्ता में नहीं; 1967 राँची- हम सत्ता में नहीं थे; 1967 अहमदाबाद - हम सत्ता में नहीं थे; ...**(व्यवधान)**... मैं सब बोलता हूँ, जरा सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYNARAYAN JATIYA): Please. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: जलगाँव, 1970 - हम सत्ता में नहीं थे; जमशेदपुर, 1979- हम सत्ता में नहीं थे; मुरादाबाद, 1980- हम सत्ता में नहीं थे; असम, 1983 - हम सत्ता में नहीं थे; अहमदाबाद, 1985- हम सत्ता में नहीं थे; भागलपुर, 1989- हम सत्ता में नहीं थे; दिल्ली, 1989- हम सत्ता में नहीं

[श्री अमित शाह]

थे; हैदराबाद, 1990- हम सत्ता में नहीं थे; अलीगढ़, 1990 - हम सत्ता में नहीं थे; सूरत, 1992 - हम सत्ता में नहीं थे; कानपुर, 1992 - हम सत्ता में नहीं थे; भोपाल, 1992 - हम सत्ता में नहीं थे; ...**(व्यवधान)**... मुम्बई, 1993 ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): सुनिए, सुनिए। ...**(व्यवधान)**... आपको सुनना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, 1993, मुम्बई - हम सत्ता में नहीं थे; हम सत्ता में सिर्फ तब थे, जब गुजरात में riots हुए। उन riots में मरने वाले 76 परसेंट लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं। ...**(व्यवधान)**... आप मेरी पार्टी पर क्या आरोप लगाते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: आप अकबर साहब की किताब पढ़िए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मगर शासन किसका था? ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में दंगे हुए, इन्होंने भी शान्त करने का प्रयास किया होगा, हमारे समय में हुए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, परन्तु इसको मेरी पार्टी और मेरी ideology के माथे मढ़ने का प्रयास निंदनीय है, जबकि हक़ीकत उल्टी है कि जो 76 परसेंट लोग riots में मारे गए हैं, वे कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं। मान्यवर, यह रिकॉर्ड है और यह सुनना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... साहब, शुरुआत मैंने नहीं की है, उनको सुनना पड़ेगा।

मान्यवर, सोशल मीडिया के सारे लोग तथा जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों से तथा सारी पार्टीज़ के लीडरों से मैं यह विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी ऐसा कुछ न करें, जिससे ताजे जख्म हरे हो जाएँ। हम सब प्रशासन का सहयोग करें, हम सब पुलिस का सहयोग करें और जो लोग मारे गए हैं तथा जिनका नुकसान हुआ है, उनके परिवारों के पुनर्वसन में हम सहयोग करें।

अंत में, मैं फिर से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि CAA के कारण, NPR के कारण मेहरबानी करके इस देश की minority के एक भी व्यक्ति को शंका में न रखें। मैंने गुलाम नबी जी तथा आनन्द शर्मा जी के नेतृत्व में सभी सदस्यों से यह कहा है कि जिनको भी कोई confusion है, वे कृपया मेरे पास आएँ। मैं उनसे चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से इनसे किसी की भी हानि नहीं हो सकती है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मर गए हैं, उनके परिवारों के नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर सकता, मैं ईश्वर नहीं हूं। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनके घर जले हैं, दुकानें जली हैं, जिनके शरीर को ईज़ा आयी है और जिनके परिवारों की जान चली गई है, आप इतना भरोसा रखिए कि एक भी दंगाई छूट न पाए, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी आदि का हो, इसका हम भरोसा दिलाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Yes, Mr. LoP.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने दंगाइयों के बारे में बताया कि उनको नहीं बख्शना चाहिए। हम सब उनसे सहमत हैं कि किसी को बख्शना नहीं चाहिए। विशेष रूप से आपने जो स्पष्ट किया कि चाहे वह किसी भी दल का हो या किसी भी धर्म का हो, यह बहुत ज़रूरी है।

मैं दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने खुद खेद प्रकट किया कि बहुत नुकसान हुआ है। जिनका नुकसान हुआ है, उनके compensation के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है और पुनर्वसन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है?

†[*قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): مہودے، مانیئے گرہ منتری جی نے دنگائیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو نہیں بخشنا چاہیئے۔ ہم سب ان سے سہمت ہیں کہ کسی کو بخشنا نہیں چاہیئے۔ خاص طور پر آپ نے جو واضح کیا کہ چاہے وہ کسی بھی دل کا ہو یا کسی بھی دھرم کا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔

میں دو وضاحت چاہتا ہوں۔ آپ نے خود تشویش کا اظہار کیا کہ بہت نقصان ہوا ہے۔ جن کا نقصان ہوا ہے، ان کے معاضہ کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کیا کررہی ہے اور ان کی بازآبادکاری کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کیا کررہی ہے؟]

श्री अमित शाह: महोदय, compensation और पुनर्वसन के लिए दिल्ली सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर क्या कर रहे हैं, मैं कल उनके दफ्तर में पूरी जानकारी भेज दूंगा। दिल्ली सरकार भी अच्छा काम कर रही है, भारत सरकार उसका समर्थन कर रही है और पूरी चिंता कर रही है, पुनर्वसन और पैकेज, ऐवरेज रहा तो अच्छे पैकेज की व्यवस्था होगी।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we waited for the whole thing. We did not disturb him. We wanted him to finish. We did not disturb him. महोदय, एक प्रश्न पूछना है।

SHRI BHUPENDER YADAV: There is no clarification in a Short Duration Discussion. ...*(Interruptions)*...

श्री देरेक ओब्राईन: हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने वॉक आउट नहीं किया। महोदय, एक प्रश्न पूछना है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Special Mentions. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, one question, one clarification. सर, हमने कुछ नहीं किया, हम बैठे रहे।

---

†Transliteration in Urdu script.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): It cannot go... ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: We did not disturb him. हमने एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया, हमें एक क्लैरिफिकेशन पूछना है।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. ...*(Interruptions)*... He is not responding. ...*(Interruptions)*... देरेक जी, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... आनन्द जी, बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

श्री देरेक ओब्राईन: सर, एक क्लैरिफिकेशन पूछना है।...**(व्यवधान)**... Sir, we did not disturb him. We did not disturb him. We sat on our seats.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): देरेक जी, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... पूरी बहस हो गई है। बहस पूरी होने के बाद कुछ बचता नहीं है।...**(व्यवधान)**...

श्री देरेक ओब्राईन: हमें एक क्लैरिफिकेशन पूछना है।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): If he is ready... ...*(Interruptions)*... Okay. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: What is this?

श्री आनन्द शर्मा: सर, एक स्पष्टीकरण चाहिए।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आनन्द जी, बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... हम सदन में चर्चा एक लम्बे समय से कर रहे हैं, उसमें सबने भाग लिया है।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, an Opposition Member is asking a clarification. I did not disturb him. What is this? Sir, we did not disturb him. We sat down.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, सब लोग बोल चुके हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): चर्चा समाप्त हुई। स्पेशल मेंशन, प्रो. एम.वी. राजीव गौड़ा।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we did not disturb. सर, एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप यहां बोलिए। Sir, no CAA, no NRC, no NPR. ...*(Interruptions)*... Tell us on the floor of the House. ...*(Interruptions)*...Let the Home Minister say this. Let the Home Minister say this.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please. ...*(Interruptions)*... Prof. Gowda, are you laying it? ...*(Interruptions)*...

SPECIAL MENTIONS

Demand to invest in education to empower women in the country

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, in the light of Women's Day, it is imperative to examine serious issues affecting the present and future of women in India. The female labour force participation rate is declining, standing at 25.3 per cent in 2017-18. Women comprise only 23 per cent of successful UPSC candidates, 12 per cent of the current Lok Sabha and 11 per cent of Supreme Court Judges. The situation in the unorganized sector is worse. Women and girls put in 3.26 billion hours of unpaid care work every day, contributing an estimated 19 lakh crore a year to the Indian economy. This is 20 times more than India's education budget for 2019. Yet, women remain trapped in a cycle of exploitation.

Women's reproductive health rights need urgent attention. 30 million married women and 10 million young women do not have access to modern contraception. Budgetary allocations for family budgetary allocations for family planning remain dismal and under-utilized. The preference for sons has led to more than 21 million "unwanted" girls in India, and a declining child sex ratio of 919 in 2011. Yet, the *Beti Bachao Beti Padhao* campaign, to prevent sex selection abortions and ensure the survival and education of girl children, has had its budget for 2020-21 slashed by ₹ 60 crore.

Sir, there is one solution to break this oppressive cycle --Empowerment through Education. Its impact is proven. Education includes women's health, social and economic prospects and every additional year of schooling increases individual earnings by 10 to 20 per cent. It is imperative that India prioritizes investments to enhance education for women and girls. The Government should take steps in this direction.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I rise to make this Special Mention about inclusion of 'Ahimsa' in the Preamble to the Constitution. Sir, today is a very good day to make this submission. I feel proud about it.